Con. 3. IX-10.49
320

अंक 9
संख्या 10

बृहस्पतिवार
11 अगस्त
सन् 1949 ई.

भारतीय संविधान सभा

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

संविधान का मसौदा—*(जारी)*

[अनुच्छेद 5 और 6 पर विचार] 531–592

भारतीय संविधान सभा

बृहस्पतिवार, 11 अगस्त सन् 1949 ई.

भारतीय संविधान-सभा, कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रातः 9 बजे अध्यक्ष महोदय, माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में समवेत हुई।

संविधान का मसौदा—*(जारी)*

अनुच्छेद 5 से 6—*(जारी)*

***अध्यक्षः** अब हम अनुच्छेद 5 और 6 पर विचार आरम्भ करेंगे। मैं उन संशोधनों को देख रहा हूं जिनकी सूचना आ गई है। अधिकांश संशोधन मूल मसौदे से सम्बन्ध रखते हैं। वर्तमान मसौदे पर भी बहुत से संशोधन हैं। मैं समझता हूं कि जिस रूप में यह प्रस्थापना अब सभा के समक्ष रखी गई है उसमें बहुत से संशोधनों के विचारों का समावेश हो जाता है जिनकी सूचना आ चुकी है। कुछ संशोधन ऐसे हैं जो विवरण से सम्बन्ध रखते हैं। माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि अपना ध्यान वे केवल उन संशोधनों तक ही सीमित रखें जो सारवत हैं और बाकी संशोधनों को छोड़ दें।

मूल मसौदा सम्बन्धी संशोधनों में से कुछ ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध मसौदे से बिल्कुल बाहर के विषयों से है। उदाहरणार्थ एक संशोधन स्त्रियों की इस स्थिति से सम्बन्ध रखता है कि विवाह के पश्चात् वे नागरिक बनती हैं या नहीं। और भी हैं जो उन लोगों की स्थिति से सम्बन्ध रखते हैं जो जन्म से भारतीय नहीं हैं अथवा जिनके जनक अथवा महाजनक भारतीय नहीं थे। मैं समझता हूं वर्तमान मसौदे के अधीन इन सब विषयों को संसद के विचार के लिये छोड़ दिया जाये। अतः मैं यह सुझाव रखूंगा कि इस प्रकार के संशोधनों को भी संसद पर बाद में विचार करने के लिए छोड़ दिया जाये और जिस दिन यह संविधान प्रवर्तन में आये उस दिन के लिये नागरिकता की अर्हतायें निर्धारित करने के ही प्रश्न पर हम विचार करें।

डॉ. अम्बेडकर ने सभा का ध्यान दो महत्वपूर्ण परिसीमाओं की ओर आकर्षित किया है। पहली परिसीमा यह थी कि यह मसौदा जिस दिन संविधान प्रवृत्त होगा उस दिन के लिये नागरिकता के सीमित प्रश्न से सम्बन्ध रखता है। दूसरी बात यह थी कि वर्तमान मसौदे से सम्बंधित विषयों सहित अन्य सब विषयों को संसद पर छोड़ा जाता है और वह जैसा ठीक समझे वैसा विचार करे। इन परिसीमाओं को अपने ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि इन दोनों अनुच्छेदों पर बहुत कम वाद-विवाद रह जाता है और इस विषय को शीघ्रता के साथ समाप्त किया जा सकता है।

[अध्यक्ष]

मैं सदस्यों के सामने यह सुझाव रखूंगा कि अपने संशोधन पेश करते समय वे इन बातों को ध्यान में रखें। अब हमें उन संशोधनों को लेंगे जिनकी मेरे पास सूचना आ चुकी है और वर्तमान सत्र की सूची में जिस क्रम से संशोधन दिये हुए हैं मैं उनको उसी क्रम से लूंगा। डॉ. देशमुख।

***डॉ. पी.एस. देशमुख** (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): क्या मैं और संशोधनों की ओर भी निर्देश कर सकता हूं जिनकी कि मैं सूचना दे चुका हूं?

***अध्यक्ष:** जी हां, आप उनको एक साथ ले सकते हैं।

***डॉ. पी.एस. देशमुख:** श्रीमान्, नागरिकता के विषय पर यह अनुच्छेद समस्त संविधान में सबमें अधिक दुर्भाग्यपूर्ण अनुच्छेद है। तीसरी बार हम इस पर वाद-विवाद कर रहे हैं। श्रीमान्, प्रथम बार आपका यह विचार था जिसका सभा ने समर्थन किया था कि इसकी परिभाषा बहुत ही असंतोषजनक है। इसके बाद इसको कुछ अधिवक्ताओं के पास भेजा गया था और यह कहते हुए मुझे दु:ख होता है कि उन्होंने ऐसी परिभाषा बनाई कि जिसके अनुसार वे सब लोग भारत के नागरिक नहीं हो सकते थे जो इस समय जीवित हैं। अत: उसको फिर वापस भेजना पड़ा और अब हमारे सामने एक ऐसी परिभाषा है जिसके बारे में आरम्भ में ही मैं यह कह दूं कि वह उतनी ही असंतोषजनक है जितनी असंतोषजनक पहली परिभाषा थी जिसे हम अस्वीकार कर चुके हैं और अपने इस विचार के लिये मैं बहुत ही पुष्ट तर्क प्रस्तुत करूंगा। पर ऐसा करने के पूर्व यदि यह आवश्यक है कि मैं अपने संशोधन पेश करूं तो मैं उसके लिये तैयार हूं। मैं संशोधन संख्या 164 को पेश करना चाहूंगा जो वही है जैसा कि सूची 3 (द्वितीय सप्ताह) में संशोधन संख्या 2 है। श्रीमान्, मैं पेश करता हूं:

"कि संशोधन पर संशोधनों की सूची 1 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 1 में प्रस्थापित अनुच्छेद 5 के स्थान में निम्न अनुच्छेद रखा जाये:

'5. (i) Every person residing in India—

(a) who is born of Indian parents; or

(b) who is naturalized under the law of naturalization; and

(ii) every person who is a Hindu or a Sikh by religion and is not a citizen of any other State, wherever he resides

shall be entitled to be a citizen of India.' "

[5. (1) भारत में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को–

(क) जिसका जन्म भारतीय जनकों द्वारा हुआ है; अथवा

(ख) जिसको देशीयकरण विधि के अधीन देशी बना लिया है; और

(2) जो हिन्दू या सिख धर्म का अनुयायी है और जो किसी अन्य राज्य का नागरिक नहीं है, चाहे वह कहीं निवास करे

भारत का नागरिक होने का हक होगा।]

श्रीमान्, मेरे नाम से और भी संशोधन हैं जो इस अनुच्छेद के मसौदे से सम्बन्ध रखते हैं जो सभा के समक्ष हैं। इन संशोधनों द्वारा माननीय डॉ. अम्बेडकर ने अनुच्छेद को जो रूप प्रस्थापित किया है उसमें कुछ परिवर्तनों का मैंने सुझाव रखा है। इनमें से पहला संशोधन तृतीय सप्ताह की सूची 3 में संशोधन संख्या 116 है। वह इस प्रकार है:

"कि संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (तृतीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 1 में प्रस्थापित अनुच्छेद 5 में से 'at the date of commencement of this Constitution' शब्दों को अपमार्जित किया जाये।"

***अध्यक्ष:** इन सबका संग्रह तृतीय सप्ताह की सूची 1 में है।

***डॉ. पी.एस. देशमुख:** जी हां, पर मैंने उन्हें पहली सूचियों में से लिया है। मैंने 'at the date of commencement of this Constitution' शब्दों को निकालने का सुझाव रखा है।

संशोधन संख्या 117 को मैं पेश नहीं करना चाहता हूं। पर तृतीय सप्ताह की सूची 3 के संशोधन संख्या 118 को मैं पेश करूंगा। मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

"कि संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (तृतीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 1 में प्रस्थापित अनुच्छेद 5 के खण्ड (क) के स्थान में निम्न खण्ड रखा जाये:

(क) जिसकी उत्पत्ति भारत के राज्य क्षेत्र में भारतीय जनकों द्वारा हुई हो।" तीसरे यह कि मैं तृतीय सप्ताह की सूची 3 के संशोधन 119 को पेश करना चाहूंगा। मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

"कि संशोधन पर संशोधनों की सूची 1 (तृतीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 1 में प्रस्थापित अनुच्छेद 5 के खण्ड (ग) में 'five' शब्द के स्थान में 'twelve' शब्द रखा जायें।' "

यह वर्षों की वह संख्या है जिसके लिये किसी व्यक्ति का निवास अपेक्षित है।

तृतीय सप्ताह की सूची 3 में संशोधन संख्या 120 को भी मैं पेश करना चाहूंगा जिसके बारे में मुझे विश्वास है कि वह स्वीकार कर लिया जायेगा क्योंकि एक ऐसा ही संशोधन श्री गोपालस्वामी आयंगर ने पेश किया है। श्रीमान्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

"कि संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (तृतीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 1 में प्रस्थापित अनुच्छेद 5 की व्याख्या को अपमार्जित कर दिया जाये।"

इसके बाद द्वितीय सप्ताह की सूची 3 में के संशोधन संख्या 172 को मैं पेश करना चाहूंगा। श्रीमान्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

"कि संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 1 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद 5-क में 'territory of India' शब्दों के पश्चात 'of Indian parents' शब्द प्रविष्ट किये जायें।"

[डॉ. पी.एस. देशमुख]

अन्तिम संशोधन द्वितीय सप्ताह की सूची 3 में संख्या 189 है। मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

"कि संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (तृतीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 1 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद 5-क के पश्चात् निम्न तथा अनुच्छेद प्रविष्ट किया जाये:-

'5-B. Every citizen shall-

(a) enjoy the protection of the Indian State in foreign countries;

(b) be bound to obey the laws of India, serve the interests of the Indian communities, defend his country and pay all taxes.' "

[5-ख. प्रत्येक नागरिक-

(क) विदेशों में भारतीय राज्य से रक्षण प्राप्त करेगा;

(ख) भारतीय विधियों को पालन करने के लिए बाध्य होगा, भारतीय सम्प्रदायों के हितों की सेवा करेगा, अपने देश की रक्षा करेगा और सब कर भरेगा।]

इतने संशोधनों को मैं पेश करना चाहूंगा। शेष संशोधनों को बिना पेश किया हुआ समझा जाये।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद** (पश्चिमी बंगाल : मुस्लिम): क्या मैं यह सुझाव रख सकता हूं कि पहले सब संशोधन पेश कर दिये जायें और फिर उसके बाद साधारण चर्चा हो? ऐसा करने से सदस्यों के सामने प्रस्थापनाओं का पूरा चित्र प्रस्तुत हो सकेगा।

***अध्यक्ष:** यदि सभा की यह इच्छा है तो मुझे कोई खास आपत्ति नहीं है।

***डॉ. पी.एस. देशमुख:** चूंकि संशोधनों की संख्या बहुत बड़ी है इस कारण सदस्यों के केवल संशोधनों के पेश करने और फिर बाद में भाषण के लिये बुलाने से गड़बड़ हो जायगी।

***अध्यक्ष:** ऐसा प्रतीत होता है कि सदस्य अपने संशोधनों को पेश करते समय भाषण देना अधिक सुविधाजनक समझते हैं।

***पं. हृदयनाथ कुंजरू** (संयुक्तप्रान्त : जनरल): क्या आप कृपया हमें यह बताने का कष्ट करेंगे कि कौन-कौन से संशोधन पेश किये जा चुके हैं?

***अध्यक्ष:** मैं आपको इस सप्ताह की सूची में संख्यायें बताऊंगा। उनकी संख्या 3, 17 और 29 हैं

इसके बाद तृतीय सप्ताह की सूची 3 के संशोधन संख्या 116, 118, 119 और 120।

***डॉ. पी.एस. देशमुखः** डॉ. अम्बेडकर ने यह स्वीकार किया है कि यह एक प्रकार की अस्थायी परिभाषा है और इसका विवरणपूर्ण विधान बनाना संसद पर छोड़ दिया जायेगा। मैं इस उद्देश्य से पूर्णतया सहमत हूं, पर मुझे इस बात का भय है कि जिस परिभाषा और अनुच्छेद का उन्होंने सुझाव रखा है वह भारतीय नागरिकता को संसार भर में सबसे अधिक सरल बना देगा। जो अनुच्छेद उन्होंने प्रस्थापित किया है उसके विश्लेषण से मैं अपना भाषण आरम्भ करना चाहूंगा। मुझे ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती है कि 'इस संविधान के प्रारम्भ होने की तिथि पर' कहना क्योंकर आवश्यक है।

किसी दिन सारा का सारा संविधान प्रख्यापित होगा ही। जो कुछ भी उपबन्ध हैं वे सब उस दिन से लागू तथा प्रयुक्त होंगे। अतः जहां तक इस अनुच्छेद का सम्बन्ध है मैं निवेदन करता हूं कि 'इस संविधान के प्रारम्भ होने की तिथि पर' शब्द बिल्कुल निरर्थक हैं। यह कहना पर्याप्त होगा कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के राज्य-क्षेत्र में कहीं भी अधिवास करता है.....उसे भारत का नागरिक कहलाने का हक होगा।

दूसरी बात यह है कि इस अनुच्छेद के ये सब उपखण्ड भारतीय नागरिकता को बहुत ही आसान बना देंगे। मुझे विश्वास है कि न तो इस सभा के सदस्य और न बाहर वाले लोग ही ऐसा होने देना चाहेंगे। इस अनुच्छेद के अनुसार पहली आवश्यकता अधिवास है। इसके बाद खण्ड (क) के अनुसार जो कुछ आवश्यक है वह यह है कि उसका जन्म भारत के राज्य-क्षेत्र में हो। इसका माता-पिता से कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई दम्पत्ति वायुयान से यात्रा कर रहा हो और वह वायुयान बम्बई में उतरे और यदि देवयोग से स्त्री के सन्तानोत्पत्ति हो जाये तो माता-पिता की राष्ट्रीयता पर विचार किये बिना उस बच्चे को भारतीय नागरिक होने का हक होगा। मुझे विश्वास है कि यह एक ऐसी बात है जिसको कम से कम बहुत से लोग स्वीकार करना नहीं चाहेंगे तथा न उसके लिये उपबन्ध करना चाहेंगे। भारतीय नागरिकता को इतना सरल नहीं बनाना चाहिये।

इसके बाद खण्ड (ख) में कहा गया है "जिसके जनकों में से कोई भारत राज्य-क्षेत्र में जन्मा है"। यह और भी अधिक आश्चर्यजनक है। यह आवश्यक नहीं है कि लड़के या लड़की का जन्म भारत भूमि में हो। यह नहीं कि दोनों माता और पिता भारत में जन्मे हों वरन केवल इतना ही पर्याप्त है कि उनमें से एक का ही जन्म भारत में ऐसे संयोग से हुआ हो जैसा कि मैं बता चुका हूं अर्थात भारत में होकर वायुयात्राव करते हुए किसी स्त्री के सन्तानोत्पत्ति होना। प्रस्थापित उपखण्ड (क) के अधीन उस सन्तान को भारतीय नागरिकता का दावा करने का हक होगा और उपखण्ड (ख) के अधीन (इस प्रकार संयोगवश उत्पन्न हुए) इस बच्चे का पुत्र भी बिना किसी निर्बन्धन तथा बिना किसी और अर्हता के इस महत्वपूर्ण विशेषाधिकार का दावा कर सकता है। और किसी बात की आवश्यकता नहीं है सिवा इसके कि वे अधिवास प्राप्त कर लें।

उपखण्ड (ग) के अनुसार कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है "जो कम से कम पांच वर्ष तक भारत राज्य-क्षेत्र में सामान्यतया निवासी रहा हो"। इसमें भी जनकों की ओर कोई निर्देश नहीं है, जिस राष्ट्र अथवा जिस देश

[डॉ. पी.एस. देशमुख]

के वे हैं उसकी ओर इसमें कोई निर्देश नहीं है, इसमें उस प्रयोजन की ओर भी कोई निर्देश नहीं है जिसके लिये उन्होंने इस देश में पांच साल तक निवास करना चाहा। चाहे वह पंचमंगी हों; चाहे वह भारतीय स्वतन्त्रता को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से यहां आया हो; पर मसौदा समिति तो यही उपबन्ध करती है कि यदि वह पांच वर्ष तक देश में रहता है तो उसे भारत का नागरिक होने का हक़ है।

यह सारी की सारी सभा और यह समूचा देश इस बात से परिचित है कि समस्त संसार में भारतीय नागरिकों के साथ केसा बर्ताव किया जाता है। वे रंग विद्वेष के उस रूप से परिचित हैं जो इंग्लैण्ड में बर्ता जाता है, वे उन यातनाओं से परिचित हैं जो भारतीय नागरिकों को अब भी अफ्रीका में सहन करनी पड़ती हैं, मलाया और बर्मा में उनको किस प्रकार सताया जाता है, और इस तथ्य के होते हुए भी कि भारत अब एक स्वतंत्र देश है यहां कि निवासियों को किस प्रकार सब देशों में घृणित दृष्टि से देखा जाता है। सभा इस बात से परिचित है कि कुछ उंगलियों पर गिने जाने वाले लोगों को छोड़कर अमरीका में नागरिकता प्राप्त करना किसी प्रकार सम्भव नहीं है यद्यपि लोग अपना सम्पूर्ण जीवन वहां बिता चुके हैं। मैं ऐसे लोगों के बारे में जानता हूं जो अमरीका में रह रहे हैं और 15, 20 तथा 25 वर्षों से विभिन्न पदों को धारण किये हुए हैं पर फिर भी नागरिकता के लिये उनके आवदेन पत्र की संख्या 10,50,000वीं है। ऐसे व्यक्ति के लिये तब तक नागरिकता प्राप्त करने की कोई आशा नहीं है जब तक कि 10,49,999वां आवेदन-पत्र मंजूर न हो जाये। अमरीका में 116 अथवा 118 भारतीय प्रति वर्ष के हिसाब से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से अन्य देश अपने निजी हितों का संरक्षण कर रहे हैं और अपनी नागरिकता को निर्बन्धित कर रहे हैं। यदि भारत आयरलैण्ड अथवा कनाडा के समान कोई छोटा देश होता (जिन देशों को अपने इस संविधान के लिये अनुकरण रूप में माना गया है) तब तो मैं समझ सकता था कि मनुष्यों का आचार-विचार चाहे केसा भी हो अथवा देश के हित चाहे जो कुछ हों पर हमें अधिक मनुष्यों की आवश्यकता है। पर हम तो अपनी ही इतनी बड़ी जनसंख्या से पीड़ित हैं। इन परिस्थितियों में हम भारतीय नागरिकता को इतने हास्यास्पद रूप में आसान क्यों बना रहे हैं? इसके लिये अन्य कोई उपयुक्त शब्द नहीं है।

जैसाकि मैं पहले बता चुका हूं इन उपखण्डों में से एक में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो पांच वर्ष तक भारत में निवास करना चाहे वह भारत का नागरिक होगा। मैंने माननीय वाणिज्य मंत्री (जब श्री सी.एच. भाभा इस पद को धारण किये हुए थे) से एक प्रश्न पूछा था, जब हम दूसरे सदन में बैठे हुए थे कि क्या भारत में आने वाले विदेशियों के लिये कोई रजिस्टर है या नहीं। उन्होंने उत्तर दिया "नहीं"। मैंने पूछा कि विदेश से आने वाले लोगों को इस देश में प्रवेश करने के लिये कोई नियम तथा विनियम हैं तो उन्होंने उत्तर दिया कि कोई नियम विनियम नहीं हैं। हमारे यहां ऐसा प्रशासन है। तो फिर क्या यह बुद्धिमतापूर्ण है कि हम अपनी नागरिकता को बिना किसी भेद-विभेद के खुली छोड़ दें? मुझे तो ऐसा करने के लिये कोई भी कारण नहीं दिखाई देता है सिवा इसके कि वही राज्य की असाम्प्रदायिकता का दिखावटी, कई बार का हराया हुआ तथा घृणित सिद्धांत। मैं समझता हूं कि इस असाम्प्रदायिकता के कार्य में हम

आवश्यकता से कहीं अधिक बढ़ रहे हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि हम अपने ही लोगों को मिटा दें, अपनी असाम्प्रदायिकता सिद्ध करने के लिये हम उनको मिटा दें, असाम्प्रदायिकता के नाम पर हिन्दू और सिखों को हम मिटा दें और भारतीयों के लिये जो कुछ भी प्रिय और पवित्र है उसे हम यह सिद्ध करने के लिए जर्जरित कर दें कि हम असाम्प्रदायिक हैं? मैं नहीं समझता हूं कि असाम्प्रदायिकता का यह अर्थ है और न 'असाम्प्रदायिक राज्य' का अर्थ जनता यह लगाना चाहती है। मुझे विश्वास है कि जो लोग इस अर्थ को मानते हैं उनकी लोकप्रियता भारत में अधिक समय तक नहीं टिकेगी। अत: मैं निवेदन करता हूं कि यह अनुच्छेद असन्तोषजनक है और यह उसी प्रकार रद्द करने योग्य है जिस प्रकार हमने इससे पूर्ववर्ती अनुच्छेद को रद्द किया था क्योंकि इसमें कोई भी बात ठीक नहीं है। यदि हम वास्तव में कोई अस्थायी परिभाषा रखना चाहते हैं तो हम अन्य लोगों से परिभाषा ले सकते हैं जो शायद हमसे अधिक बुद्धिमान हैं और हमारे लिये वह पर्याप्त होगी। ऐसी एक परिभाषा मैंने अपने संशोधन संख्या 164 में प्रस्थापित की है, जो इस प्रकार है:

"भारत में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को–

(क) जिसका जन्म भारतीय जनकों द्वारा हुआ है; अथवा

(ख) जिसको देशीयकरण विधि के अधीन देशी बना लिया गया है....।"

यदि भारत की नागरिकता के समुचे प्रश्न को संसद के वाद-विवाद पर छोड़ दिया जाये तो मुझे कुछ चिन्ता नहीं है। पर मेरी यह धारणा है और सभा से मेरा यही निवेदन है कि वर्तमान समय के लिये यह संक्षिप्त परिभाषा पूर्णरूपेण पर्याप्त होगी। यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि सर्वप्रथम वही व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकेगा जिसका जन्म भारतीय जनकों द्वारा हुआ है और मैं उन लोगों को भी नहीं छोड़ रहा हूं जो पहले से भारतवर्ष में रहे रहे हैं यदि अधिवास की आवश्यकता की उन्होंने पूर्ति कर ली है। यदि वे इस देश के निवासी हैं अथवा यदि उन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता का दावा नहीं किया है अथवा यदि उनका जन्म भारतीय जनकों द्वारा हुआ है तो उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त करने का हक़ होगा। जहां तक अन्य व्यक्तियों का सम्बन्ध है उनके लिये देशीयकरण की विधि होगी जिसमें विवरण पूर्ण उपबन्ध होंगे। हम उस व्यापार तथा प्रयोजनों को अथवा उस रीति को निर्धारित कर सकते हैं जिनके कारण भारतीय नागरिकता का दावा करने वाला कोई व्यक्ति भारत में रहना चाहता हैं। संसद के लिये इस प्रश्न पर वाद-विवाद करने और सिद्धान्तों के निर्धारण करने के लिये पर्याप्त समय होगा। पर यदि आप इस समय यह परिभाषा रखना चाहते हैं तो आप अपने हाथ बांध रहे हैं, बाद में हस्तक्षेप करने के लिए आप संसद को असमर्थ बना रहे हैं। उस समय क्या आपको यह साहस होगा कि आप उनको नागरिकता से वंचित कर दें—उन हजारों व्यक्तियों को जो इस संविधान के अधीन नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं? यह असम्भव है, यह बिल्कुल असम्भावनीय है और कोई भी भारतीय संसद इतना कड़ा कदम नहीं उठा सकती है कि वह उस मूर्खता को ठीक कर सके जिसे हम आज जानबूझकर कर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी

[डॉ. पी.एस. देशमुख]

संसद ऐसा कर सकेगी। अत: मैं नहीं चाहता हूं कि नागरिकता को इतना आसान तथा इतनी सरलता से प्राप्य बनाया जाये क्योंकि यदि आप एक बार उसे इस संविधान में इतना सरल बना देते हैं तो फिर उससे लौटना आपके लिये बड़ा कठिन होगा।

और फिर यह संसद के अधिनियम में कोई परिभाषा तो है ही नहीं जो सरलता से परिवर्तित हो सके। अत: यदि संविधान द्वारा इस अनुच्छेद में प्रस्थापित रीति से आप नागरिकता के इस अधिकार को दे रहे हैं तो आप उसे बाद में नहीं बदल सकते हैं और यह भारतीय राष्ट्र के हितों के विरुद्ध होगा। अत: मैंने यह प्रस्थापित किया है कि देशीयकरण की परिस्थितियों और शर्तों पर बाद में विनिश्चय किया जाये। इस समय संविधान-सभा को इस प्रश्न पर कोई विनिश्चय नहीं करना चाहिये। ऐसी प्रत्येक शर्त तथा ऐसी प्रत्येक परिस्थिति, जिसके प्रति हमें विश्वास है और सन्तोष है कि किसी व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार देने के लिए उसको निर्धारित करना चाहिये, उस समय क्रियान्वित होनी चाहिये जबकि हम संसद में देशीयकरण के अधिनियम को पारित करें। नागरिकता का अधिकार देने के लिये हमें कुछ शर्तें यहां इस संविधान में और कुछ अन्यत्र नहीं रखनी चाहियें। यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है नागरिकता का अधिकार देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होना चाहिये और न पांच वर्ष निवास करने की बात ही पर्याप्त होनी चाहिये। मैं कहता हूं कि इन सब बातों का निर्धारण करना हम संसद पर छोड़ दें। यहां हम केवल यह कहें कि भारत में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो देशीयकरण विधि के अधीन देशी बन चुका है भारत का नागरिक होगा।

दूसरे उपखण्ड में मैंने प्रस्थापित किया है कि मैं एक उपबन्ध करना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति जो हिन्दू या सिख है और जो किसी अन्य राज्य का नागरिक नहीं है उसे भारत के नागरिक होने का हक होगा। हमने पाकिस्तान राज्य का निर्माण और उसकी स्थापना देखी है। उसकी स्थापना क्यों हुई? उसकी स्थापना इस कारण हुई कि मुसलमान यह दावा करते थे कि उनका अपना घर होना चाहिये उनका अपना देश होना चाहिये। इस देश में हमारा एक सम्पूर्ण राष्ट्र है जिसका हजारों वर्षों का इतिहास है और हम उसे मिटे दे रहे हैं, इस बात के होते हुए भी कि हिन्दू और सिख के लिये इस अपार संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां जाकर वह शरण ले सके। केवल इस तथ्य के आधार पर कि वह हिन्दू है अथवा सिख है उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होनी चाहिये क्योंकि यही एक ऐसी बात है जिसके कारण उससे और लोग घृणा करते हैं। पर हमारा राज्य असाम्प्रदायिक है और हम इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते हैं कि संसार के किसी भाग के रहने वाले हिन्दू या सिख के लिये अपना निजी घर हो। यदि मुसलमान अपने लिये एक अलग स्थान चाहते हैं जिसे पाकिस्तान कहा जाता है तो हिन्दू या सिख भारत को अपना घर क्यों न मानें? औरों को यहां नागरिकता प्राप्त करने से हम रोक नहीं रहे हैं। हम केवल यह कहते हैं कि नागरिकता के अधिकार प्राप्त करने के हेतु हमारे लिये अन्य कोई देश नहीं है और इस कारण हम हिन्दू और सिखों को, जब तक हम अपने-अपने धर्म का पालन करें, भारत में नागरिकता के अधिकार मिलने चाहियें और जब तक हमें किसी और देश की नागरिकता न मिले तब तक इस नागरिकता का अधिकार हमें होना चाहिये।

मैं नहीं समझता हूं कि यह दावा किसी प्रकार से भी साम्प्रदायिक है अथवा किसी विशिष्ट दल अथवा सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखता है। यदि कोई व्यक्ति इसे ऐसा कहता है तो सिवा इसके और क्या कहा जाये कि वह भूल करता है। मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन प्रत्येक सम्भाव्य दशा का समावेश करता है। जिस बात से हम बहुत उत्तेजित हैं वह केवल यह है कि हमारे लोग यह सोचकर कि पाकिस्तान एक सुखद देश है वहां गये और वहां से वापस हुए। संविधान में किसी भी उपबन्ध के द्वारा हम उन्हें क्यों अभिज्ञात करें? क्योंकि ऐसी कोई बात आवश्यक नहीं है। यदि वे भारत के निवासी हैं जबकि यह संविधान प्रख्यापित किया जाता है और उनका जन्म भारतीय जनकों द्वारा हुआ है तो बिना किसी नये पंजीयत अथवा साक्ष्य के उनको नागरिकता के अधिकार का हक़ होना चाहिये। मेरी परिभाषा में यही विचार प्रस्तुत है। मैं आशा करता हूं कि सभा उसे स्वीकार करेगी।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना** (संयुक्तप्रान्त : जनरल): आप कहते हैं कि "भारतीय जनकों द्वारा उत्पन्न"। "भारतीय जनकों" की आप किस प्रकार परिभाषा करते हैं?

डॉ. पी.एस. देशमुख: मैं समझता हूं कि उसका निर्देश उन सब व्यक्तियों से होना चाहिये जो भारत के निवासी हैं। उसकी परिभाषा करना बड़ा सरल है। यदि प्रोफेसर यह समझते हैं कि कोई परिभाषा आवश्यक है तो उसका बनाना बहुत सरल है।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** तो फिर कोई परिभाषा दीजिये।

डॉ. पी.एस. देशमुख: बहुत अच्छा, मैंने सोचा था कि भारतीय व्यक्ति बहुत ही सरलता से पहचाना जा सकता है। यदि अधिवास से संयुक्त कर दिया जाये तो उसकी परिभाषा करना अधिक सरल है। पर यदि प्रोफेसर यह सोचते हैं कि भारतीय व्यक्ति को नहीं पहचाना जा सकता है और यह निर्धारण करना आवश्यक है कि भारतीय कौन है, उसका रूप रंग क्या है इत्यादि, इत्यादि, तो मैं किसी उपयुक्त परिभाषा का सुझाव उन पर ही छोडूंगा। मैं समझता हूं कि वर्तमान परिभाषा से बिना किसी कठिनाई के यह समझा जा सकता है। मैं नहीं समझता हूं कि जिस पद का हम प्रयोग करें उसकी परिभाषा आवश्यक ही है। यदि आप अन्य देशों के संविधानों का परीक्षण करें। उदाहरणार्थ पोलण्ड के संविधान में आप देखेंगे कि उन्होंने केवल यह उपबन्ध किया है कि कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म पोलेण्ड निवासी जनकों द्वारा हुआ है वह पोलेण्ड का नागरिक है। वे जानते हैं कि पोलेण्ड का निवासी कौन है जिस प्रकार हम जानते हैं कि भारतीय कौन है। अत: मैं नहीं समझता हूं कि इस सम्बन्ध की परिभाषा आवश्यक है। यदि हम कोई अस्थायी परिभाषा चाहते हैं कोई ऐसा अनुच्छेद चाहते हैं जो अन्तर्कालीन उपबन्ध के रूप में प्रयोग किया जाये तो मेरा अनुच्छेद पर्याप्त है।

अब मैं अपने और संशोधनों पर आता हूं जिस व्याख्या और अनुच्छेद का सार मैं दे चुका हूं यदि उनको स्वीकार नहीं किया जाता है तो उस दशा में मैंने यह सुझाव रखा है कि विद्वान डॉक्टर द्वारा प्रस्थापित अनुच्छेद में से "इस संविधान के प्रारम्भ की तिथि पर" शब्दों को निकाल दिया जाये। और खण्ड (क) में "जो भारत राज्य-क्षेत्र में जन्मा था" शब्दों के पश्चात् "भारतीय जनकों से उत्पन्न" शब्द रखे जायें और खण्ड (ग) में "पांच वर्ष" के पूर्व "कम से कम" शब्द

[डॉ. पी.एस. देशमुख]

प्रविष्ट किये जायें "पांच" शब्द के स्थान में मैं "बारह" शब्द रखना चाहूंगा जिससे कि किसी व्यक्ति का इतने काल तक भारत में निवास करना नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो जाये।

जहां तक व्याख्या का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि स्वयं डॉक्टर को यह विश्वास हो गया है कि उसका रखना आवश्यक नहीं है और इसके पक्ष में बहुत अच्छे तर्क हैं। उसमें यह कहा गया है "इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए उस व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं समझा जायेगा जो अप्रैल सन् 1947 ई. के प्रथम दिवस के पश्चात् उस राज्य-क्षेत्र में प्रव्रजन कर गया हो जो अब पाकिस्तान में है"। मैं नहीं समझता हूं कि केवल पाकिस्तान अकेले को ही क्यों रखा गया है। "प्रव्रजन" शब्द का निश्चित अर्थ है। इसका अर्थ है किसी अन्य देश में स्थायी रूप से बस जाने के उद्देश्य से अपने देश को छोड़ना और जिस देश से प्रव्रजन किया गया है उस देश में न रहना। यदि "प्रव्रजन" शब्द का अर्थ स्पष्ट है तो किसी भी व्यक्ति को, जो भारतीय समुद्र तट को छोड़कर बाहर जाता है, भारत की नागरिकता का हक़ नहीं होगा चाहे वह पाकिस्तान जाये या होनोलूलू जाये या उत्तरीय अथवा दक्षिणी ध्रुव जाये। अत: यह व्याख्या निरर्थक है।

इसके साथ-साथ मैंने यह प्रस्थापित किया है कि कुछ ऐसा उत्तरदायित्व होना चाहिये जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक होने का दावा करता है वह हाथ बंटाये और इस प्रयोजन के लिये मैंने संशोधन संख्या 29 प्रस्थापित किया है कि "प्रत्येक नागरिक विदेशों में भारतीय राज्य से रक्षण प्राप्त करेगा; और (ख) भारतीय विधियों को पालन करने के लिये बाध्य होगा, भारतीय सम्प्रदायों के हितों की सेवा करेगा, अपने देश की रक्षा करेगा और सब कर भरेगा"। इस पर मैं अधिक जोर देना नहीं चाहूंगा क्योंकि जब हम देशीयकरण के अधिनियम को पारित करेंगे उस समय इसको उसके साथ शामिल किया जा सकता है। श्रीमान् आपने भी यही सुझाव रखा है कि इन सबको संसद पर छोड़ दिया जाये। इस विचार के कारण इस संशोधन को वापस लेने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि मेरा समूचा अनुच्छेद पारित हो जाता है तो अन्य संशोधनों को पेश करने की आवश्यकता नहीं होगी जो प्रस्थापित अनुच्छेद की शब्दावली से सम्बन्ध रखते हैं। अन्यथा यह आवश्यक होगा कि जिन शब्दों पर मैंने आपत्ति की है उनको निकाल दिया जाये।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ संशोधन पेश करने हैं। ऐसा करने के पूर्व क्या मैं आपसे यह आदेश प्राप्त करने के लिये निवेदन कर सकता हूं कि मैं अपने संशोधनों पर ही बोलूं या इस अनुच्छेद पर सामान्यतया भाषण दूं। मैं समझता हूं कि यदि सामान्यतया इस अनुच्छेद पर मुझे भाषण देना है तब तो वह असुविधाजनक होगा। यह कार्य सबसे अन्त में होना चाहिये क्योंकि मैं नहीं जानता हूं कि आगे और कौन-कौन से संशोधन पेश किये जायेंगे। हां, मैं यह और कह दूं कि बातों को बार-बार नहीं कहा जायेगा। श्रीमान्, क्या मैं आपका आदेश प्राप्त कर सकता हूं कि मैं अपने संशोधन को पेश करूं और उन्हीं पर बोलूं या सामान्यतया अनुच्छेद पर भाषण दूं।

***अध्यक्ष:** मेरे विचार से यह अधिक अच्छा होगा यदि आप केवल एक ही भाषण दें।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** इसमें कोई सन्देह नहीं है, पर जब तक कि हमारे सामने सब संशोधन न आ जायें तब तक सामान्यतया इस अनुच्छेद पर भाषण देना असुविधाजनक होगा। कठिनाई यही है। और मैं यह भी देखता हूं कि यद्यपि आपने कृपा कर सदस्यों को यह सूचना दे दी है कि कौन-कौन से संशोधन पेश किये जायेंगे पर फिर भी कुछ सदस्यों में कुछ खलबली पड़ गई है क्योंकि उनको अब तक यह मालूम नहीं हुआ है कि कौन-कौन से संशोधन पेश हो चुके हैं। एक अन्तिम समय परिवर्तन कर देने से यह कठिनाई पैदा हुई है और इस बात के कारण भी संशोधनों की संख्या में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं।

***अध्यक्ष:** मैं समझता हूं कि कठिनाई इस कारण उत्पन्न हो गई है कि सदस्य पहले सप्ताहों की सूचियों की ओर निर्देश कर रहे हैं। कार्यालय ने जिस प्रणाली का अनुसरण किया है वह यह है कि सप्ताह के अन्त में समस्त संशोधनों का संग्रह कर उनको आगामी सप्ताह की प्रथम सूची में रख देना जिससे कि दूसरे सप्ताह के अन्त में जो संशोधन रह गये थे वे सब तीसरे सप्ताह की प्रथम सूची में संगृहीत हो जायें और तीसरे सप्ताह में आगे और जो संशोधन आये हैं वे बाद की सूची 2, 3 इत्यादि में रखे गये हैं। डॉ. देशमुख ने पहली सूचियों का निर्देश किया था पर वर्तमान सप्ताह की सूची में तत्स्थानी संख्या में बता चुका हूं। अत: यदि सदस्य चालू सप्ताह की सूची की ओर निर्देश करेंगे तब तो संख्या के अनुसार उनको संशोधन मिल जायेंगे। यदि सदस्य चाहते हैं तो मैं एक बार और संख्याओं को बता दूंगा।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** मैं नहीं समझता हूं कि सब सदस्यों के पास अब तक सही संख्यायें पहुंच गई हैं पर जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं जानता हूं कि मुझे कौन-कौन से संशोधन पेश करने हैं। मैं पहली सूची के संशोधन संख्या 4, 18, 22 और 30 और सूची 5 के संशोधन संख्या 148, 149, 151, 153, 154, 155 और 156 पेश करूंगा। एक या दो और होंगे, मैं तो जल्दी में इन अंकों को ही लिख सका।

श्रीमान्, सूची 1 के संशोधन संख्या 4 को मैं पेश करता हूं–

"कि उपरोक्त संशोधन संख्या 1 में प्रस्थापित अनुच्छेद 5 में 'At the date of commencement of this Constitution' शब्दों के स्थान में 'Every person who at the date of the commencement of this Constitution' शब्द रखे जायें।"

श्रीमान्, मैं 'तिथि' शब्द को भी निकाल दूंगा, और मेरे संशोधन द्वारा 'इस संविधान के प्रारम्भ पर प्रत्येक व्यक्ति' शब्दों को 'इस संविधान के प्रारम्भ की तिथि पर प्रत्येक व्यक्ति' शब्दों के स्थान में रखा जायेगा। मैं इस संशोधन की आवश्यकता की तुरन्त ही व्याख्या करूगा 'इस संविधान के प्रारम्भ की तिथि पर' पदावली ठीक नहीं है। इस संविधान में सब जगह हमने 'इस संविधान के प्रारम्भ पर' शब्द रखे हैं। ये शब्द स्पष्ट तथा निश्चित रूप से प्रारम्भ की 'तिथि' की

[श्री नज़ीरुद्दीन अहमद]

ओर निर्देश करते हैं। 'प्रारम्भ' तिथि की ही ओर निर्देश करता है। इसलिये मैंने 'तिथि' शब्द को निकाल देने का प्रयास किया है। यह अनावश्यक है और अन्य प्रसंगों में यह शब्द नहीं आता है। इस संशोधन का शेष भाग अनुच्छेद का केवल एक पुनर्प्रबन्ध है जिससे कि 'प्रत्येक व्यक्ति' का शब्दों पर अधिक जोर हो।

इसके बाद मैं सूची 1 के संशोधन संख्या 18 पर आता हूं। श्रीमान्, मैं संशोधन पेश करता हूं:

"कि उपरोक्त संशोधन संख्या 1 में प्रस्थापित अनुच्छेद 5-क में 'now included in Pakistan' शब्दों के स्थान में 'which at the commencement of this Constitution is situated within the Dominion of Pakistan' शब्द रखे जायें।"

श्रीमान्, मैं निवेदन करता हूं कि अनुच्छेद 5-क के प्रसंग में, जिस रूप में कि डॉ. अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को प्रस्थापित किया है, 'अब' शब्द बड़ा अनिश्चित है। किसी रूप में भी यह निश्चयबोधक नहीं है। यदि 'राज्य-क्षेत्र जो अब पाकिस्तान में है' पदावली का प्रयोग किया जाता है तो हम यह नहीं जानते कि किस कालावधि के लिये 'अब' शब्द निर्देशित है। क्या यह शब्द उस तिथि की ओर निर्देश करता है जिस तिथि को यह संशोधन स्वीकार किया गया है? क्या यह 11 अगस्त सन् 1949 ई. की ओर निर्देश करता है अथवा क्या यह उस तिथि की ओर निर्देश करता है जिस तिथि से यह संविधान प्रवृत्त होगा अथवा क्या यह उस समय की ओर निर्देश करता है जब कोई अधिवक्ता अथवा स्मृतिज्ञ इस अनुच्छेद को पढ़ेगा? सच तो यह है कि अब शब्द बड़ा ही अनिश्चयबोधक है। अतः 'अब' शब्द के स्थान में मैं 'इस संविधान के प्रारम्भ पर' शब्दों को रखना चाहूंगा। शेष भाग केवल शाब्दिक है। 'अब' शब्द बहुत ही आपत्तिजनक है, वह अस्पष्ट है और उसके कारण कुछ मतभेद भी हो सकता है।

इसके बाद जिस संशोधन को मैं पेश करना चाहूंगा वह प्रथम सूची में संशोधन संख्या 22 है। श्रीमान्, मैं उसे पेश करता हूं:

"कि उपरोक्त संशोधन संख्या 1 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद 5-क के खण्ड (ख) के उपखण्ड (2) में से 'date of ' शब्दों को निकाल दिया जाये।"

इन शब्दों के निकालने के कारण मैं बता चुका हूं। यदि हम इन शब्दों को निकाल देते हैं तो पाठ इस प्रकार का हो जायेगा, 'इस संविधान के प्रारम्भ पर' इसका निश्चित रूप से इस संविधान के प्रारम्भ की तिथि ही है।

श्रीमान्, मैं संशोधन पेश करता हूं:

"कि उपरोक्त संशोधन संख्या 1 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद 5-ख में 'made by Parliament' शब्दों के स्थान में 'made in this behalf by Parliament, शब्द रखे जायें।"

यह केवल शाब्दिक संशोधन है और सुधार के रूप में मैंने इसे रखा है। इस पर मसौदा-समिति द्वारा विचार किया जा सकता है। तृतीय सप्ताह की पहली सूची समाप्त हुई। इसके बाद मैं तृतीय सप्ताह की सूची 5 पर आता हूं।

श्रीमान्, मैं संशोधन पेश करता हूं:

"कि संशोधन पर संशोधन की सूची 1 (तृतीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 1 में प्रस्थापित अनुच्छेद 5 में से 'date of' शब्दों को निकाल दिया जाये।"

इस संशोधन का निर्देश उसी बात की ओर है और शायद यह संशोधन संख्या 4 का प्रतिरूप है। यदि यही बात है तो यह संशोधन अनावश्यक होगा। मैं सूची 5 में के संशोधन संख्या 149 को भी पेश करता हूं:

श्रीमान्, मैं संशोधन पेश करता हूं:

"कि संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (तृतीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 1 में प्रस्थापित अनुच्छेद 5 के खण्ड (ग) में से 'the date of' शब्दों को अपमार्जित किया जाये।"

इसकी आवश्यकता मैं समझा चुका हूं। इसके बाद मैं संशोधन संख्या 151 पेश करता हूं:

"कि संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (तृतीय सप्ताह) में प्रस्थापित नये अनुच्छेद 5-क में 'a person' शब्दों के स्थान में 'any person' शब्द रखे जायें।"

प्रस्थापित अनुच्छेद 5-क का पाठ इस प्रकार है:

"इस संविधान के अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति (a person) जो भारत के राज्य-क्षेत्र में प्रव्रजन कर गया है" और इसमें 'कोई व्यक्ति' (any person) शब्द अधिक उपयुक्त होंगे। प्रस्थापित अनुच्छेद 5-ख में इसी प्रसंग के अन्तर्गत 'कोई व्यक्ति।' (any person) शब्दों का प्रयोग किया गया है। A person शायद अस्पष्ट है और यद्यपि any person का अर्थ वही है पर यह अधिक उपयुक्त है और साथ ही साथ यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो इस खण्ड तथा खण्ड 5-ख का मसौदा एकसा हो जायेगा। यह मसौदा सम्बन्धी संशोधन है और मसौदा-समिति के विचारार्थ इसे छोड़ा जा सकता है।

इसके बाद मैं संशोधन संख्या 153 पेश करता हूं:

"कि संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (तृतीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 1 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद 5-क के खण्ड (ख) के उपखण्ड (2) में से 'date of' शब्दों को अपमार्जित किया जाये।"

यह पद संविधान के प्रारम्भ की तिथि के सम्बन्ध में आता है। जैसाकि मैं पहले समझा चुका हूं ये शब्द अनावश्यक हैं।

[श्री नज़ीरुद्दीन अहमद]

इसके बाद मैं संशोधन संख्या 154 पेश करता हूं:

"कि संशोधनों पर संशोधनों की सूची 4 (तृतीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 130 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद 5-कक में 'a person' शब्दों के स्थान में 'any person' शब्द रखे जायें।"

इस संशोधन की आवश्यकता को मैं बता चुका हूं।

मैं संशोधन संख्या 155 को भी पेश करता हूं:

"कि संशोधनों पर संशोधनों की सूची 4 (तृतीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 130 और 131 के निर्देश से प्रस्थापित अनुच्छेद 5-कक में 'now included in Pakistan' शब्दों के स्थान में 'which at the commencement of this Constitution is included in the Dominion of Pakistan' शब्द रखे जायें।"

इस संशोधन का मुख्य प्रयोजन यह है कि 'अब' शब्द को हटाकर उसके स्थान में इस अनुच्छेद के प्रसंग के अनुकूल एक अधिक निश्चयबोधक पद जैसे कि 'प्रारम्भ पर' रखा जाये। इस संशोधन का शेष भाग शाब्दिक है।

इसके बाद मैं अपने संशोधन संख्या 156 को भी पेश करता हूं:

"कि संशोधनों पर संशोधनों की सूची 4 (तृतीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 133 में प्रस्थापित अनुच्छेद 6 के स्थान में निम्न अनुच्छेद रखा जाये:-

'6. Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this Part, Parliament may by law make further provisions with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship.

Provided that the making of any law by Parliament referred to in this article shall not be deemed to be an amendment of this Constitution within the meaning of article 304 of this Constitution.' "

[6. इस भाग के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी नागरिकता के अर्जन और अवसान के सम्बन्ध के तथा नागरिकता सम्बन्धी अन्य विषयों के सम्बन्ध के और भी उपबन्ध संसद विधि द्वारा बना सकेगी:

पर संसद द्वारा इस अनुच्छेद में निर्देशित किसी विधि का बनाना इस संविधान के अनुच्छेद 304 के अर्थ के अंतर्गत संविधान का संशोधन नहीं समझा जायेगा।]

इस संशोधन का प्रथम भाग अर्थात प्रस्थापित अनुच्छेद 6 का मुख्य अंग न्यूनाधिक रूप से शाब्दिक है, पर परन्तुक नया है और मैंने इसका सुझाव केवल उन कठिनाइयों के निराकरण करने के लिये किया है जो इस संविधान के संशोधन के रूप में समझी जायेगी। संविधान में हम नागरिकता के कुछ नियमों का उपबन्ध कर रहे हैं। अनुच्छेद 6 के द्वारा हम संसद को और भी विधि बनाने का प्राधिकार दे रहे हैं जिससे कि बाद में यदि संसद ऐसा करे तो यह न कहा जाये कि उसका प्रभाव संविधान के संशोधन के रूप में होगा क्योंकि ऐसा सम्भव हो सकता है कि संसद ऐसी विधियां बनाये जो विचाराधीन खण्डों के रद्द कर दे अथवा कम से कम उनका रूप परिवर्तन कर दे। इस कार्य में स्वयं संविधान का संशोधन अन्तर्ग्रस्त होगा। एक इसी प्रकार के प्रसंग में हमने यह उपबन्ध करने की सावधानी की है कि संसद द्वारा ऐसे संशोधन किये जा सकते हैं जिनका रूप तंत्रवत हो और जो संविधान की जड़ तक नहीं पहुंचते हों और ऐसी दशाओं के लिये चेतावनी के रूप में हमने यह उपबन्ध किया है कि संसद द्वारा किये गये इन संशोधनों को अनुच्छेद 304 के अन्तर्गत संविधान का संशोधन नहीं समझा जायेगा। अत: यदि कोई ऐसा वाद-विवाद हो जाता है कि ये संशोधन संविधान के संशोधन हैं तो संविधान के संशोधन करने के पूरे के पूरे तंत्र के संचालित हो जोने से एक उलझन पैदा हो जायेगी जो सुलझ न सकेगी और जो बहुत ही असुविधाजनक होगी। ऐसे छोटे विषय को पूर्णतया संसद पर छोड़ देना चाहिये और इसे संविधान का संशोधन नहीं समझना चाहिये। मेरे ये संशोधन हैं।

डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्थापित ये सबके सब अनुच्छेद अनावश्यक रूप से जटिल हैं और जैसाकि डॉ. देशमुख ने बताया है इनके द्वारा भारतीय नागरिकता बहुत सरल हो जायेगी। मैं तो यहां तक कहूंगा कि इससे भी अधिक कोई बात हो जायेगी। डॉ. देशमुख के उदाहरण को लेते हुए कि वायुयान द्वारा यात्रा करती हुई यदि कोई विदेशिन बम्बई में किसी सन्तान की उत्पत्ति करती है तो उस बच्चे को तुरन्त ही भारत की नागरिकता मिल जाती है। डॉ. देशमुख समझते हैं कि उस बच्चे को इस प्रकार भारतीय नागरिकता प्रदान करना एक बड़ा भद्दा आधार है। मैं निवेदन करूंगा कि इसके कारण भयानक परिणाम हो सकते हैं। इस उदाहरण में बच्चे की मां एक विदेशिन है। ऐसा हो सकता है और है भी यह सीधी सी बात कि उसके देश की विधि उस बच्चे को अपने यहां के नागरिक होने का दावा करेगी। वास्तव में नागरिकता माता-पिता की नागरिकता के अनुसार चलती है। पिता का अधिवास बच्चे का भी अधिवास होगा। अत: पिता अथवा माता के अधिवास और उस बच्चे की भारतीय नागरिकता में परस्पर स्पर्धा होगी। एक ओर भारत उस बच्चे पर अपनी नागरिकता का दावा करेगा ओर उस बच्चे की मां उस बच्चे को अपने देश का नागरिक होने का दावा करेगी। यह भी हो सकता है कि पिता किसी और राष्ट्र का हो और वह उस बच्चे को अपने राष्ट्र का होने का दावा करे। तीनों देश परस्पर स्पर्धा करेंगे और उस बच्चे को अपने-अपने राष्ट्र का होने का दावा करेंगे। इस दृष्टान्त को जरा और बढ़ाते हुए उस बच्चे के महाजनकों को लीजिये—चार महाजनकों को माता के माता-पिता और पिता के माता-पिता। फिर इसी प्रकार चार दावा करने वाले हुए जिनकी राष्ट्रीय के आधार पर उस बच्चे की नागरिकता विनिश्चित की जायेगी। चार विभिन्न देश उस बच्चे पर अपना-अपना दावा कर सकते हैं। इससे अधिक और क्या होगा कि वह बच्चा एक विशेष अनिश्चित सी स्थिति में पड़ जायेगा कि भारत की नागरिकता अथवा

[श्री नज़ीरुद्दीन अहमद]

अपने माता या पिता की राष्ट्रीयता और चार महाजनकों की राष्ट्रीयता में से किसको स्वीकार करे और किसको नहीं। यह एक बड़ी गड़बड़ की सी दशा हो जायेगी। जिस रीति से इन अनुच्छेदों की उत्पत्ति हुई है और जिस प्रकार ये सभा में प्रस्तुत किये गये हैं और जिस प्रकार से रोजाना संशोधन आ रहे हैं, इन बातों के प्रति और तो क्या कहा जा सकता है सिवा इसके कि डॉ. देशमुख के कथन को उद्धृत किया जाये कि ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। मेरा विचार है कि इस कठिन तथा पेचीदे विषय को इस प्रकार नहीं निपटाना चाहिये और मैं इस बात को कहीं अच्छा समझता कि इन अनुच्छेदों पर विचार स्थगित कर दिया जाता और सदस्यों को इन सुझाये गये संशोधनों के सहित इस समूचे विषय पर विचार करने दिया जाता। मैं देखता हूं कि मैं ही एक ऐसा सदस्य इस सभा का नहीं हूं जिसे समूचे की दूसरी प्रति को समझना कठिन प्रतीत होता हो क्योंकि हमें संशोधनों पर विचार करना पड़ता है और उनको प्रसंगानुकूल रखना पड़ता है तथा उनके प्रभाव पर विचार करना पड़ता है। जैसाकि में निवेदन कर चुका हूं इस सभा में मुझ जैसे बहुत से सुस्त सदस्य हैं जिनको इन प्रस्थापित नये अनुच्छेदों की केवल पेचीदगियों को समझना ही नहीं बल्कि संशोधन प्रस्थापित करना भी मेरी तरह से कठिन प्रतीत होता है। इस स्थिति के कारण बहुत से सदस्य उदासीन हो जाते हैं और हम आपकी उस न्यायोचित टिप्पणी की प्रशंसा करते हैं जिसमें आपने कल यह कहा था कि बहुत से सदस्य संशोधन तथा विचाराधीन विषय से कोई सम्बन्ध न रखते हुए वाद-विवाद में रुचि रखते हैं। इसका वास्तविक कारण यह है कि ठीक-ठीक विचार-विमर्श के लिये सदस्यों के मन में संशोधन तथा नये विचार कुछ समय बाद उत्पन्न होते हैं। इन अनेक अनुच्छेदों के विषय से तो अनिवार्यत: अरुचि पैदा हो जायेगी क्योंकि बिना किसी त्रुटि के इनको समझना जरा कठिन है। क्योंकि ये विषय कठिन हैं और इनमें विसंगतियां भी हैं इस कारण मैं समझता हूं कि यदि आगे और विचार करने के लिये यदि हम इन अनुच्छेदों को स्थगित कर देंगे तो और भी अधिक उलझनें पैदा होंगी। अत: सर्वोत्तम मार्ग यही है कि इन अनुच्छेदों को स्वीकार किया जाये और अनुच्छेद 6 के बहाने से यदि कोई सुधार अथवा परिवर्द्धन की आवश्यकता हो तो उसके लिये उपबन्ध कर दिया जाये। इससे किसी सीमा तक कुछ उलझनों से मुक्ति मिल जायेगी जो अनजाने में और संशोधनों द्वारा पैदा हो जायेगी। इससे सदस्यों को विषय पर अधिक गम्भीर विचार करने का बहाना भी मिल जायेगा। हम अपने विचार और परिश्रम, भावी संसद को सौंप देंगे जो इन मसौदों में यदि कोई दोष होंगे तो उनको दूर कर देगी। इनका समझना बड़ा कठिन होगा और इसके कारण केवल सरल नागरिकता प्रदान करना ही नहीं बल्कि राष्ट्रीयता सम्बन्धी ऐसी गड़बड़ी हो जायेगी जिससे हम मुसीबत में पड़ जायेंगे।

***श्री जसपतराय कपूर** (संयुक्तप्रान्त: जनरल): अध्यक्ष महोदय, मेरे नाम का पहला संशोधन तृतीय सप्ताह की सूची 1 में संशोधन संख्या 5 है जो इस संविधान के प्रारम्भ के बाद नागरिकता की परिभाषा से सम्बन्ध रखता है। कल डॉ. अम्बेडकर ने जो व्याख्या की थी उसको ध्यान में रखते हुए जिसमें उनका उद्देश्य यह था कि नागरिकता की परिभाषा को इस संविधान की प्रारम्भ तिथि के लिये ही सीमित रखा जाये और विशेषकर आपकी मंत्रणा को ध्यान में रखते हुए कि हम अपनी बातों को केवल प्रश्न के इसी पहलू तक सीमित रखें, मैं अपना संशोधन पेश

करने का साहस नहीं करता हूं। पर, श्रीमान्, मैं देखता हूं कि जो मसौदा डॉ. अम्बेडकर ने पेश किया है वह केवल अस्थायी मसौदा ही नहीं है वरन् वह एक ऐसा सीमित सा मसौदा है कि इस संविधान के प्रारम्भ होने की तिथि के पश्चात् यहां तक कि उस समय के लिये भी जब तक कि संसद तत्सम्बन्धी विधि बनाये नागरिकता के अधिकार प्राप्त करने के लिए कोई भी उपबन्ध नहीं करता है। अतः मैं डॉक्टर से गम्भीर विचार करने के लिए निवेदन करता हूं कि क्या यह उचित नहीं होगा कि इस संशोधन में निहित सुझाव को स्वीकार किया जाये। सुझाव इस प्रकार है:

"कि उपरोक्त संशोधन संख्या 1 के प्रस्थापित अनुच्छेद 5 में 'at the commencement of this Constitution' शब्दों के पश्चात् 'and thereafter' शब्द प्रविष्ट किये जायें; और खण्ड (क) में 'was' शब्द के पश्चात् 'or is' शब्द प्रविष्ट किये जायें; अथवा विकल्पतः संशोधन संख्या 1 के निर्देश से निम्न नया अनुच्छेद 5 (घ) के रूप में प्रविष्ट किया जाये:

'After the date of the commencement of this Constitution, every person who possesses the qualifications mentioned in article 5 of this Constitution shall, subject to the provisions of any law that may be made by Parliament, be a citizen of India; provided that he has not voluntarily acquired the citizenship of any foreign State.' "

(इस संविधान की प्रारम्भ तिथि के पश्चात् प्रत्येक व्यक्ति, जो इस संविधान के अनुच्छेद 5 में उल्लिखित अर्हताओं को रखता है वह संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन भारत का नागरिक होगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त नहीं की है।)

***अध्यक्षः** आपने 'continue to be' शब्दों को छोड़ दिया।

***श्री जसपतराय कपूरः** वे गलत छप गये हैं। यह केवल इस प्रकार पढ़ा जायेगा 'shall be a citizen of India'..... मैं आशा करता हूं कि इस सुझाव पर डॉ. अम्बेडकर गम्भीर विचार करेंगे और उसे स्वीकार्य समझेंगे।

इसके बाद का संशोधन जो मेरे नाम से है वह संख्या 13 है पर चूंकि यह संशोधन, संशोधन संख्या 130 में आ जाता है जिसको डॉ. अम्बेडकर पेश कर चुके हैं अतः मैं उसे पेश नहीं करना चाहता हूं। संशोधन संख्या 8 या 9 में से मैं किसी को भी पेश नहीं कर रहा हूं। इसके बाद मैं संशोधन संख्या 31 पर आता हूं जिसको मैं पेश कर रहा हूं:

"कि उपरोक्त संशोधन संख्या 1 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद 5-ख में से 'deemed to be' शब्दों को अपमार्जित किया जाये।"

[श्री जसपतराय कपूर]

एक और संशोधन संख्या 19 मेरे तथा श्री सिधवा के नाम से है, उसे मैं श्री सिधवा द्वारा पेश होने के लिये छोड़ता हूं क्योंकि इस संशोधन में वे मेरे बड़े हिस्सेदार हैं।

इसके बाद जिस संशोधन को मैं पेश करना चाहूंगा वह संशोधन संख्या 124 है, जो इस प्रकार है:

"कि संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (तृतीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 1 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद 5-क में 'who' शब्द के पश्चात् एक अर्द्धविराम और 'on account of civil disturbance or the fear of such disturbances' शब्द प्रविष्ट किये जायें।"

मेरे नाम से कुछ और भी संशोधन हैं, पर मैं उनमें से किसी को पेश नहीं करना चाहता हूं।

श्रीमान्, नागरिकता की परिभाषा से सम्बंधित इस अनुच्छेद 5 का बड़ा रंग बिरंगा इतिहास रहा है। मसौदा-समिति ने समय-समय पर हमारे विचार करने के लिये अनेक मसौदों को प्रस्तुत किया और प्रत्येक मसौदा अपने पूर्ववर्ती मसौदे से अच्छा समझा जाता था, पर जब-जब वह हमारे सामने परीक्षण तथा विचार के लिये प्रस्तुत हुआ उसे दोषपूर्ण समझा गया तथा पर्याप्त रूप में व्यापक नहीं समझा गया अत: उसको फिर मसौदा-समिति के पास दुबारा मसौदा बनाने और उसमें सुधार करने के लिए भेजा गया। इस सत्र में भी मसौदा-समिति से संशोधन पर संशोधन तब तक आते रहे जब तक कि हमारे सामने वह मसौदा प्रस्तुत न हुआ जिसको डॉ. अम्बेडकर ने कल पेश किया था। आइये, देखें कि क्या यह मसौदा भी संतोषदायक है या नहीं। मुझे भय है कि कहीं यह भी सन्तोषजनक तथा व्यापक न हो। सर्वप्रथम हम यह देखते हैं कि यह नागरिकता की परिभाषा केवल संविधान के प्रारम्भ होने की तिथि के लिये ही करता है और उस स्थिति के बाद नागरिकता प्राप्त करने के लिए कोई उपबन्ध नहीं करता है। हां, अनुच्छेद 5(ग) के अधीन इस संविधान को प्रारम्भ तिथि पर प्राप्त किया गया अधिकार उसके बाद भी नागरिकों के पास बना रहता है, पर यह सब होते हुए भी इस तिथि के पश्चात् नागरिकता का अधिकार प्राप्त करने के लिये वह कोई उपबन्ध नहीं करता है। इसको सुविधापूर्वक संसद के विचार पर छोड़ दिया गया है। अभी तक जो कार्यक्रम सोचा गया है उसके अनुसार इस संविधान के प्रारम्भ होने की तिथि 26 जनवरी सन् 1950 होगी। अत: इसका यह अर्थ हुआ कि 26 जनवरी सन् 1950 वह अंतिम काल होगा जिस काल तक नागरिकता का अधिकार प्राप्त कर लेना चाहिये और 26 जनवरी 1950 की अर्द्धरात्रि के पश्चात् इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। इस स्थिति को मैं बहुत ही असन्तोषजनक स्थिति समझता हूं। हां इस बात को तो मैं ठीक समझ सकता हूं कि नागरिकता की एक व्यापक परिभाषा बनाना आज कोई सरल काम नहीं है। इस समय इस बात का विचार करना कदाचित सम्भव न हो सके कि नागरिकता का अधिकार प्राप्त करने के लिए किन-किन सम्भाव्य अर्हताओं की व्यवस्था की जाये और नागरिकता की एक बड़ी व्यापक परिभाषा बनाने के कार्य को संसद पर छोड़ दिया जाये;

पर मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता है कि हम, जबकि मेरे विचारानुसार यह कार्य बहुत ही सरल है, इस बात का प्रयास क्यों न करें कि इस संविधान की प्रारम्भ तिथि और इस विषय पर संसद द्वारा किसी विधि के अधिनियमित करने की तिथि में मध्यवर्ती काल के लिये इस अधिकार के प्राप्त करने के लिये व्यवस्था बनाई जाये। क्या यह बहुत असंतोषजनक नहीं है कि उन लोगों के लिये हम कोई भी उपबन्ध न करें जिनका जन्म 26 जनवरी सन् 1950 की अर्द्धरात्रि के पश्चात् होगा ओर उन लोगों के इस अधिकार के प्राप्त करने के लिये कोई उपबन्ध न करें जो इस देश में अधिवास कर रहे हैं और जो जनवरी सन् 1950 के कुछ समय के पश्चात् पांच वर्ष की निवास अवधि को पूरा कर लेंगे? यह कमी स्पष्ट दिखाई देती है। इस संविधान की प्रारम्भ तिथि से लेकर उस तिथि तक जबकि संसद नई विधि बनायेगी लाखों आदमी इस देश के नागरिक नहीं समझे जायेंगे। इस कष्ट का अनुभव इस सभा के कई सदस्यों को भी होगा जिनकी अभी-अभी शादी हुई है—इस श्रेणी में कुछ माननीय मंत्री भी आ जाते हैं—और जिनके 26 जनवरी सन् 1950 के बाद बच्चे होंगे और जो ऐसे बच्चों के पिता होने के नाते जो इस देश के नागरिक नहीं है, अपने आपको एक बड़ी दु:खदायी तथा असुविधाजनक स्थिति में पायेंगे। इस स्थिति में जो विसंगति है वह और भी अधिक हास्यास्पद हो जाती है जब हम अनुच्छेद 5-ख में यह देखते हैं—इस सम्बन्ध का भाग इस अनुच्छेद में इस प्रकार है:

> "यदि किसी व्यक्ति के नागरिकता प्राप्ति के आवेदन-पत्र के अपने द्वारा उस देश में जहां वह तत्समय निवास कर रहा है, भारत के राजनयिक या वाणिज्यिक प्रतिनिधियों को इस संविधान के प्रारम्भ के पहले या बाद, दिये जाने पर ऐसे राजनयिक या वाणिज्यिक प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक पंजीबद्ध कर लिया है तो वह भारत का नागरिक समझा जायेगा।"

विशेषकर मैं 'बाद' शब्द की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसका यह आशय है कि जबकि अनुच्छेद 5-क में नागरिकता की परिभाषा इस संविधान की प्रारम्भ तिथि के लिये ही सीमित रखी गई है, पर अनुच्छेद 5-ख के अनुसार उन लोगों के लिये जो न यहां पैदा हुए हैं अथवा न यहां रह रहे हैं बल्कि जो विदेशों में पैदा हुए हैं अथवा वहीं रह रहे हैं इस संविधान की प्रारम्भ तिथि के बाद भी यदि पंजीबद्ध करने के लिये वहां के भारतीय दूतावास को आवेदन-पत्र दिया जाता है, तो उनको नागरिक के रूप में पंजीबद्ध कर लिया जायेगा। अत: यह स्पष्ट है कि उन लोगों की अपेक्षा, जिनका जन्म विदेशों में हुआ है—यह अवश्य है कि भारतीय जनकों द्वारा—उन लोगों को हानि पहुंचाई जा रही है जिनका जन्म इस देश में हुआ है। यह कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे अपने आप नागरिक बन सकें क्योंकि उनको पंजीबद्ध किया जायेगा और यह भी कहा जा सकता है कि हमारी सरकार द्वारा कुछ नियम बनाये जायेंगे जिनमें ऐसी शर्तें निर्धारित की जायेंगी जिनके अधीन उनको पंजीबद्ध किया जा सके अथवा इस विषय पर बाद में एक विधि—व्यापक विधि बनाई जायेगी जिसमें इन सब आकस्मिकताओं पर ध्यान दिया जायेगा। अनुच्छेद 5-ख के अनुसार पाकिस्तान का कोई नागरिक, जिसे हम अपनी नागरिकता की परिभाषा से बाहर रख रहे हैं, यदि वह विदेश में जाता है और हमारे दूतावास को आवेदन-पत्र देता है तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीबद्ध किया जा सकता है। इस अनुच्छेद 5-ख में वह शर्त नहीं रखी गई है जो हमें अनुच्छेद 5-क में मिलती है कि

[श्री जसपतराय कपूर]

उसने किसी विदेशी नागरिकता के अधिकार अर्जित न किये हों। यह कहा जा सकता है कि ऐसी विसंगत स्थिति को हम नहीं रहने देंगे और इस विषय पर हम आवश्यक विधि बनायेंगे। यह सच है पर मैं देखता हूं कि उसी रक्षाकवच को, जो मूलत: मूल अनुच्छेद में इस प्रकार था "और संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के उपबन्ध के अधीन", अपमार्जित करने की प्रस्थापना की है। मूलत: वह इस प्रकार था "इस संविधान के अनुच्छेद 5 और 5-क में किसी बात के होते हुए भी तथा संसद द्वारा किसी निर्मित विधि के उपबन्धों के अधीन इत्यादि इत्यादि"। यदि यह रक्षात्मक खण्ड हो तब तो 5-ख के उपबन्धों में जो दोष हमें दिखाई देगा उसको दूर किया जा सकता है। श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने कल एक संशोधन पेश किया था जिसको डॉ. अम्बेडकर ने पेश होने के पूर्व ही बड़ी उदारता तथा प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। मैं नहीं समझा पाता हूं कि श्री कृष्णमाचारी ने किस उद्देश्य से इन शब्दों के अपमार्जन का सुझाव दिया है। यदि उनका विचार यह है कि वह व्यर्थ है, क्योंकि अनुच्छेद 6 के अधीन संसद को यह निर्धारित करते हुए कोई नहीं विधि बनाने का अधिकार होगा कि नागरिकता के अधिकार अर्जन करने के लिए क्या-क्या अर्हतायें होनी चाहिये, तो मैं निवेदन करता हूं...।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी** (मद्रास: जनरल): क्या मैं यह संकेत कर सकता हूं कि यदि वे यथा संशोधित अनुच्छेद 6 को पढ़ेंगे तो उनको मेरे संशोधन की व्याख्या मिल जायेगी।

***श्री जसपतराय कपूर:** मेरी आपत्ति के उत्तर में श्री कृष्णमाचारी जिस तर्क को हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे उसका मैंने सही अनुमान कर लिया था, परन्तु यदि यथा संशोधित अनुच्छेद 6 में यह विषय आ जाता है और इससे ये शब्द व्यर्थ हो जाते हैं तो क्या मैं उनसे यह पूछ सकता हूं कि फिर इन्हीं शब्दों को अनुच्छेद 5-ग में रखने की क्या आवश्यकता है? अनुच्छेद 5-ग में कहा गया है कि "प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है, ऐसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जो संसद द्वारा निर्मित की जाये, भारत का वैसा नागरिक बना रहेगा"। अनुच्छेद 5-ग में हमने ये शब्द रखें हैं। पर अनुच्छेद 5-ख में से इन शब्दों को, जो मूलत: उसमें थे, अब निकालने का प्रस्ताव किया गया है। यदि ये शब्द व्यर्थ हैं और अनुच्छेद 6 के नये मसौदे में आ जाते हैं तो इनको इन दोनों अनुच्छेदों में से निकाल देना चाहिये। यदि अनुच्छेद 5-ग में ये शब्द आवश्यक हैं तो अनुच्छेद 5-ख में ये और भी अधिक आवश्यक हैं।

मैं निवेदन करता हूं कि अनुच्छेद 5-ख में इन शब्दों का रहने देना आवश्यक है। मैं नहीं समझता हूं कि अनुच्छेद 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर संसद को कोई ऐसी विधि अधिनियमित करने का अधिकार होगा जो अनुच्छेद 5-ख के उपबन्धों के विरुद्ध हो। उन लोगों की नागरिकता के लिये अर्हतायें निर्धारित करने के लिये अनुच्छेद 5-ख एक निश्चित अनुच्छेद है जिनका उसमें उल्लेख किया गया है। संविधान के अधीन नागरिकता के अधिकार देने वाले एक निश्चित अनुच्छेद को संसद द्वारा निर्मित किसी परवर्ती विधि द्वारा नहीं बदला जा सकता है। जो होगा वहीं होगा, पर किसी प्रकार की संदिग्धता की सम्भावना से बचने के लिये यह आवश्यक है कि या तो इन शब्दों को दोनों 5-ख और 5-ग अनुच्छेदों में

रखा जाये और या इनको किसी में भी न रखा जाये। केवल अनुच्छेद 5-ग में इन शब्दों के रखने से यह भावना पैदा हो सकती है कि केवल 5-ग ही इस विषय पर किसी परवर्ती विधि के अधीन है और अनुच्छेद 5-ख किसी ऐसी परवर्ती विधि के अधीन नहीं है।

जिस प्रश्न को मैंने आरम्भ में उठाया था, उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि हम अनुच्छेद 5 का इस प्रकार से संशोधन करें कि उसमें वे लोग भी आ जायें, जिनका जन्म भारत में भारतीय जनकों द्वारा 26 जनवरी सन् 1950 के पश्चात हो। मेरे सुझाव के तुरन्त स्वीकार हो जाने में मुझे कोई भी कठिनाई नहीं दिखाई देती है। यदि उसको स्वीकार कर भी लिया जाये तो भी अनुच्छेद 5 नागरिकता की एक पूर्ण रूप से स्थायी परिभाषा नहीं होगी; उसको अनुच्छेद 6 के अधीन संशोधित अथवा परिवर्तित किया जा सकता है। जैसाकि अभी श्री टी. टी. कृष्णमाचारी ने कहा था। मैं केवल यह चाहता हूं कि जो कमी उसमें है उसे पूरा कर दिया जाये। यह न कहने दीजिये कि 26 जनवरी सन् 1950 के शुभ दिवस के बाद का समय इतना अशुभ था कि इस तिथि के बाद और नई विधि अधिनियमित होने की तिथि से पहिले जिन लोगों का जन्म हुआ, वे इतने अभागे थे कि जन्मना वे इस देश के नागरिक नहीं हुये। अत: मैं बड़ी गम्भीरता तथा सम्मानपूर्वक यह सुझाव रखता हूं कि जिस रूप का मैंने सुझाव दिया है, उस रूप में अनुच्छेद 5 को संशोधित किया जाये। यह "इस संविधान की प्रारम्भ तिथि" के पश्चात केवल "और उसके बाद" शब्द जोड़ देने से हो सकता है।

दूसरा प्रश्न जिसकी ओर मैं निर्देश करना चाहता हूं, वह अनुच्छेद 5-क के सम्बन्ध में है। यह अनुच्छेद उन लोगों के सम्बन्ध में है, जो विभाजन के बाद भारत में प्रव्रजन कर आये हैं। उनको "भारत का नागरिक समझा जायेगा"। इस अनुच्छेद में मैं विशेषकर "समझा जायेगा" शब्दों के बने रहने पर आपत्ति करता हूं। अनुच्छेद इस प्रकार है:

> "अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुये भी कोई व्यक्ति, जो पाकिस्तान के इस समय अन्तर्गत राज्य-क्षेत्र से भारत राज्य-क्षेत्र की प्रव्रजन कर आया है, इस संविधान के प्रारम्भ पर भारत का नागरिक समझा जायेगा।"

मैं नहीं समझता हूं कि किस विशेष उद्देश्य के कारण "समझा जायेगा" शब्दों को यहां रखा गया है।

यह अनुच्छेद उन लोगों द्वारा नागरिकता के अधिकार अर्जन से सम्बन्ध रखता है, जो भारत में प्रव्रजन कर आये हैं। मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता है कि भारत में प्रव्रजन करने के बाद अधिकार के रूप में उनको भारत का नागरिक क्यों नहीं माना जाता है और ऐसा सुझाव क्यों दिया जाता है कि अनुकम्पा के रूप में हम उनको यह अधिकार दे रहे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे उन भाइयों को शायद इसके कारण बहुत अधिक दु:ख हो, जिन्होंने पाकिस्तान से अपनी इस पवित्र और प्यारी भूमि में प्रव्रजन करने के लिए अनेक कष्ट सहे, वेदनायें और यातनायें उठाई। उस देश को आते हुये मार्ग में हर समय वे अपनी इस प्यारी मातृभूमि के बारे में सोचते रहे, उसकी सीमा तक पहुंचने के लिये आशा तथा प्रार्थना करते रहे और सीमाओं पर पहुंचते ही दु:ख से छुटकारा पाने

[श्री जसपतराय कपूर]

की एक महान् भावना के साथ उन्होंने 'जय हिन्द' का नारा लगाया, वह नारा जिसने हमारे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उत्साह भर दिया। इस देश में पहुंचने के लिये, इसके प्रति अपनी निष्ठा अर्पण करने के लिये वे इतने उत्सुक थे, पर फिर भी हम उनको यह नागरिकता का अधिकार की अपेक्षा अधिकतर दया के रूप में दे रहे हैं। श्रीमान् इसके लिये मैं कोई कारण नहीं देखता हूं। इसके विपरीत इन शब्दों के निकालने के पक्ष में और अपने शरणार्थी भाइयों को सन्तोष देने के लिये मुझे एक बहुत बड़ा कारण दिखाई देता है। ऐसे विषयों में सहानुभूतिपूर्वक कार्य करना और अपने शरणार्थी भाइयों को मानसिक सन्तोष प्रदान करना सदैव सर्वोत्तम कार्य है। अत: मैं सम्मानपूर्वक सच्चे हृदय से यह सुझाव करता हूं कि इस शब्दों को अपमार्जित किया जाये, क्योंकि इन शब्दों के अपमार्जन से हानि कुछ नहीं होगी और लाभ अधिक होगा।

इसी प्रकार श्रीमान्, अनुच्छेद 5-ख में से 'समझे जायेंगे' शब्दों का अपमार्जन किया जाये, यद्यपि अनुच्छेद 5-क में से इन शब्दों का अपमार्जन करना अनुच्छेद 5-ख में से अपमार्जन करने से अधिक आवश्यक है।

इसके बाद मैं संशोधन संख्या 124 पर आता हूं, जिसे मैं पढ़ चुका हूं। उसमें कहा गया है कि 'who' शब्द के पश्चात् एक अर्द्ध विराम और 'on account of civil disturbances or the fear of such disturbances' शब्द प्रविष्ट किये जायें। अत: इन शब्दों के जोड़ देने के बाद अनुच्छेद 5-क इस प्रकार पढ़ा जायेगा:

> "अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुये भी कोई व्यक्ति जो असैनिक विद्रोहों अथवा इन विद्रोहों से भयभीत होने के कारण भारत राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन कर आया है.....।"

श्रीमान्, मेरे इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि इस अनुच्छेद को कुछ अन्य विधानों के अनुरूप कर दिया जाये, जो प्रवर्तन में पहले से आ रहे हैं। मेरा अभिप्राय निष्क्रान्त सम्पत्ति सम्बन्धी विधान से है। केवल केन्द्र में ही नहीं वरन् देश के अनेक प्रान्तों में पश्चिमी बंगाल, आसाम और शायद मद्रास को छोड़कर सबमें निष्क्रान्त सम्पत्ति अध्यादेश प्रवृत्त है। इस अध्यादेश के अनुसार एक निष्क्रान्त व्यक्ति की परिभाषा यह है कि वह व्यक्ति जिसने असैनिक विद्रोहों अथवा इन विद्रोहों से भयभीत होकर राज्य-क्षेत्र को छोड़ दिया हो। श्रीमान्, यह बात मुझे बहुत ही तर्कसंगत तथा युक्तियुक्त प्रतीत होती है कि अनुच्छेद 5-क जैसे उपबन्ध में हमें यह कहना चाहिये कि वे विशेष कारण क्या हैं, जो हमें ऐसा उपबन्ध बनाने के लिए मार्ग प्रदर्शित कर रहे हैं। हमें यहां निश्चित रूप से यह प्रकट कर देना चाहिये कि हमारा उद्देश्य यह नहीं था कि उन लोगों को नागरिकता का अधिकार दें, जो हमारे देश प्रव्रजन करना चाहते थे, पर हम ऐसे लोगों को कुछ कारणों वश यह अधिकार देना चाहते हैं और एक विशेष कारण यह है कि इन लोगों ने अपने मूल निवास स्थान में ठहरना कठिन समझा। हमको यह निश्चित रूप में निर्धारित कर देना चाहिये कि वे क्या कारण हैं, जिनके कारण हम एक ऐसा उपबन्ध बना रहे हैं, जो अनुच्छेद में दिया हुआ है। अत: मैं समझता हूं कि अपने इस उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिये जिन शब्दों का मैंने सुझाव दिया है, उनको रखना बहुत आवश्यक है।

इसके बाद श्रीमान्, एक और संशोधन के सम्बन्ध में, जिसकी श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने पेश किया है, मुझे एक बात और कहनी है, अर्थात् संशोधन संख्या 131 के सम्बन्ध में। यह संशोधन श्री टी.टी. कृष्णमाचारी के नाम से है। मैं नहीं जानता हूं कि वह कौन सा खास कारण था, जिसकी वजह से डॉ. अम्बेडकर स्वयं इस संशोधन से अलग हो गये, यद्यपि अपने संशोधन को समूचे रूप में पेश करते हुए उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया है। मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि उन्होंने इसे क्यों मन्जूर किया, जबकि आरम्भ में उन्होंने इस संशोधन के साथ अपने आपको सम्बंधित करना पसन्द नहीं किया था।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर** (बम्बई: जनरल): पर उन्होंने तो उसे पेश तक नहीं किया है। ओह, वह परन्तुक–हां, उसको मैंने स्वीकार कर लिया है।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** वह डॉ. अम्बेडकर के नाम से नहीं है, बल्कि श्री गोपाल स्वामी और मेरे नाम से है।

***श्री जसपतराय कपूर:** यही तो मैं कह रहा था। अत: मैं बिल्कुल सही सही कह रहा था। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि यह बात डॉ. अम्बेडकर को एक अचम्भे की सी मालूम हुई। मैं कह चुका हूं कि यह संशोधन उन्होंने स्वीकार कर लिया है। वे इस ख्याल में थे कि उसको पेश ही नहीं किया गया है और यदि उन्होंने अनजाने भूल में उसे स्वीकार कर लिया है, तो मैं आशा करता हूं कि वे इसे तुरन्त ही ठीक कर लेंगे और हमें यह स्पष्ट बता देंगे कि इस संशोधन को स्वीकार करने का उनका इरादा नहीं है।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** क्या मैं माननीय सदस्य के भाषण में हस्तक्षेप कर सकता हूं और उनको यह कह सकता हूं कि वे इस बात से भली प्रकार परिचित हैं कि यह संशोधन क्यों पेश किया गया है।

***श्री जसपतराय कपूर:** जी हां, मैं भली प्रकार जानता हूं कि यह संशोधन क्यों पेश किया गया है। मैं यह भी भली प्रकार जानता हूं कि यह संशोधन क्यों बहुत हानिकर है और इसे क्योंकर स्वीकार नहीं करना चाहिये। मैं कहता हूं कि यह इतना हानिकर है कि डॉ. अम्बेडकर ने आरम्भ में इस संशोधन के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ना आवश्यक, उचित तथा ठीक नहीं समझा।

श्रीमान्, यह क्यों है कि मैं उसे हानिकर समझता हूं? उसमें यह कहा गया है जो कि लोग भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गये और यदि वे 19 जुलाई सन् 1948 ई. के पश्चात् भारत के दूतावास अथवा उच्च आयुक्त से मान्य अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर भारत वापस चले आये, तो उनको यह अधिकार होना चाहिये कि वे इस देश के नागरिक के रूप में पंजीबद्ध हो जायें। यह सिद्धांत सम्बन्धी एक गम्भीर विषय है। एक बार यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गया और भारत के प्रति जो निष्ठा थी, उसे पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दिया, तो उसका प्रव्रजन पूर्ण हो गया। उसने उस समय यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि इस देश को ठुकरा दिया जाये और उसे अपने भाग्य पर छोड़ दिया जाये और यह सोच कर वह नवनिर्मित पाकिस्तान को चला गया, जहां वह उस राज्य को स्वतन्त्र, प्रगतिशील और समुन्नत बनाने के लिए भरसक प्रयत्न करेगा। उनसे हमें कोई ईर्ष्या नहीं है.....।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** (बिहार: जनरल): क्या मैं अपने माननीय मित्र से यह पूछ सकता हूं कि क्या यह सच है कि जो लोग पाकिस्तान गये वे, सब वहां स्थायी रूप में बसने और उस राज्य के प्रति निष्ठा रखने के उद्देश्य से गये? क्या यह सच नहीं है कि वे भयभीत होकर भागे?

***श्री जसपतराय कपूर:** मेरे माननीय मित्र श्री ब्रजेश्वर प्रसाद आज 11 अगस्त सन् 1949 को भी इस बात में सन्देह करते हैं कि जो लोग पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गये, उनका वास्तविक उद्देश्य क्या था। मैं इस दुखदायी विषय की ओर निर्देश नहीं करना चाहता हूं क्योंकि अतीत की कटु भावनाओं को हम जितना शीघ्र भूल जायें उतना ही अच्छा है, पर क्या हम यह नहीं जानते हैं कि मुस्लिम लीग वालों ने देश का विभाजन और जनसंख्या का विनिमय चाहा और मुस्लिम लीग वालों की संख्या बहुत अधिक थी? हमारे दुर्भाग्यवश एक मुट्ठी भर राष्ट्रीय मुस्लिम पाकिस्तान स्थापित करने के विचार के विरुद्ध थे। मुसलमानों की एक बहुत बड़ी संख्या और निश्चय ही वे लोग पाकिस्तान विभाजन के पश्चात् ही चले गये, उनका पाकिस्तान में स्थायी रूप से बसने का पक्का इरादा था। यह भी हो सकता है कि उसमें से कुछ अथवा उनकी एक अच्छी संख्या यहां विद्रोह होने के कारण उस समय पाकिस्तान चली गई। पर क्या मेरे माननीय मित्र को इस बात में संदेह है कि यदि विद्रोह न भी होता, तो भी उनमें से अधिकांश लगभग सभी पाकिस्तान चले जाते, क्योंकि वे स्वयं यह मांग कर रहे थे कि जनसंख्या हस्तान्तरित की जाये? .....*(श्री ब्रजेश्वर प्रसाद द्वारा बाधा)।*

***अध्यक्ष:** माननीय सदस्य को अपने विचार व्यक्त करने का हक है और सभा स्थल में किसी सदस्य से जिरह करने से कोई लाभ नहीं है। यदि श्री ब्रजेश्वर प्रसाद के कुछ विचार हैं, तो वे अपने विचार अपने पास रखें और श्री कपूर को अपने विचार व्यक्त करने दें।

***श्री जसपतराय कपूर:** मैं जानता हूं कि मेरे माननीय मित्र श्री ब्रजेश्वर प्रसाद सभा में जो कोई भी उपयुक्त विचार अथवा प्रस्थापना प्रस्तुत की जाती है उससे सहमत नहीं होते हैं और मेरे लिये यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस अवसर पर भी वे मेरे साथ सहमत नहीं हो रहे हैं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो लोग पाकिस्तान गये, वे निश्चित रूप से वहां स्थायी निवास करने के उद्देश्य से गये। उन्होंने इस देश के प्रति अपनी भक्ति को तिलांजलि दी और नये देश पाकिस्तान के प्रति अपनी निष्ठा अर्पण की। अत: उनका प्रव्रजन पूर्णतया निरपेक्ष है और इस कारण नागरिकता का अधिकार, जो उन्हें पहले प्राप्त था, अब बिल्कुल न रहा। दोनों छोटे और बड़े पदों के सरकारी सेवक विशेषकर रेल के कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या ऐसी थी, जिन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले ही अपनी स्वतन्त्र इचछा के अनुसार पाकिस्तान में जाने का विचार प्रगट किया था और उनमें से बहुत से विशेषकर रेल के कर्मचारी पाकिस्तान जाकर और यह देख कर कि वहां भली प्रकार रहने के लिये कोई गुंजाइश नहीं है, मान्य अनुज्ञापत्र प्राप्त कर भारत वापस चले आये। जैसाकि श्री ब्रजेश्वर प्रसाद का विचार है, क्या इनके सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि उपद्रवों से भयभीत होकर इन्होंने राज्य-क्षेत्र छोड़ दिया था? जबकि उपद्रव का कोई चिह्न न था उस समय ही उन्होंने निश्चित रूप से कह दिया था कि वे स्थायी रूप से पाकिस्तान में बसने के लिये जाना चाहेंगे और पाकिस्तान सरकार की सेवा करेंगे। अत: हमारे किसी के मन में इस बात के प्रति कोई सन्देह नहीं रहना चाहिये कि ऐसे लोग वहां

निश्चित रूप से बसने के इरादे से गये। अब यदि वे यहां स्थायी रूप से बसने के लिये भारत वापस आना चाहते हैं, तो हम उनका उसी प्रकार स्वागत करेंगे, जिस प्रकार किसी अन्य विदेशी का स्वागत करते हैं। एक बार वे हमारे देश के लिये विदेशी हो गये तो उनसे उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिये जैसाकि किसी अन्य विदेशी से किया जाता है। यदि उनको यहां आने और स्थायी रूप से बसने के लिए कोई अनुज्ञा पत्र दिया जाता है, तो इसका यही अर्थ होगा कि हम उनके साथ सहानुभूति कर रहे हैं और ये कह रहे हैं "यदि आप चाहते हैं तो फिर वापस आ सकते हैं और यहां स्थायी रूप से बस सकते हैं; पर कृपा कर यह न सोचें कि यह इस कारण है कि आपने इस देश को एक बार ठुकरा दिया था। इस आचारण के लिये न तो हम आपको कोई दण्ड देना चाहते हैं और न कोई रियायत। पर भारत की नागरिकता पुनः अर्जित करने के लिये हम आपको वही सुविधा देने के लिए तैयार हैं, जो हम किसी विदेशी को देते हैं"। इसका यह आशय है कि अनुज्ञा पत्र द्वारा उन्हें वापस आने दीजिये और पांच वर्ष तक यहां बसने दीजिये और इसके बाद उनको उसी प्रकार नागरिकता के अधिकार अर्जन करने दिया जा सकेगा, जिस प्रकार कि किसी विदेशी को संसद द्वारा निर्मित किसी परवर्ती विधि से करने दिया जायेगा। यह एक सिद्धान्त का विषय है और इस सिद्धान्त को किसी प्रकार भी बिना किसी मान्य कारण के हमें ठुकराना नहीं चाहिये।

इसमें कुछ वित्तीय उलझनें भी हैं, जिनके समझने में हमें इस समय भूल नहीं करनी चाहिये। यह प्रश्न पैदा होगा कि प्रव्रजन के समय जो सम्पत्ति इन लोगों ने छोड़ी है, यहां आने देने और बसने देने के पश्चात् नागरिकता के साथ-साथ उनको क्या उस सम्पत्ति के भी लेने का हक होगा। विभिन्न अध्यादेशों में जो प्रख्यापित किये जा चुके हैं, यह प्रयत्न किया गया है कि निष्क्रांतों की जो सम्पत्ति यहां है, उस सबके प्रबन्ध का अधिकार निष्क्रान्त सम्पत्ति के संरक्षक को दिया गया है। और ये लोग चाहे वे मान्य अनुज्ञापन्न के अधीन 19 जुलाई सन् 1949 के पश्चात् वापस चले आये हों, पर विभिन्न अध्यादेशों की परिभाषा के अधीन वे निष्क्रान्त बने रहेंगे। शायद आप इस प्रश्न पर औचित्य तथा उदारतापूर्वक विचार करेंगे और मैं भी सहमत हूं कि इस प्रश्न पर औचित्य तथा उदारतापूर्वक विचार किया जाये, क्योंकि प्रत्येक महान राष्ट्र को सदैव यही प्रवृत्ति अपनानी चाहिये। इस औचित्य और उदारता की प्रवृत्ति को लेकर तो मुझे भय है कि आपके लिये उनसे यह कहना लगभग असम्भव सा ही होगा कि यद्यपि हम आपको इस देश का नागरिक तो स्वीकार करते हैं, पर आपकी सम्पत्ति जिसे आप प्रव्रजन के समय छोड़ गये थे, उसको हम निष्क्रान्त सम्पत्ति के समान समझेंगे। यह नहीं हो सकेगा और इस कारण करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति हमारे हाथों से निकल जायेगी। इस बात की विस्तृत व्याख्या करने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसकी उलझनें प्रत्येक व्यक्ति को और विशेषकर उन लोगों को, जो इस संशोधन के प्रवर्तन करने के जिम्मेवार हैं, बिल्कुल स्पष्ट है।

मैं केवल एक बात और कहूंगा। यद्यपि उदार होना अच्छी बात है, पर उदारता की बहुत सी खूबियां लुप्त हो जाती हैं, जबकि वह दूसरों के मूल्य पर आश्रित होती है और यह उदारता किसी और के मूल्य पर आश्रित नहीं है, परन्तु अन्ततः शायद यह हमारे शरणार्थी भाइयों के मूल्य पर है। हम यही नहीं जानते हैं कि अन्त में यह होगा अथवा नहीं होगा, पर यदि ऐसी स्थिति हो जायेगी, तो हमें

[श्री जसपतराय कपूर]

बड़ा खेद होगा। शरणार्थियों को ही ऐसी समस्त सम्पत्ति से लाभ होगा, पर यदि उन लोगों को, जो प्रव्रजन कर गये थे पर वापस चले आये हैं, इस सम्पत्ति को मुफ्त भेंट करना चाहते हैं, तो केवल शरणार्थियों को ही हानि होगी और किसी को नहीं। अतः मैं श्री टी.टी. कृष्णमाचारी और श्री गोपालस्वामी आयंगर से निवेदन करूंगा कि वे इस संशोधन पर जोर न दें और इस अनुच्छेद 8-क को बिना परन्तुक के, जैसा कि मसौदे में है, वैसा ही रहने दें।

श्रीमान्, मैं भाषण समाप्त कर चुका हूं। मैं केवल अपने निवेदन को दुहराऊंगा, जो मैं पहले कर चुका हूं और वह यह है कि श्री कृष्णमाचारी के इस खास संशोधन को तो कम से कम स्वीकार न किया जाये।

***अध्यक्षः** प्रो. शाह अब संशोधन संख्या 6 (सूची 1-तृतीय सप्ताह) पेश कर सकते हैं।

***प्रो. के.टी. शाह** (बिहारः जनरल): श्रीमान्, छपी हुई सूची अंक 1 में मेरे कुछ संशोधन हैं, जो पुनरीक्षित मसौदे में नहीं आ पाये हैं। आपकी अनुमति से मैं उनको पेश करना चाहूंगा।

***अध्यक्षः** आरम्भ में जब मैंने कुछ बातें कही थीं, उस समय मेरे विचार में आपका एक ऐसा संशोधन था।

***प्रो. के.टी. शाहः** वह तो एक नया अनुच्छेद है। वह बाद में आता है। इस समय मैं संशोधन संख्या 203 और 208 के बारे में कह रहा हूं, जो पितृपक्ष के जनकों के निर्बन्धन से सम्बन्ध रखता है। उसको पेश नहीं किया गया है।

***अध्यक्षः** आप संशोधन संख्या 203 पेश कर सकते हैं।

***प्रो. के.टी. शाहः** श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं अपने सब संशोधन पेश करूंगा और फिर एक साथ सब पर भाषण दूंगा।

पहला संशोधन जिसे मैं पेश करना चाहूंगा वह यह है:

"कि अनुच्छेद 5 के खण्ड (क) में 'grand parents' शब्दों के पश्चात् 'on the paternal side' शब्द जोड़ दिये जायें।"

खण्डों की संख्या बदलनी पड़ेगी। चूंकि यही विचार संशोधन संख्या 208 में दुहराया गया है, इस कारण मैं उसको नहीं दुहरा रहा हूं। इसके बाद का मेरा संशोधन छपी हुई सूची में 227 है। चूंकि यह उस नये संशोधन में आ जाता है, जिसकी मैं सूचना दे चुका हूं, इसलिये इसे अभी नहीं पढ़ता हूं। इसके बाद

मेरा संशोधन संख्या 221 है। चूंकि यह नये अनुच्छेद के सम्बन्ध में है, इसको भी मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं। इसके बाद मैं पेश करता हूं:

"कि उपरोक्त संशोधन संख्या 1 में प्रस्थापित अनुच्छेद 5 में–

(1) '5' अंक के पश्चात् कोष्ठक और संख्या '1' प्रविष्ट किये जायें।"

(2) व्याख्या के पूर्व निम्न परन्तुक जोड़ दिये जायें:

'Provided further that the nationality by birth of any citizen of India shall not be affected in any other country whose Municipal Law permits the local citizenship of that country being acquired without prejudice to the nationality by birth of any of the citizens; and

Provided that where under the Municipal Law no citizen is compelled either to renounce his nationality by birth before acquiring the citizenship of that country, or where under the Municipal Law nationality by birth of any citizen does not cease automatically on the acquisition of the citizenship of that country';

[आगे यह और भी कि भारत के नागरिक की जन्मजात राष्ट्रीयता पर किसी अन्य देश में प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसकी राष्ट्रीय विधि उस नागरिक की जन्मजात राष्ट्रीयता का विरोध किये बिना उसे उस देश की स्थानीय नागरिकता अर्जन करने देती है और यह भी कि जहां राष्ट्रीय विधि के अधीन किसी नागरिक को उस देश की नागरिकता अर्जन करने के पूर्व अपनी जन्मजात राष्ट्रीयता को छोड़ने के लिये बाध्य नहीं किया जाता है, अथवा जहां राष्ट्रीय विधि के अधीन किसी नागरिक की जन्मजात राष्ट्रीयता उस देश की नागरिकता अर्जन करने पर अपने आप ही समाप्त नहीं हो जाती है।]

(3) व्याख्या के बाद निम्न नया खण्ड जोड़ दिया जाये:–

'(2) Subject to this Constitution, Parliament shall regulate by law the grant or acquirement of the citizenship of India.' "

[(2) इस संविधान के अधीन, संसद विधि द्वारा भारत की नागरिकता की मंजूरी अथवा अर्जन विनियमित कर सकेगी।]

मैं यह भी पेश करता हूं:

"कि उपरोक्त संशोधन संख्या 6 में अनुच्छेद 5 के नये प्रस्थापित खण्ड (2) के पश्चात् निम्न परन्तुक जोड़ दिया जाये:

'Provided that Parliament shall not accord equal rights of citizenship to the nationals of any country which denies equal treatment to the nationals

[प्रो. के.टी. शाह]

of India settled there and desirous of acquiring the local citizenship.' "

[पर संसद किसी भी उस देश के नागरिक को नागरिकता के समान अधिकार नहीं देगी, जो देश अपने यहां बसे हुए भारत के नागरिकों को, जो वहां की स्थानीय नागरिकता प्राप्त करने के इच्छुक हैं, सम-व्यवहार से वंचित करता है।]

इसके बाद मेरे संशोधन की संख्या आज की सूची में (सूची 5 तृतीय सप्ताह) 152 है।

***अध्यक्षः** पर क्या आप संशोधन संख्या 20 (सूची 1–तृतीय सप्ताह) को पेश नहीं कर रहे हैं?

***प्रो. के.टी. शाहः** मैं उसे पेश कर रहा हूं।

मैं संशोधन पेश करता हूं:

"कि उपरोक्त संशोधन संख्या 1 में नये प्रस्थापित अनुच्छेद 5-क और 5-ख में जहां-जहां 'Dominion' शब्द आता है, वहां 'Republic' शब्द रखा जाये।"

इसके बाद जो संशोधन मैं पेश कर रहा हूं, वह तृतीय सप्ताह की सूची 5 में संख्या 152 है। मैं संशोधन पेश करता हूं:

"कि संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (तृतीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 1 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद 5-क के खण्ड (ख) के उपखण्ड (1) के अन्त में 'and' शब्द के पहले निम्न परन्तुक जोड़ दिया जाये:

'Provided that any person who has no migrated to the areas now included in Pakistan but has returned from that area to the territory of India since the nineteenth day of July, 1948, shall produce such evidence, documentary or otherwise, as may be deemed necessary to prove his intention to be domiciled in India and reside permanently there.' "

[परन्तु कोई व्यक्ति, जो उन क्षेत्रों में इस प्रकार प्रव्रजन कर गया हो, जो अब पाकिस्तान के अंतर्गत हैं और उन क्षेत्रों से 19 जुलाई सन् 1948 तक भारत के राज्य-क्षेत्र में वापस आ गया हो, तो वह ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, जो लेख्य सम्बन्धी हों अथवा अन्य प्रकार के हों और जो भारत में निवास करने और स्थायी रूप से बसने के उसके उद्देश्य को साबित करने के लिए आवश्यक समझे जाये।]

ये सब संशोधन हैं जिनको मैं इस सम्बन्ध में इस समय पेश करता हूं। इन संशोधनों को सभा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए क्या मैं मसौदा लेखक को इस बड़े पेचीदे विषय पर जिस महान् योग्यता तथा दक्षता का परिचय उन्होंने दिया है उसके

लिये हार्दिक बधाई, दे सकता हूं तथा इस बात के लिये भी कि इन महान कठिनाइयों में निर्विवाद रूप से एक ऐसे कठिन विषय पर जहां वैमनस्य उत्पन्न हो जाया करता है, उन्होंने संतुलित विचार रखने का प्रयत्न किया है? मेरा यह स्वभाव नहीं है कि इस संविधान के विद्वान मसौदा लेखक के गले में कई पुष्पहार डालूं। अतः मैं विश्वास करता हूं कि चूंकि मैं ऐसा कार्य बहुत कम करता हूं, इसलिये एक बार मुझे इस गुलाब के पुष्पहार को अर्पण करने दीजिये, जिसके सम्बन्ध में मुझे विश्वास है कि वे इसे पसन्द करेंगे, यद्यपि इस पुष्पमाला में कुछ कांटे हैं।

श्रीमान्, इन संशोधनों को अनेक मदों के सम्बन्ध में अनेक पहलुओं पर विचार करते हुए पेश करने के लिये मैं विवश हुआ हूं, क्योंकि मेरे विचार से इसमें अनेक आवश्यक सिद्धांत अन्तर्ग्रस्त हैं। क्या आप मुझे अनुमति देंगे कि अपने इन विचारों को, कि मेरे संशोधन जिस मसौदे को मैं महत्वपूर्ण समझता हूं, उसके होते हुए क्यों आवश्यक हैं और यदि इनको मसौदे में शरीक कर लिया जायेगा, तो मेरी राय के अनुसार मसौदे में बहुत कुछ सुधार हो जायेगा, मैं सामान्य रूप से सूचित करते हुए संशोधनों के समस्त क्रम को सरल बना सकूं।

श्रीमान्, संक्षेप में तथा थोड़े से शब्दों में यह विषय इस प्रकार रखा जा सकता है कि किसी राज्य की नागरिकता के अनेक प्रकार हैं, थे अथवा अनेक प्रकार से वह अर्जित की जाती है। अतः सबसे पहली प्रस्थापना यह होनी चाहिये कि कोई भी व्यक्ति, जो किसी देश में जन्म लेता है, वह अपने आप उस देश का नागरिक बन जाता है, जब तक कि अपनी ही ओर से वयस्क होने पर वह (स्त्री हो या पुरुष) इस विशेषाधिकार का परित्याग न करे। यह एक सीधीसादी सी प्रस्थापना है जिस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इसमें यह बात और आ जाती है कि वह नागरिकता को केवल जन्मजात अधिकार ही नहीं बनाता है, बल्कि उसे दाय भी बना देता है, अर्थात कोई व्यक्ति जिसके मेरे संशोधन के अनुसार माता और पिता और इस मसौदे के अनुसार, जिसके महाजनक अथवा मेरे संशोधन के अनुसार जिसके पितृपक्ष के महाजनक इस देश में पैदा हुए थे, वह अपने आप इस देश का नागरिक होने के विशेषाधिकार प्राप्त कर लेगा, जब तक कि वह व्यक्ति अपने किसी कार्य से विशिष्टतया उसका परित्याग न करे।

श्रीमान्, पूर्व वक्ताओं द्वारा यह कहा गया है और मैं भी उसका समर्थन करना चाहूंगा कि भारत की नागरिकता के विशेषाधिकार बहुत ही साधारण, आसान तथा सरल से न समझे जायें। मैं निवेदन करता हूं कि यह एक ऐसा महान विशेषाधिकार है और भविष्य में यह और भी अधिक महान विशेषाधिकार होगा, जिसका केवल हमको ही गौरव नहीं होगा, जो इस समय नागरिक हैं वरन उन लोगों को भी गौरव होगा, जो अब से बाद में भारत के नागरिक होंगे। रोमन गणराज्य के समय किसी भी रोमन नागरिक के लिये यह एक गौरवपूर्ण विशेषाधिकार था, क्योंकि इस नागरिकता के कारण वह अपने आपको किसी भी बादशाह के समान समझता था। जब वह गौरवान्वित होकर दावा करता था तो अन्तिम गौरव और महत्वपूर्ण शब्द ये होते थे "मैं रोमन नागरिक हूं"। मैं आशा करता हूं कि वह समय आ रहा है जबकि ऐसा ही गौरवपूर्ण यथार्थ कथन भारतीय द्वारा कहा जा सकेगा, जबकि भारत की नागरिकता को अपने 'जंगलीपन' के भार के रूप में नहीं समझा जायेगा—विस्मरणीय मृत अतीत में हमको 'जंगली' कहा जाता था—वरन इसको एक ऐसे रूप में समझा जायेगा, जिसकी ओर शेष संसार सम्मानपूर्वक दृष्टि डालेगा।

[प्रो. के.टी. शाह]

श्रीमान्, भारत का नागरिक होने के इस महान् अधिकार के सम्बन्ध में ऐसे विचार रखते हुये मैं उन लोगों से पूर्णतया सहमत हूं, जो यह विचार रखते हैं कि अपनी नागरिकता को हमें बहुत सरल तथा आसान नहीं बना देना चाहिये। न हमें इस नागरिकता के जन्म अथवा दाय के आधार पर किसी युक्तियुक्त मांग अथवा युक्तियुक्त दावे के प्रति अनुचित प्रकार से अनुदार होना चाहिये।

श्रीमान्, मैं यह समझता हूं कि अब नागरिकता का विषय इतना पेचीदा हो गया है कि यदि हम इस दाय अधिकार को बहुत दूर तक ले जायें, तो हम बड़ी कठिनाइयों में पड़ जायेंगे। क्योंकि यद्यपि आप इसे केवल दोनों पक्षों के महाजनकों तक ही ले जाते हैं—अर्थात यह कि नागरिकता का दावा करने वाले व्यक्ति के माता-पिता के माता और पिता से उद्भूत दाय तक—पर इस बात को सिद्ध करना बड़ा कठिन विषय है। श्रीमान्, यह कहा गया है कि मातृत्व सत्य है और पितृत्व धारणा। बिना किसी सन्देह के पितृत्व को सिद्ध करना कठिन हो जाता है, पर मातृत्व के समर्थन के लिये अकाट्य प्रमाण मिल जाते हैं। फिर भी यदि लाखों वर्ष से नहीं तो शताब्दियों से हम उदभव को केवल पितृपक्ष पर ही मानने के अभ्यस्त हैं। और इसी कारण मेरा यह संशोधन है। इन परिस्थितियों के अधीन और अपने देश के बहुत ही अव्यवस्थित पंजीबद्ध करने की प्रणाली पर विचार करते हुए जिसके द्वारा जन्म और मृत्यु का साक्ष्य प्राप्त करना आसान नहीं है, मुझे भय है कि दाय के आधार पर इस प्रकार से नागरिकता के विस्तार से अवश्य ही कठिनाइयां पैदा होंगी, विशेषकर इन परिस्थितियों में जिनके कारण इस देश का विभाजन हुआ है और इस विभाजन के बाद जो क्रास और प्रव्रजन हुआ है। अत: मैं अपनी ओर से हर्षपूर्वक डॉ. देशमुख के सुझाव को स्वीकार करता हूं, जो जन्मना नागरिकता के विशेषाधिकार को केवल दूसरी पीढ़ी तक ही निर्बन्धित करता है, जिसको बड़ी सरलता से सिद्ध किया जा सकता है। यदि आप और आगे जाना चाहते हैं, यदि आप अधिक उदार होना चाहते हैं तो, आप उसे तीसरी पीढ़ी तक ले जा सकते हैं। पर इससे आगे मैं नहीं जाना चाहूंगा और नागरिकता के दाय-अधिकार को केवल पितृपक्ष के लिये ही रखने का प्रयास करूंगा।

मैं यह सुझाव करने की इच्छा से नहीं कहता हूं कि जहां तक नागरिकता के अधिकारों का सम्बन्ध है, मुझमें पुरुष और स्त्री की समानता के विश्वास में किसी प्रकार की कमी है। मैं यह उन अनेक पेचीदगियों और कठिनाइयों के कारण कहता हूं, जो मातृपक्ष की ओर से दाय खोजने में अन्तर्ग्रस्त हैं और उनमें से प्रमाण की समस्या भी किसी से कम नहीं है। अत: मैं यह सुझाव रखूंगा कि या तो इस सम्बन्ध में मेरे सुझावों के अधिमान में डॉ. अम्बेडकर द्वारा सुझाई गई परिभाषा स्वीकार की जाये और या यदि आप इस विषय में उदार होना चाहते हैं, तो जो व्यक्ति दाय के आधार पर नागरिक होने का दावा करता है, उसे पुरुष-महाजनक तक ही अधिकार दें।

श्रीमान्, दाय एक ऐसी वस्तु है जिसे प्राप्त किया जा सकता है, और उसका परित्याग भी किया जा सकता है, अत: उन लोगों के लिये जो स्वेच्छा से अथवा

जैसा कि किसी माननीय सदस्य ने कहा था, जो भयभीत होकर इस देश से बाहर चले गये हैं और जिन्होंने अपनी शक्ति के अधीन प्रत्येक कार्य द्वारा यह प्रदर्शित कर दिया है कि उनका इस देश से कोई सम्बन्ध नहीं है, वे किसी और राष्ट्र के व्यक्ति हैं, उनकी जाति, भाषा, सभ्यता और धर्म भिन्न है अथवा किसी भी कारणवश वे प्रेरित हुए हों, उनके लिये यह मान लेना हमारे लिये न्यायसंगत होगा कि उन्होंने अपने जन्मना अधिकार का परित्याग कर दिया है। उनके अपने जन्मजात अधिकार का परित्याग कर देने पर हमारा यह कहना कि उन्हें दाय-अधिकार का हक नहीं होगा, न्यायसंगत है।

यदि वे वापस आना चाहते हैं और एक बार फिर भारत का नागरिक होना चाहते हैं, तो ऐसी दशा में—मैं यह भी आशा करता हूं कि यह सभा मुझसे इस बात में सहमत होगी कि हमें यह देखने का हक होगा कि हमारे यहां कोई जयचन्द न हो। अत: यही केवल उचित है कि ऐसे मनुष्यों को लेख सम्बंधी अथवा अन्य प्रकार के पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करने चाहियें, केवल उद्भव द्वारा अपने अधिकार के लिये ही नहीं, वरन इस देश्या में स्थायी रूप से निवास करने और उसके सच्चे नागरिक होने के उद्देश्य को सिद्ध करने के हेतु भी। श्रीमान्, इस प्रयोजन के लिये मैं समझता हूं कि जो संशोधन मैंने रखे हैं, वे हमारे समक्ष मसौदा की अपेक्षा कहीं अधिक पर्याप्त, अधिक समुचित तथा अधिक आवश्यक हैं। अत: मैं इस मद को माननीय मसौदा लेखक की सेवा में प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमान्, इसके बाद उन लोगों की स्थिति को लेते हुए जो बाहर हैं, जो व्यापार के कारण दूसरे देशों में बस गये हैं अथवा उस देश की देशीयकरण विधि के अधीन वहां की नागरिकता अर्जन करने के अधिनियम द्वारा उस देश के नागरिक बन गये हैं, उनके लिये वह उपबन्ध करना ठीक होगा कि यदि वे भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिये सरल मार्ग बना दिया जाये। पर वह उस शर्त के अधीन हो जिसको मैं बता चुका हूं और वह यह कि इस बात का कोई पक्का प्रमाण होना चाहिये कि वे वास्तव में उस देश में वास करना चाहते हैं, चाहे उस देश का कोई भाग ही हो, उस देश की नागरिकता के कर्तव्य और आभारों में हिस्सा लेंगे और जिस देश को उन्होंने अंगीकार किया है, उसके प्रति द्रोह नहीं करेंगे।

यदि साधारण रूप से उन लोगों को नागरिकता दी जाती है, जो निवास करने के कारण, व्यापारिक सम्बन्ध के कारण, अथवा अन्यथा इस देश के नागरिक होने का दावा करते हैं और उससे जितने लाभ होते हैं, उन सबकी मांग करते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमें युक्तियुक्त साक्ष्य मांगने चाहिये, हमें इस बात के युक्तियुक्त प्रमाण मांगने चाहियें कि वे स्थायी रूप से यहां रहना चाहते हैं और इस देश का अंग होकर उसके प्रति सच्ची निष्ठा रखते हैं, न कि केवल इस सम्बन्ध में हमारी उदारता से लाभ उठाना चाहते हैं।

श्रीमान्, इस सम्बन्ध में मैं उन विदेशी पूंजीपतियों अथवा व्यापारियों के बारे में बहुत अधिक सोच रहा हूं, जो हमारे साथ रहे हैं और जिन्होंने पहले यह मांग की थी कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये। सन् 1935 का भारतीय सरकार के अधिनियम को एक पूरे के पूरे के अनुच्छेद से, जिसमें कई भेदभाव के उपबन्ध हैं, लांछन लग गया है—और ये भेदभाव सदैव भारतीयों के

[प्रो. के.टी. शाह]

विरुद्ध तथा विदेशियों के पक्ष में हैं। इस अनुभव को अपने समक्ष रखते हुए और अपनी भावी राज्य-कर सम्बन्धी नीति में इस प्रकार से अपनी संभाव्य प्रगति सहित कि व्यापार, उद्योग अथवा और किसी कार्य में भारतीय नागरिकता की विशेष रूप से रक्षा की जाये, उसको विशेष रूप से लाभ हो, हमें विदेशी पूंजीपतियों से बहुत सावधान रहना चाहिये, जो इस देश से प्रेम किये बिना हमारी राज्य-कर सम्बन्धी अथवा उद्योग सम्बन्धी नीति से केवल लाभ उठाने के लिये यहां आते हैं और बसते हैं। अतः मैं सुझाव रखता हूं कि संविधान में अथवा किसी विधान में, जिसे संसद इस सम्बन्ध में बनाये, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि ऐसे नागरिक अपने स्वार्थ हित भारत को अपना स्थायी पर बनाने के उद्देश्य का पर्याप्त प्रमाण दें, न कि केवल राह के पंछी होकर, देश का विदोहन कर और किसी राज्य-कर सम्बन्धी विधान से लाभ उठाकर अथवा वित्तीय लाभ उठाकर, जब उनके इस उद्देश्य की पूर्ति हो जाये, तो फिर देश छोड़कर चल दें।

श्रीमान्, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके प्रति क्या मैं सम्मानपूर्वक यह कह सकता हूं कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस पर मसौदा समिति ने पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया है और शायद कोई इस प्रकार का संशोधन, जिसका मैंने सुझाव दिया है अथवा इसी विचार का कोई और संशोधन इस स्थिति के लिये आवश्यक होगा। मैं यह स्पष्ट रूप से कहता हूं कि विदेशी पूंजी की आवश्यकता के प्रति और रुपया लगाने वाले इन विदेशियों को सब तरह की लाभदायक सुविधायें देने के बारे में सर्वोच्च क्षेत्र से जो विचार प्रकट किये गये है, उसके साथ यदि हम भारत की नागरिकता और उसके साथ जो विशेषाधिकार हैं, उनको संविधान में कुछ ऐसे उपबन्ध नहीं होंगे, जो संसद को भेदभाव करने का हक दे—इस शब्द का प्रयोग करने में मुझे कोई संकोच नहीं है—जिससे कि विदेशी प्रतियोगियों से स्वदेशी कुशल तथा धन लगाने वाले व्यक्तियों का पर्याप्त रूप से संरक्षण तथा परित्राण किया जा सके, यदि संविधान में ऐसा कोई उपबन्ध तथा प्राधिकार नहीं है, तो संसद हमारे निजी प्रयत्नों की उन लोगों से पर्याप्त रूप में रक्षा न कर सकेगी, जिनका भारत की नागरिकता प्राप्त करने में यही प्रयोजन है कि हमारी राज्य-कर सम्बन्धी नीति से लाभ उठाया जाये अथवा अन्य प्रकार का कोई ऐसा ही लाभ उठाया जाये और जिस देश से उन्हें यह लाभ होता है, उस देश को उसका ठीक-ठीक एवज न दें। अतः श्रीमान्, मैं यह विश्वास करता हूं कि मसौदा समिति के माननीय सभापति को यदि इस संशोधन के शब्द पसन्द नहीं आयेंगे, तो कम से कम इस सम्बन्ध में मेरे तर्क तो अवश्य पसन्द आयेंगे। मैं यह विश्वास करूंगा कि उनकी योग्यता, उनकी समझ और उनकी देशभक्ति इस बात पर ध्यान रखेगी कि कोई ऐसा उपबन्ध जिसके लिये मैंने प्रार्थना की है, किसी भी ऐसे रूप में जिसे वे उचित समझें, इस संविधान में रखा जायेगा। जहां तक मसौदा बनाने के पारिभाषित कार्य का सम्बन्ध है, मुझे यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि मसौदा समिति के सभापति इतने अधिक दक्ष हैं, जितना कि मैं ख्याल भी नहीं कर सकता हूं। अतः यदि वे मेरे तर्क को, जो मैंने प्रस्तुत किये हैं, स्वीकार कर लेते हैं तो मैं जिस प्रकार का संशोधन वे उचित समझें, उसे अपने शब्दों में रखने के कार्य को पूर्णतया उन पर छोड़ सकता हूं।

इसके बाद, श्रीमान्, मैं आगे के संशोधन पर आता हूं। मेरा अभिप्राय उस संशोधन से है, जो उन देशों से सम्बन्ध रखता है, जो एशिया में हमारे पड़ौसी देश हैं, जहां भारतीय एक बड़ी संख्या में बस गये हैं और जहां स्थानीय राष्ट्रीयता के नये जोश के कारण उनके साथ कोई वांछनीय व्यवहार नहीं किया जाता है। एक ऐसी भावना है कि उदाहारणार्थ, बर्मा, लंका अथवा मलाया में हमारे नागरिकों के साथ वह सम व्यवहार तथा पारस्परिक व्यवहार उतने अच्छे प्रकार से नहीं किया जाता है, जितना हम चाहते हैं। इसी कारण संशोधन संख्या 6 में दो संशोधनों द्वारा मैं यह सुझाव रखने का प्रयास कर रहा हूं कि जहां कहीं स्थानीय विधान किसी भारतीय की जन्मजात राष्ट्रीयता का विरोध किये बिना उसे वहां की नागरिकता के समस्त अधिकार तथा लाभ प्राप्त होने देते हैं, तो हम भी ऐसा ही व्यवहार करें। भारत में जन्मे उस व्यक्ति की राष्ट्रीयता की हम भी रक्षा करें, जो ऐसे स्थानों में बस गया है और जो अन्य देश की सरकार के प्रति निष्ठा रखता है, यदि उस देश का विधान उसे ऐसा करने दे।

श्रीमान्, मुझे यह और कहने की आज्ञा दीजिये कि इस मांग के करने में यह बात नहीं है कि मैं स्वयं अपने आप अपना विरोध कर रहा हूं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने यह कहा था कि जो व्यक्ति भारत में बस गया है, उससे हम संविधान द्वारा जितना सतर्क रह सकते हैं रहें, नहीं तो इस प्रकार प्राप्त की हुई नागरिकता का हमारे विरुद्ध उपयोग किया जायेगा। ऐसा कहने के बाद जिस सुझाव को मैं अब रख रहा हूं, उसके रखने में कोई रुकावट नहीं होती है। मैं फिर कहता हूं कि इसमें कोई असंगति नहीं है, क्योंकि जो सूचना मुझे मिली है, उसके अनुसार मलाया संघ राज्य में 8 लाख भारतीय हैं। मलाया संघ राज्य के नये संविधान के अधीन जो भारतीय वहां बसे हुए हैं, उनको अपनी जन्मजात भारतीय राष्ट्रीय के छोड़े बिना वहां की स्थानीय नागरिकता के पूर्ण अधिकार मिल सकते हैं। परन्तु जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है, उसके अनुसार लंका और बर्मा में भारतीयों की स्थिति कहीं अधिक अन्यायपूर्ण है। उदाहरणार्थ, जो मनुष्य इस विषय का ज्ञान रखते हैं, उन्होंने मुझे सूचना दी है कि बर्मा में यह उपबन्ध है कि बर्मा विधान द्वारा विनिहित कुछ रीतियों के अनुसार कोई भारतीय ब्रह्मा की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। परन्तु इसके पूर्व कि उसे देशीयकरण का प्रमाण-पत्र मिले, उसे यह आवश्यक घोषणा करनी होगी कि वह अपनी भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। मेरा निजी विचार यह है कि यह उचित नहीं है, पर यदि अच्छे पड़ौसियों के साथ इसे उचित व्यवहार मान भी लिया जाये तो हम उन भारतीय नागरिकों के साथ अपवाद कर सकते हैं, जिनको वहां अपना जीवन बिताना ही है और यदि वे उस देश में रहना चाहते हैं वहां उनके जीवनयापन के साधन हैं, तो वे नगरपालिका की विधि के अधीन भारतीय नागरिक नहीं रह सकते हैं। ऐसी दशा में मैं एक अपवाद रखूंगा और किसी ऐसे व्यक्ति से भारतीय राष्ट्रीयता रखने का आग्रह नहीं करूंगा जिसे उसका परित्याग करना ही है। परन्तु लंका में और ही बात है। मैं फिर उसी सूचना के आधार पर बोल रहा हूं, जो मुझे प्राप्त हुई है। नागरिकता प्राप्त करने के लंका के स्थानीय विधान में देशीयकरण के आधार पर यदि एक बार कोई व्यक्ति लंका की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो जन्म के आधार पर अथवा अन्यथा प्राप्त की गई पहली नागरिकता अपने आप नष्ट हो जाती है या वह उससे वंचित हो जाता है। नागरिकता के आभार बहुत हैं—और इन आभारों को अन्य कोई व्यक्ति मुझसे अधिक नहीं जानता होगा—और ये आभार यह अपेक्षित करते हैं कि ग्रहण किये गये देश के प्रति व्यक्ति की निष्ठा हो

[प्रो. के.टी. शाह]

और इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि जन्मना राष्ट्रीयता को अपने आप ही छोड़ना पड़े। मेरे विचार से यह मांग आवश्यकता से अधिक है, परन्तु फिर भी मैं यह मानता हूं कि लंका एक स्वतन्त्र राज्य है और उसे अपनी विधि बनाने का हक है। इस कारण जो भारतीय वहां बसे हुए हैं, उनको अपनी ओर से इस बात पर बिना किसी आपत्ति के कि सिंहल की नागरिकता प्राप्त करने के बाद भी उनकी जन्मजात राष्ट्रीयता बनी रहे, हम वहां के स्थानीय नियमों का पालन करने दें। हमें इस बात पर आग्रह नहीं करना चाहिये कि वे भारत के राष्ट्रीय जन बने रहेंगे।

अब मैं जिस बात पर आता हूं, वह इनसे विपरीत है और जो इन तीन अन्य उदाहरणों से अधिक कटु भावना पैदा करती है और ये देश अंग्रेजी अधिराज्य अथवा अंग्रेजों के संरक्षण में अभी तक हैं अथवा थे। इस समय मैं आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड अथवा अफ्रीका जैसे देशों के बारे में सोचता हूं–ये अन्य अधिराज्य हैं, जहां भारतीय के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है। भारतीयों की अफ्रीका में करुण कहानी से मुझे सभा को दु:खी नहीं करना है। वे सब बातें हमारे लिये ताजी हैं। इस देश में जो विधान अब लागू किया जा रहा है, उससे हम सब अप्रसन्न हैं। हमारे इस अनुभव के आधार के कारण मुझे ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती है कि हम अपने मूल संविधान में यह विशिष्ट शक्ति संरक्षित क्यों न रखें कि उन लोगों को संसद नागरिकता के समक्ष अधिकार अथवा समव्यवहार प्रदान नहीं करेगी, जो हमारे राष्ट्रीय जनों के साथ जो विधिपालक, शांत उद्यमी तथा समव्यवहार प्रदान नहीं करेगी, जो हमारे राष्ट्रीय जनों के साथ जो विधिपालक, शान्त उद्यमी तथा व्यवसायी हैं और उस देश को हराभरा बनाने में योग दे रहे हैं, वही व्यवहार नहीं करते हैं जो वे अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अन्य लोगों के साथ करते हैं।

भारतीयों के प्रति अन्यायपूर्ण भेदभाव का बहुत सुस्पष्ट तथा बहुत ही मर्मभेदी उदाहरण शायद अफ्रीका का है। अत: मैं यह कहूंगा कि मेरे लिये केवल इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है, जितना इस मसौदे में कहा गया है कि नागरिकता अर्जित करने अथवा समाप्त करने को विनियमित करने का विधान पारित करने की स्वतंत्रता संसद को है और इस शक्ति के अधीन ऐसे उदाहरणों पर विचार किया जायगा। मैं एक ऐसा उपबन्ध जोड़ना चाहूंगा, जिससे संसद के लिये यह आवश्यक हो जाये कि वह उन देशों के नागरिकों को समान व्यवहार प्रदान न करे, जो उन भारतीय नागरिकों के साथ इस प्रकार का भेदभाव बर्तते हैं, जो अपने समस्त जीवन पर्यन्त वहां श्रम करते हैं और अपने श्रम, अपने उद्यम, अपने चातुर्थ द्वारा उस देश की सम्पत्ति की परिवृत्ति करते हैं और उस देश के शान्त, शुभचिन्तक तथा विधिपालक नागरिक बने रहते हैं।

श्रीमान्, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है और इसका चाहे जो कुछ भी कारण हो, पर हम अब भी तत्कथित संयुक्त राष्ट्र मण्डल के सदस्य हैं, जिसमें अंग्रेजों का प्राधान्य है, जो हमारे पहले विदोहक हैं। संयुक्त राष्ट्र मण्डल में, यद्यपि सिद्धान्त रूप में हम सब बराबर के सदस्य समझे जाते हैं, पर सच्चे भ्रातृत्व की सद्भावना की अपेक्षा जिससे कि वह संयुक्त राष्ट्र मण्डल और भी अधिक ईमानदार तथा लुभायमान बन सके, वहां कुछ राष्ट्रों ने विशिष्ट अपवर्जन द्वारा और कुछ ने अपने प्राचीन साम्राज्यशाही काल की श्रेष्ठता का निर्वाह कर समानता का परिचय दिया है। मैं स्वयं कभी राष्ट्रमण्डल का प्रशंसक नहीं हुआ हूं। न आधुनिक उच्च प्राधिकार युक्त अभिव्यंजना तथा अंतिम प्रगति के कारण मेरे विचारों में परिवर्तन हुआ है।

एक तथ्य के रूप में इसे स्वीकार करते हुए, हमें उन अधिराज्यों से, उन देशों से जो हमारे लोगों को समान अधिकार नहीं देते हैं, अपने अधिकारों का उसी प्रकार संरक्षण करना चाहिये जिस प्रकार, यदि मैं इस शब्द का प्रयोग कर सकता हूं तो, बदले में हमने अन्य विषयों में किया है। यद्यपि आस्ट्रेलिया में अफ्रीका के समान इतना स्पष्ट, इतना विशिष्ट तथा इतना अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं है, पर फिर भी वहां "श्वेत आस्ट्रेलिया" की नीति है, जिसकी उद्घोषणा छतों पर चढ़-चढ़ कर की जा रही है और जिसका उल्लेख वहां के वर्तमान प्रधान मंत्री द्वारा बड़े गौरव से किया जाता है; उसने तो यहां तक गर्वोक्ति की है, कि इस देश के सर्वोच्च प्राधिकारियों ने भी उसके आदर्श को स्वीकार कर लिया है। मैं यह नहीं जानता हूं कि यह कहां तक सच है। यह सच हो या न हो, पर "श्वेत आस्ट्रेलिया" की नीति के आग्रह के कारण मुझे ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती है कि हम उन लोगों के प्रति अपने संविधान में भेदभाव क्यों नहीं कर सकते हैं, जो पड़ौसी की सद्भावना पर बिना विचार किये, मित्रता के उन अनेक प्रभावों पर बिना विचार किये, जिनको हम पहले दे चुके हैं और अब भी दे रहे हैं, अपनी संकीर्ण निर्बन्धित भूगोलिक राष्ट्रीयता पर अड़े हुए हैं। उस जैसे नये देश के लिए यह अनुकुल नहीं है, जिसे अभी अपने समस्त साधनों को उन्नत बनाना है और जहां कि उसकी निजी जनता उस देश की जलवायु तथा अन्य वर्तमान परिस्थितियों के लिये पर्याप्त नहीं है। ऐसे देश को यह कहना शोभा नहीं देता है कि वे स्वर्ग से उतरी हुई श्वेत जाति की उत्कृष्टता पर आग्रह करेगा, और वही जाति वहां बस सकती है और वहां की नागरिक हो सकती है, और अन्य व्यक्ति, चाहे उनकी मांग कुछ भी हों, पूर्ण नागरिक नहीं बन सकते हैं।

यह बात उस देश पर भी लागू होती है, जो समस्त सभ्य तथा उन्नत पश्चिमी राष्ट्रों का नेता होने का अब दावा करता है। मेरा अभिप्राय अमरीका से है। मानव अधिकार की समानता के प्रति अमरीका का संयुक्त राष्ट्र बड़े-बड़े उच्च विचारों से परिपूरित है। पर जब उनके देश ही में इस सिद्धान्त को प्रवृत्त करने की बात आती है, तो अमरीका ने न तो पहले कोई ऐसा पक्का सबूत दिया है और न अब दे रहा है, जिससे यह विदित हो कि उनके वचन और कर्म में पूर्ण सामंजस्य है। सच तो यह है कि इन दोनों में बहुत अन्तर है। अमरीका में अभी कुछ समय पहिले ही भारतवासी नागरिकता के पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते थे। आज भी, जहां तक मेरी स्मरण शक्ति कार्य कर सकती है–इस विषय में मसौदा-समिति के श्रेष्ठ ज्ञान द्वारा मेरी बात को ठीक किया जा सकता है–केवल 100 भारतीय प्रतिवर्ष उस देश में प्रवास कर सकते हैं और उस देश की पूर्ण नागरिकता के अधिकारी हो सकते हैं– एक ऐसा देश, जो उदार नीति पर प्रगतिशील विचार रखने का दावा करता है–एक ऐसा देश, जो मानव अधिकार की समानता का हामी है–एक ऐसा देश, जो चार प्रसिद्ध स्वतंत्रताओं का प्रवर्तक तथा उनको समुन्नत करने वाला होने का दावा करता है, पर जो प्रतिदिन स्वतन्त्रता का उल्लंघन करता है। यह सब संसार में समानता के उनके ही विचारों के ठीक अनुरूप नहीं है, और जिसके पास यदि डालर है, तो कमण्डल लेकर सिर झुका कर उसके पास जाये और शक्तिशाली डालर के स्वामी जिस शर्त को रखना चाहें, उसे मानने के लिए तैयार हों।

इस देश को उनसे बहुत अधिक भयभीत नहीं होना चाहिये, क्योंकि हमें उद्योगों में उन्नति करनी है और हमारे साधन अविकसित हैं। कुछ लोग हमसे यह कहते

[प्रो. के.टी. शाह]

हैं कि हमारे पास ऐसा करने के लिए हमारे निजी पर्याप्त मूल साधन नहीं हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं, जो इस बात में विश्वास करते हैं। हमें कोई भय नहीं होना चाहिये, हमें स्वयं अपने प्रति इतना संकोची नहीं होना चाहिये कि हम यह स्पष्ट न कह सकें कि जो हमारे साथ समानता का व्यवहार नहीं करते हैं, उनके साथ भी इस देश में समानता का व्यवहार नहीं किया जायेगा। परिणाम चाहे जो कुछ हो, मुझे डर नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता है कि यद्यपि इस देश ने केवल दो वर्ष पूर्व ही स्वतन्त्रता तथा सम्पूर्ण प्रभुता प्राप्त की है, पर फिर भी वह अपने संविधान में अपनी सत्ता तथा क्रियाकरण की मूल विधि में यह क्यों प्रकट करे कि वह कुछ लोगों से भयभीत है कि कहीं वे नाराज न हो जायें और कहीं हमको अपने से बाहर न समझने लग जायें। यदि वे ऐसा करते हैं तो इससे उनका ही विरोध होगा ओर उससे हमारी हानि नहीं होगी। जितना जल्द वह दिन आ जाये, जबकि कटु अनुभव द्वारा हम अपनी टांगों पर खड़ा होना सीख जायें और अपने शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध करने लगें, उतना ही हमारे लिये अच्छा है। जब तक हम यह चाहते हैं कि अन्य देश हमारी रक्षा करें, हमें सहारा दें और हमारी सहायता करें, तब तक हम अपनी आत्मा को अपनी आत्मा नहीं कह सकेंगे।

अत: बात यह है कि बिना किसी संदिग्धता के, बिना किसी टालमटोल के नागरिकता के सम्बन्ध में यह बात मैं संविधान में रखूंगा, चाहे कुछ भी हो, अब से बाद में संसद को यह स्वतन्त्रता नहीं होगी कि वह उन लोगों को समान अधिकार दे सके, जो हमें उस समान अधिकार से वंचित रखते हैं। हम सबके साथ पूर्ण रूप से वैसा ही व्यवहार करने के लिये तैयार हैं, चाहे यह पाकिस्तान हो, अमरीका, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका या ब्रिटेन हो; यदि हमारे साथ समानता का व्यवहार किया जाता है तो हम भी समानता का व्यवहार करने के लिए तैयार हैं। हम इन महान श्वेत सज्जनों की केवल बातों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, जब तक कि उनके कर्म उनके शब्दों के अनुरूप नहीं होते हैं। उस कहावत के अनुसार जिसमें मकड़ी मक्खी से कहता है कि "मेरे भवन में आओ" हम समानता के उनके मौखिक विचारों को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं। अपनी तुलना में मक्खी से नहीं करता हूं, पर मकड़ी की चाटुकारिता की नीति में आकर उसके द्वारा चूसे जाने के लिये हमें अग्रसर नहीं होना चाहिये, चाहे वह जाला न्यूयार्क में हो, लन्दन, ब्रिस्बेन अथवा केनिबरा में हो। जब तक उनके वचन उनके कर्मों के अनुरूप नहीं होते हैं, तब तक वे कहीं से कुछ भी चीखते-चिल्लाते रहें, उसका कुछ भी प्रभाव नहीं है। इस प्रवंचना से, इस छल से, इस विश्वासघात से तथा इस प्रभावपूर्ण रीति से विक्रय किये जाने से हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं और न कोई दृढ़ स्थिति ग्रहण कर सकते हैं। अत: मैं सुझाव रखता हूं कि संविधान द्वारा संसद को निर्बन्धित किया जाये, जिससे कि जैसा दुर्भाग्यवश हम संयुक्त राष्ट्र मण्डल के सदस्यों को, जो हमारे साथ वैसा व्यवहार नहीं करते हैं, उन्हें समान व्यवहार प्रदान करने के लिए राजी हो गये हैं, वैसा वह न कर सकें।

अभी-अभी हमने कई अन्तर्राष्ट्रीय आभार स्वीकार किये हैं। अभी मैं केवल एक की ही ओर ध्यान आकर्षित करता हूं और वह है तत्कथित हवाना करार अथवा हवाना व्यापार सम्बन्धी करार। मैं इसके सही शब्दों को भूल रहा हूं–इन

संकेताक्षरों की बाढ़ से व्यक्ति इतना घबरा जाता है कि उसे इन संस्थाओं का मूल नाम याद ही नहीं रह सकता। मैं यह माने लेता हूं कि सभा इस बात से परिचित है कि हम इन अन्तर्राष्ट्रीय आभारों को स्वीकार करते चले जा रहे हैं। पर ये अन्तर्राष्ट्रीय आभार हमारे ही विरुद्ध क्रियान्वित न हों और मैं आशा करता हूं कि ये केवल हमारे ही विरुद्ध क्रियान्वित नहीं हो रहे हैं। उदाहरणार्थ, जब ब्रिटेन के लिये यह अनुकूल सिद्ध नहीं हुआ कि वह हवाना आदेशपत्र के अनुसार चले, तो उसने बिल्कुल स्वतन्त्र होकर अर्जेन्टाइना से व्यापारिक करार कर लिये जिसके कारण, मुझे यह बताया गया है कि न्यूयार्क की मुद्रा दर को बहुत क्षति हुई है। चाहे जो कुछ हो, पर ब्रिटेन ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिये किसी प्रकार का संकोच नहीं किया। यदि ऐसा कोई अवसर आये, तो हमारे पास भी इन लोगों से व्यवहार करने की शक्ति होनी चाहिये और जब कभी ऐसी परिस्थितियां पैदा हों, तो हम बिना किसी बैर या प्रीति के उनको निपटा सकें। अतः मैं कहता हूं कि जिस संशोधन को मैंने रखा है उसके द्वारा—मैं फिर कहता हूं कि मैं इस संशोधन के शब्दों पर आग्रह नहीं कर रहा हूं वरन इस सुझाव की भावना के आधार पर हम किसी ऐसी दुर्घटना से अपनी रक्षा कर सकेंगे। मैं आशा करता हूं कि कोई व्यक्ति मुझे यह संकुचित मनोवृत्ति का राष्ट्रजन नहीं समझेगा, यद्यपि इस प्रकार से कहे जाने में मुझे कोई संकोच नहीं है। पर यह उन लोगों के लिये आवश्यक है जो अपनी टांगों पर खड़ा होना चाहते हैं, जो अपने शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध करना चाहते हैं और जो इस बात की चिन्ता नहीं करते हैं कि संसार का कोई भी व्यक्ति उनके प्रति क्या विचार रखता है अथवा क्या सोचता है, बशर्ते कि यदि हमें यह विश्वास है कि हम ठीक हैं। एक प्रसिद्ध अवसर पर जबकि जन-विद्रोह के कारयर सरदार अध्यक्ष लिन्कन के पास महान युद्ध के समय आये और कहा कि "श्रीमान् हमें आशा है कि ईश्वर हमारे साथ हैं"। अध्यक्ष लिन्कन ने उत्तर दिया "यह कोई बड़ी बात नहीं है कि ईश्वर हमारे साथ है, पर यदि हम ईश्वर के साथ हैं, तो यह एक बड़ी बात है"। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम ईश्वर के साथ हैं और मेरा दृढ़ विश्वास है कि जिस संशोधन का मैंने सुझाव रखा है, यदि उसके भाव को स्वीकार कर लिया जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं होगी जिस पर हमें खेद करना पड़े।

***श्री कृष्णचन्द्र शर्मा** (संयुक्त प्रान्तः जनरल): श्रीमान्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

> "कि उपरोक्त संशोधन संख्या 1 में प्रस्थापित अनुच्छेद 5 के खण्ड (ग) के अन्त में 'and subject to the jurisdiction thereof' शब्द प्रविष्ट किये जायें।"

आशय यह है कि इन शब्दों के बिना यह उपबन्ध इस अन्तर्राष्ट्रीय विधि का विरोध करेगा कि यहां स्थित दूतावास के कर्मचारियों के बच्चे इस देश की विधि के अधीन नहीं हैं। उदाहरण के लिये आप सेना में उनको अनिवार्य रूप से भरती नहीं कर सकते हैं और यह एक साधारण विधि है कि कोई व्यक्ति, जब तक कि वह नागरिकता के आभार स्वीकार न करे, तब तक उसके अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता है। अतः आप एक ऐसे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान नहीं कर सकते हैं, जिससे आप उसके आभार वहन करने की आशा नहीं कर सकते अथवा इसके लिये आप उससे कह नहीं सकते। अतः यह संशोधन अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा के ठीक अनुरूप है और इससे यह उपबन्ध अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुकूल हो जायेगा। यह आवश्यक है और मैं आशा करता हूं कि माननीय डॉ. अम्बेडकर इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

"(क) कि उपरोक्त संशोधन 1 में–

(1) प्रस्थापित अनुच्छेद 5 में–

'has not voluntarily acquired the citizenship' शब्दों के स्थान में 'is not already the citizen' शब्द रखे जायें;

(2) व्याख्या में 'has' शब्द के स्थान में 'had' शब्द रखा जाये, 'now' शब्द को हटा दिया जाये; और अन्त में निम्न जोड़ दिया जाये:–

'at the commencement of this Constitution.'

(ख) प्रस्थापित नये अनुच्छेद 5-क में 'now included in Pakistan' शब्दों के स्थान में 'included in Pakistan at the commencement of this Constitution' शब्द रखे जायें' "

मेरा एक और संशोधन सरदार भूपेन्द्रसिंह मान के साझे में है और उसका पेश करना मैं सरदार साहब पर छोड़ता हूं।

श्रीमान्, यह अनुच्छेद हमारे संविधान का एक बहुत ही कठिन अनुच्छेद है और जैसा कि अब तक जो भाषण हुए हैं, उनसे विदित हुआ है और यहां तक कि स्वयं डॉ. अम्बेडकर ने यह स्वीकार किया है कि यद्यपि इस मसौदे को बहुत ही सावधानी के साथ विचार कर रखा गया है, पर फिर भी मित्र उसमें दोष निकालने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे मित्र डॉ. देशमुख ने अनुच्छेद 5 के प्रथम खण्ड पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन पेश किया है। उनकी आपत्ति यह है कि हम भारत की नागरिकता को बहुत ही आसान कर रहे हैं, जबकि अन्य देशों में नागरिकता प्राप्त करना बहुत कठिन है। मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं और सोचता हूं कि जिस रूप में यह अनुच्छेद है, उसमें किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन होना चाहिये। आइये, हम देखें कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो क्या होगा। अनुच्छेद में कहा गया है:–

"इस संविधान के प्रारम्भ होने की तिथि पर प्रत्येक व्यक्ति, जिसका भारत राज्य-क्षेत्र में अधिवास है तथा जो भारत राज्य-क्षेत्र में जन्मा था, अथवा जिसके जनकों में से कोई भारत राज्य-क्षेत्र में जन्मा था, भारत का नागरिक होगा।"

यह खण्ड कुछ ऐसे लोगों को नागरिकता प्रदान करेगा, जिसको शायद हम नागरिकता प्रदान करना न चाहें। श्री एमेरी भारत में मेरे जिले गोरखपुर में पैदा हुये थे, जहां उनके पिता वन विभाग में पदाधिकारी थे और उनके पुत्र जोन एमेरी हमारी नागरिकता प्राप्त कर लेंगे, यदि वे 26 जनवरी सन् 1950 से कुछ समय पूर्व कुछ काल के लिये यहां आ जाते हैं और हमें उनको नागरिकता प्राप्त करने से रोकने का कोई हक नहीं होगा। खण्ड (ग) के अनुसार पांच वर्ष तक का निवास किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। मैं समझता हूं कि हम अपनी नागरिकता को बहुत ही आसान बना रहे हैं। हमने यह कहा है कि "यदि उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित नहीं

की है।" मैं समझता हूं कि "यदि वह किसी विदेशी राज्य का नागरिक न हो" होना चाहिये। इस प्रकार इस खण्ड का संशोधन होना चाहिये। डॉ. देशमुख ने यह सुझाव दिया है कि "उसका जन्म भारतीय जनकों द्वारा हुआ हो।" "भारतीय जनकों" की परिभाषा करनी पड़ेगी, क्योंकि हम इस खण्ड में 'भारतीय' की परिभाषा कर रहे हैं और मेरा सुझाव है कि भारतीय का यह अभिप्राय होना चाहिये "कि 1935 के अधिनियम के अधीन जो कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कहा जा सकता है, और यदि किसी का जन्म ऐसे जनकों द्वारा हुआ हो, तो वह अवश्य ही भारत का नागरिक कहा जायगा।" डॉ. देशमुख का संशोधन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हिन्दू और सिखों के लिये भारत के अतिरिक्त अन्य कोई घर नहीं है और मैं नहीं समझ पाता हूं कि इस श्रेणी में तब तक हम प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार शामिल कर सकते हैं, जब तक हम इस प्रकार स्पष्ट न कहें। यह कहने में हमें संकोच नहीं करना चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति जो धर्मणा हिंदू या सिख है और किसी अन्य राज्य का नागरिक नहीं है, उसे भारत की नागरिकता का हक होगा। इससे उन सब वर्गों का समावेश हो जायेगा, जिनको हम समावेश करना चाहते हैं और यह व्यापक हो जायेगा। जो सत्य है उसके उद्घाटन करने में 'असाम्प्रदायिक' शब्द से हमें भयभीत नहीं होना चाहिये और वास्तविकता का सामना करना चाहिये। अत: मैं समझता हूं कि डॉ. देशमुख ने एक बड़ा सुन्दर सुझाव दिया है। वर्तमान मसौदा आवश्यकता से अधिक व्यापक है और हम एक व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करता है। नेपाल के कुछ मित्र मुझसे मिले और पूछा कि क्या इस देश में रहने वाले नेपाली भारत के नागरिक माने जायेंगे और मैं उनको कुछ भी उत्तर न दे सका। पर खण्ड (ग) में उसका उत्तर मिल जाता है। यदि वे पांच वर्ष से यहां हैं, तो वे नागरिक हो जायेंगे। डॉ. देशमुख के संशोधन द्वारा यदि वे चाहते हैं तो उनको नागरिकता मिल जायेगी। अत: इस अनुच्छेद के संशोधन की आवश्यकता है। हमें अपनी नागरिकता बहुत आसान नहीं बनानी चाहिये; पर उन लोगों के लिये जो इस राज्य के प्रति निष्ठा रखते हैं, चाहे वे कोई भी हों, उन्हें भारत की नागरिकता मिलनी चाहिये और अपने संविधान में हमें ऐसा कहना चाहिये। 'स्वेच्छा से' शब्द निकल जाने चाहियें। कोई भी व्यक्ति जिसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है, उसे भारत की नागरिकता का हक नहीं होना चाहिये। यदि आप यह कहेंगे कि 'स्वेच्छा से अर्जित की है' तो वह यह कहेगा कि 'स्वेच्छा से अर्जित नहीं की है, वह तो बिना स्वेच्छा के ही मिल गई तथा ऐसी ही बातें और कहेगा। अत: मैं समझता हूं कि इस अनुच्छेद पर मेरा संशोधन स्वीकार होना चाहिये।

अनुच्छेद 5-क के सम्बन्ध में मैं श्री जसपतराय कपूर से सहमत हूं कि "समझा जायेगा" (deemed to be) शब्द वहां नहीं होने चाहिये। जो लोग पाकिस्तान से भारत में आ गये हैं। "समझे जायेंगे" फिर क्यों कहा जाये? ये शब्द इस संशोधन की कोई शोभा नहीं बढ़ाते हैं। जो मित्रगण यहां आ गये हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिये। वे भारत के नागरिक हैं और उनका भारत का नागरिक 'समझे जाने' का कोई प्रश्न नहीं है।

इसके बाद 'पाकिस्तान के इस समय अंतर्गत' शब्द संदिग्ध हैं—विशेषकर 'इस समय' शब्द। यह संविधान एक दीर्घकालीन भविष्य के लिये बनाया जा रहा है। जब कभी इसे पढ़ा जायेगा तो 'पाकिस्तान के इस समय' शब्द ठीक-ठीक अर्थ

[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना]

व्यक्त नहीं करेंगे, क्योंकि 'इस समय' शब्द के भिन्न-भिन्न अर्थ होंगे। उदाहरणार्थ कुछ क्षेत्र आज पाकिस्तान के अंतर्गत हैं, कल वे न रहें। अथवा कुछ क्षेत्र आज पाकिस्तान में नहीं हैं पर बाद में वे पाकिस्तान में हो सकते हैं। और फिर इसका यह भी अर्थ होगा कि उस समय प्रत्येक व्यक्ति जो पाकिस्तान का नागरिक है, यदि प्रव्रजन कर आया है तो वह भारत का नागरिक हो जायेगा। अत: मैं यह सुझाव रखता हूं कि यह कहने की अपेक्षा कि "पाकिस्तान के इस समय" हम यह कहें कि "इस संविधान के प्रारम्भ पर पाकिस्तान के"। हमें यह सीमित कर देना चाहिये कि पाकिस्तान क्या है। मैं यह कह चुका हूं कि 'इस समय' ऐसे शब्द हों जो पाकिस्तान के क्षेत्र के अनुसार भिन्न-भिन्न अर्थ होंगे। अत: मैं यह सुझाव रखता हूं कि 'इस समय' शब्दों को निकाल दिया जाये और इस व्याख्या के अन्त में 'इस संविधान के प्रारम्भ पर' शब्द जोड़ दिये जायें। मेरा यह संशोधन है। मैं आशा करता हूं कि डॉ. अम्बेडकर इस बात पर सावधानी से विचार करेंगे कि क्या "इस समय पाकिस्तान के" शब्दों का बाद में अन्य प्रकार से निर्वचन तो नहीं किया जायेगा।

सूची 6 के अपने संशोधन संख्या 163 में, जिसे मेरे मित्र श्री भूपेन्द्रसिंह मान पेश करेंगे, मैंने प्रस्थापित अनुच्छेद 5-कक में प्रस्थापित परन्तुक का अपमार्जन चाहा है। इस सम्बन्ध में मेरे मित्र श्री जसपतराय कपूर ने अपने विचार बड़े स्पष्ट रूप में प्रकट किये हैं। उनके तर्कों के अतिरिक्त मैं एक बात और कहूंगा। इससे कार्यपालिका को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी व्यक्ति को अनुज्ञा दे दे और वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो जायेगा, और इस प्रकार यह एक परिवर्तनशील वस्तु के समान हो जायेगी, जिसका प्रतिकार ऐसा हो सकता है, जिसे हम न चाहें। खण्ड 5-क और 5-कक में जो कुछ हमने कहा है, उसे हमें निश्चित रूप में कहना चाहिये कि जो व्यक्ति भारत से प्रव्रजन कर गया है, उसे एक विदेशी के समान समझा जायेगा और जब वह वापस आयेगा तो उसे पांच वर्ष निवास करके नागरिकता अर्जित करनी पड़ेगी, इत्यादि इत्यादि। मैं नहीं समझता हूं कि यह परन्तुक आवश्यक है, अत: मैं समझता हूं कि इस परन्तुक के निकालने के प्रयास करने वाले संशोधन संख्या 163 को स्वीकार किया जायेगा। माननीय श्री गोपालस्वामी आयंगर और श्री टी.टी. कृष्णमाचारी से मैं निवेदन करूंगा कि जो संशोधन उन्होंने पेश किया है उसे वापस ले लें या सभा उसे अस्वीकार कर दे। अनुच्छेद के अन्य भागों में जो कुछ दिया हुआ है, उसे परन्तुक द्वारा रद्द नहीं करना चाहिये।

खण्ड 5-ख में मेरे मित्र श्री जसपतराय कपूर का "किसी विधि के अधीन जो संसद द्वारा निर्मित की जायेगी" शब्दों को निकाल देने का सुझाव ठीक नहीं है और श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने यह संकेत किया है कि अनुच्छेद 6 के होने के कारण वह आवश्यक नहीं है। मैं श्री टी.टी. कृष्णमाचारी से सहमत नहीं हूं क्योंकि वह फिर निर्वचन का प्रश्न हो जायेगा। मैं यह नहीं चाहता हूं कि वह मुकदमेबाजी का विषय हो। संसद को भारत के नागरिक के रूप में व्यक्तियों को सूचीबद्ध करने के राजनयिक या वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के अधिकारों पर परिसीमायें लगाने का पूर्ण अधिकार होना चाहिये। अन्यथा किसी भी व्यक्ति के लिये भारत की नागरिकता प्राप्त करना बड़ा सरल हो जायेगा। मैं समझता हूं कि इस अनुच्छेद

5-ख में ये शब्द रहने चाहिये। अनुच्छेद 6 वास्तव में एक ऊपर का ढांचा है पर यदि यह बात अन्य अनुच्छेदों में उल्लिखित नहीं की जाती है तो संसद की शक्ति परिसीमित हो जायेगी। अनुच्छेद 5-ख निरपेक्ष हैं, अतः इन शब्दों को निकाल कर उसे परिसीमित नहीं करना चाहिये। ये शब्द वहां व्यर्थ नहीं हैं। ये शब्द मूल मसौदे में थे, पर मैं यह नहीं जानता हूं कि इनको क्यों निकाल दिया गया है। ये शब्द वहां रहने चाहियें, जिससे कि उद्देश्य जितना स्पष्ट है, उससे अधिक स्पष्ट हो जाये।

हमारे विद्वान प्रोफेसर शाह ने अभी हमसे कहा था कि अन्य देशों में भारतीयों के साथ भेदभाव पर हमें कितना अधिक ख्याल होता है। संशोधन संख्या 7 में वे कहते हैं कि "संसद किसी भी उस देश के नागरिक को नागरिकता के समान अधिकार नहीं देगी, जो देश अपने यहां बसे हुए भारत के नागरिकों को, जो वहां की नागरिकता प्राप्त करने के इच्छुक हैं, सम व्यवहार से वंचित करता है"। मेरे विचार से हमारा आत्मसम्मान यह मांग करता है कि यह परन्तुक होना चाहिये। अन्यथा यह बड़ी ही निराशाजनक बात है कि जब कोई देश हमारे साथ भेदभाव बर्तता है, पर हम फिर भी उस देश के राष्ट्रजनों को जब वे यहां आते हैं तो नागरिकता के समान अधिकार देते हैं। मेरा निजी यह विचार है और जनता का भी यही विचार है कि यदि वे हमें ठुकराते हैं, तो वे भी ठुकरायें जायेंगे। यह संशोधन संख्या 7 बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन है और यह स्वीकार हो जाना चाहिये।

विदेशी पूंजीपतियों के यहां आने और इस अनुच्छेद से लाभ उठाने का प्रयत्न करने के सम्बन्ध में भी उनका सुझाव विचारणीय है और मुझे आशा है कि विद्वान डाक्टर इसको उतना महत्व देंगे, जितने के यह योग्य है।

यहां एक और शब्द 'अधिराज्य' है। अब जबकि भारत स्वतन्त्र हो गया है और अधिराज्य नहीं रहा तो यह 'अधिराज्य' शब्द लोगों के कानों में खटकेगा। अतः मैं समझता हूं कि अनुच्छेद 5-ख में 'भारत अधिराज्य' शब्दों को अन्य शब्दों में बदल दिया जाये। संविधान के एक और अनुच्छेद के सम्बन्ध में हमने अनुभव किया था कि उस दासत्व काल की याद दिलाने के लिये, जिसे हम बिता चुके हैं, यह अधिराज्य शब्द नहीं रहना चाहिये। अतः इसे भी बदल देना चाहिये और प्रोफेसर शाह के संशोधन संख्या 20 को स्वीकार कर लेना चाहिये।

यह समूचा अनुच्छेद एक कठिन अनुच्छेद है और डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि इसमें अधिक से अधिक समझौते का रूप निहित है। अभी इस अनुच्छेद में सुधार के लिये बहुत गुंजाइश है। अभी इस अनुच्छेद में ऐसी कई कमियां हैं, जिनका करोड़ों देशवासियों पर तथा भविष्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। अतः इस अनुच्छेद पर ठीक ठीक विचार होना चाहिये और जैसी अपेक्षा हो, वैसा संशोधन होना चाहिये।

***पं. ठाकुरदास भार्गव** (पूर्वी पंजाब : जनरल): श्रीमान्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

"कि संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (तृतीय सप्ताह) के संशोधन 1 में प्रस्थापित अनुच्छेद 5 के खण्ड (ग) में 'five years' शब्दों के स्थान में 'ten years' शब्द रखे जायें।"

[पं. ठाकुरदास भार्गव]

आगे मैं और प्रस्ताव पेश करता हूं:

"कि संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (तृतीय सप्ताह) के संशोधन 1 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद 5-क में 'Notwithstanding anything' शब्दों से लेकर 'at the date of commencement of this Constitution if' तक के शब्दों के स्थान में निम्न शब्द रखे जायें–

'Notwithstanding anything contained in article 5 of this Constitution a person who on account of civil disturbances or the fear of such disturbances—

(a) having the domicile of India, as defined in the Government of India Act, 1935, and being resident in India before the partition, has decided to reside permanently in India; or

(b) has migrated to the territory of India from the territory now included in Pakistan;

shall be deemed to be a citizen of India at the date of the commencement of this Constitution if.' "

[इस संविधान के अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुये भी कोई व्यक्ति जो असैनिक विद्रोह के कारण अथवा ऐसे विद्रोह से भयभीत होकर—

(क) भारतीय सरकार के सन् 1935 के अधिनियम में परिभाषित रीति के अनुसार भारत में अधिवास करता हुआ और विभाजन के पूर्व भारत में निवास करता हुआ है और उसने भारत में स्थायी रूप से निवास करना निश्चित कर लिया है; अथवा

(ख) पाकिस्तान के इस समय अन्तर्गत राज्य क्षेत्र से भारत राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन कर आया है;

इस संविधान के प्रारम्भ की तारीख पर भारत का नागरिक समझा जायेगा, यदि]

आगे मैं और प्रस्ताव पेश करता हूं:

"कि संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (तृतीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 1 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद 5-क के अन्त में निम्न शब्द प्रविष्ट कर दिये जायें:

'or if he has before the date of commencement of this Constitution unequivocally-declared his intention of acquiring the domicile of India by permanent residence in the territory of India or otherwise and established

such intention to the satisfaction of the authority before whom the question of his citizenship arises.' "

[अथवा यदि इस संविधान के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व उसने भारत के राज्य क्षेत्र में स्थायी निवास द्वारा अथवा अन्यथा भारत में अधिवास प्राप्त करने के उद्देश्य की असंदिग्ध रूप में घोषणा कर दी है और उस प्राधिकारी के संतोषप्रद रूप में इस उद्देश्य को सिद्ध कर दिया है जिसके समक्ष उसकी नागरिकता का प्रश्न उठता है।]

आगे मैं और प्रस्ताव पेश करता हूं:

"कि संशोधनों पर संशोधनों की सूची 4 (तृतीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 131 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद 5-कक के प्रस्थापित नये परन्तुक में–

(1) 'nothing in this article shall apply to' शब्दों को अपमार्जित कर दिया जाये;

(2) 'or permanent return' शब्दों को अपमार्जित कर दिया जाये; और

(3) 'and every such person shall' शब्दों से लेकर 'nineteenth day of July 1948' तक शब्दों के स्थान में निम्न शब्द रखे जायें:

'shall be entitled to count his period of residence after the nineteenth day of July 1948, in the territory of India in the period required for qualification for naturalisation or acquisition of citizenship under any law made by Parliament.' "

[संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन देशीयकरण अथवा नागरिकता अर्जन की अहिता के लिये अपेक्षित कालावधि में जुलाई सन् 1948 के उन्नीसवें दिन के बाद के भारत राज्य क्षेत्र में अपने निवास करने के काल की गणना करने का हक होगा।]

श्रीमान्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

"कि संशोधनों पर संशोधनों की सूची 4 (तृतीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 131 के प्रस्थापित नये अनुच्छेद 5-क के प्रस्थापित परन्तुक में—

(1) 'nothing in this article shall apply to' शब्दों को अपमार्जित कर दिया जाये;

[पं. ठाकुरदास भार्गव]

(2) 'and every such person shall' शब्दों से लेकर nineteenth day of July 1948, तक शब्दों के स्थान में निम्न शब्द रखे जायें:

'shall be eligible for citizenship by naturalization if he fulfils the condition laid down by law and his permit shall be liable to be cancelled on the grounds on which under the law relating to naturalization the certificate of naturalization can be cancelled.' "

[यदि वह विधि द्वारा निर्धारित शर्त को पूरी करता है तो देशीयकरण द्वारा नागरिकता का पात्र होगा और देशीयकरण सम्बन्धी विधि के अधीन जिन आधारों पर देशीयकरण का प्रमाणपत्र रद्द किया जा सकता है उन आधारों पर उसका अनुज्ञा पत्र रद्द भी किया जा सकेगा।]

श्रीमान्, आगे मैं और प्रस्ताव पेश करता हूं:

"कि संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (तृतीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 1 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद 5-ख में 'any person' शब्दों के पश्चात् 'having his domicile in the territory of India' शब्द प्रविष्ट कर दिये जायें।"

श्रीमान्, आगे मैं और प्रस्ताव पेश करता हूं:

"कि संशोधनों की सूची 1 (तृतीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 1 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद 5-ख में 'whether before or after' शब्दों के स्थान में 'before' शब्द रखा जाये।"

श्रीमान्, आगे मैं और प्रस्ताव पेश करता हूं:

"कि संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (तृतीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 1 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद 5-ख में अन्त के शब्द 'or the Government of India' अपमार्जित कर दिये जायें।"

श्रीमान्, आपकी अनुज्ञा से मैं आगे और प्रस्ताव पेश करूंगा:

"कि उपरोक्त संशोधन संख्या 1 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद 5-ख के अन्त में निम्न परन्तुक जोड़ दिया जाये।

'Provided he has not abandoned his domicile by migrating, to Pakistan after the 1st April 1947 or acquired after leaving India the citizenship of any other State.' "

[परन्तु यदि उसने 1 अप्रैल सन् 1947 ई. के पश्चात् पाकिस्तान में प्रव्रजन कर अपने अधिवास का परित्याग न किया हो अथवा भारत छोड़कर किसी अन्य राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।]

***अध्यक्षः** यदि मैं यह कहूं कि निम्न संशोधन पेश हो चुके हैं:

सूची 6 (तृतीय सप्ताह) संख्या 160, 161, 162, 164, 165, 167, 168 और 169।

सूची 1 (तृतीय सप्ताह) संख्या 32, तो क्या यह ठीक बात है?

***पं. ठाकुर दास भार्गवः** जी हां। अनुच्छेद 5-5क, 5-कक, 5ख और 5-ग के पढ़ने से यह विदित होगा कि यह मान लिया गया है कि जन्म, अधिवास, पांच वर्ष निवास, जन्म और प्रव्रजन, अथवा भारतीय सरकार द्वारा नियुक्ति पदाधिकारियों द्वारा पंजीबद्ध करने, अथवा किसी देश में दूतावास के यहां किसी प्रकार के पंजीबद्ध करने को नागरिकता के लिये अर्हता के रूप में समझ लिया गया है।

जहां तक जन्म के प्रश्न का सम्बन्ध हैं मैं नहीं समझ पाता हूं कि भारत में अथवा किसी अन्य देश में महाजननी के जन्म या महाजनक के जन्म को किसी व्यक्ति को नागरिकता के लिये अर्हता देने वाला कैसे समझा जा सकता है? यदि आप इन अनुच्छेदों पर एक-एक करके अलग अलग विचार करें तो यह विदित होगा कि जन्म को भी कुछ श्रेय नहीं दिया गया है क्योंकि अनुच्छेद 5-ग के अधीन यदि कोई विदेशी पांच वर्ष तक भारत में रहता है और यदि उसका भारत में अधिवास है तो वह भी नागरिक होने का हक रखता है।

इसी प्रकार, अधिवास के सम्बन्ध में, यह कोई अनिवार्य शर्त नहीं है, क्योंकि 5-ख में यदि कोई व्यक्ति भारतीय सरकार के सन् 1935 के अधिनियम में परिभाषित भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था और तब से किसी विदेश में रह रहा है तो ये दो बातें नागरिकता के अधिकार अर्जन करने के लिए पर्याप्त है यदि वह दूतावास को आवेदन पत्र भेजता है और पंजीबद्ध होने दिया जाता है। अधिवास की भी आवश्यकता नहीं है। श्रीमान्, मैं नहीं समझता हूं कि इस नागरिकता में ऐसी क्या बात है जिसको नागरिक होने के पूर्व प्राप्त करना किसी व्यक्ति के लिये नितान्त आवश्यक है? श्रीमान्, मेरे विचार से अधिवास एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और मैं सोचता हूं कि अधिकांश नागरिकता के लिये एक अनिवार्य शर्त है। अन्य कोई बात चाहे हो या न हो, पर जैसा कि संसार के समस्त सभ्य देशों की देशीयकरण विधियों से, मैं समझता हूं, देशीयकरण द्वारा कोई भी व्यक्ति नागरिकता के अधिकार प्राप्त कर सकता है यदि वह उस देश की विधियों में निर्धारित शर्तों को पूरा कर देता है। पर जहां तक अधिवास का सम्बन्ध है, जब तक यह न हो तब तक, श्रीमान, मेरी तुच्छ राय से कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि उसे किसी विशिष्ट देश की नागरिकता बिना अधिवास के ही प्राप्त है। आखिरकार नागरिकता के अधिकार, नागरिकता के आभार और नागरिक होने की स्थिति कोई साधारण बात नहीं है। यह कोई तुच्छ बात नहीं है। यदि निश्चित होना चाहिये। मैं समझता हूं कि किसी राज्य का नागरिक होने पर किसी व्यक्ति

[पं. ठाकुरदास भार्गव]

को कुछ अधिकार मिल जाते हैं और यदि वह उस राज्य का है अथवा उसका नागरिक है तो वह अपने ऊपर कुछ आभारों के निर्वहन करने का उत्तरदायित्व भी लेता है। मुझे यह दिखाई देता है कि अपने जाल को बहुत दूर तक बिछा देने का इच्छा के कारण हमने यह देखने की चिन्ता नहीं की है कि क्या हम उन लोगों पर किसी प्रकार के आभार भी रख सकते हैं जिनको हम अपनी नागरिकता के अधिकार दे रहे हैं और न हमने यह देखने की चिन्ता की है कि जब हम किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक बना देते हैं तो जहां तक उस व्यक्ति का सम्बन्ध है हम एक महान् उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं। इस सभा में कौन व्यक्ति यह नहीं जानता है कि जब उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त में जनजाति के लोगों ने मिस एलिस को बन्दी कर लिया था तो सारा ग्रेट ब्रिटेन उलट पुलट हो गया क्योंकि वह इंग्लैण्ड की नागरिक थी? श्रीमान्, क्या आज हम यह नहीं देखते हैं कि जो लोग हमारे समझे जाते हैं, चाहे वे हमारे नागरिक हों या न हों, उनके साथ विभिन्न देशों में बुरा बर्ताव किया जाता है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं? क्या हम यह नहीं जानते कि हमारी स्त्रियां तक पाकिस्तान में हैं और हम उनको वापस नहीं पा सकते हैं? श्रीमान्, जबकि एक देश इतना निरीह तथा दुर्बल है कि वह अपने देश की स्त्रियों तथा नागरिकों तक की रक्षा नहीं कर सकता है तो मैं नहीं समझता हूं कि अपने जाल को इतना अधिक विस्तृत करने का उसे क्या अधिकार है। यदि हमारा देश साधन शून्य है और यदि हम अपने शरणार्थियों को सुविधा और सान्तावना नहीं दे सकते हैं, उनका पुनर्वास नहीं कर सकते हैं तो हमें पाकिस्तान से और लोगों को बुलाने और उन्हें अपना नागरिक बनाने का क्या अधिकार है? जबकि हमारे देश में यह देखने तक के साधन उपलब्ध नहीं हैं कि जो लोग यहां रहते हैं उन्हें पेट भर खाना मिलता है या नहीं उनके पास मकान है या नहीं तो दक्षिण अफ्रीका वालों को अपना नागरिक कहने का हमें क्या अधिकार है?

मेरा विनम्र निवेदन यह है मैं यह नहीं चाहता हूं कि हम अपनी नागरिकता को इतना सरल बना दें क्योंकि राज्य के कुछ आभार होते हैं और राज्य के इन आभारों का भार शेष नागरिकों पर पड़ता है: और यदि देश के किसी भाग में किसी नागरिक का निरादर किया जाता है तो राज्य तथा देश के नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह यह देखें कि उस अपमान का बदला चुका दिया गया और क्षतिपूर्ति हो गई। यदि आप कोई भलाई नहीं कर सकते हैं तो जो लोग नागरिक होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं उन सबको बुलाने और उनसे अपने यहां का नागरिक होने के लिये कहने से क्या लाभ?

इस सम्बन्ध में मैं सभा का अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि कुछ सदस्य इस विषय पर इसी रूप में बोल चुके हैं। पर वर्तमान प्रश्न सम्बन्धी विषय पर मैं आपके समक्ष अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। जब हम एक प्रान्तीय विधि ही बना रहे हैं तो मैं इस बात का इच्छुक हूं कि शरणार्थी के रूप में पाकिस्तान से आये हुये एक भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होने में कुछ भी कठिनाई न हो। मैं इस बात के लिये उत्सुक हूं कि उन शरणार्थियों के मार्ग में कोई रोड़ा न अटकाया जाये जो उपद्रव के कारण पाकिस्तान से चले आये हैं और जो अपना सर्वस्व छोड़कर इस देश में आ गये हैं। मेरी दूसरी इच्छा यह है कि

जो लोग 15 अगस्त सन् 1947 को पाकिस्तान के नागरिक बनने के इच्छुक थे और जो लोग आंखें खोलकर और अपने ओठों पर इस गाने को गुनगुना कर "हंस के लिया पाकिस्तान, लड़ कर लेंगे हिन्दुस्तान" पाकिस्तान का नागरिक होने के लिये इस देश को छोड़ गये, उनको भारत का नागरिक न बनाया जाये। उन लोगों ने अब इस देश का नागरिक बनने के अधिकार को छोड़ दिया है। श्रीमान्, मैं निवेदन करता हूं कि जहां तक इन शरणार्थियों का सम्बन्ध है वे तो भारत के नागरिक थे। विभाजन के कारण वे भारत के नागरिक होने से वंचित नहीं हुये हैं, यदि वे यहां आ गये हैं और इस देश में स्थायी रूप से निवास करना चाहते हैं तो नागरिकता को उन्हें प्रत्येक अधिकार प्राप्त है और उनके मार्ग में किसी रोड़े को मैं अन्यायपूर्ण तथा अनुचित समझता हूं।

इस विचार से मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है। श्रीमान्, आपको अनुमति से मैं अभी यह कहने जा रहा हूं कि जिन दो उद्देश्यों की मैंने चर्चा की है इनके प्राप्त करने के लिए मैं इन अनुच्छेदों में आगे और क्या-क्या सुधार अथवा संशोधन चाहता हूं।

सर्वप्रथम मैं अनुच्छेद 5 पर आता हूं। उन शरणार्थियों के विषय को लेने के पूर्व जो पाकिस्तान से भारत में पुनः प्रवेश करना चाहते हैं मैं पहले उन शरणार्थियों के विषय की ओर निर्देश करूंगा जो अनुच्छेद 5 के अधीन आते हैं। इस अनुच्छेद के अधीन इस खण्ड की परिभाषा के अनुसार ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने भारत को कभी देखा तक न हो। वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो भारत में जन्मा हो अथवा उसके जनकों में से कोई एक भारत में जन्मा हो अथवा अधिवास रखता हो। यह अधिवास केवल एक मानसिक प्रवृत्ति या विचार है कि यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहता है तो अन्ततः उसे भारत में एक स्थायी घर रखना होगा। मैं नहीं जानता हूं कि ऐसे व्यक्ति पर यह देश कोई आभार आरोपित कर सकेगा। खैर, यह तो उन लोगों के बारे में है जिनका जन्म भारत में हुआ था अथवा जिनके जनकों का जन्म भारत में हुआ था अथवा जिनका भारत में अधिवास है। विदेशियों के लिये जो नागरिकता के अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं सन् 1926 का देशीयकरण अधिनियम 7 है। आवश्यक रूपान्तरों के सहित इस अधिनियम को भारत की विधि के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिये। दूसरे देशों में भी देशीयकरण सम्बन्धी ऐसी विधियां हैं और यदि कोई विदेशी किसी देश का नागरिक होना चाहता है तो विधि यह अपेक्षित करता है कि वह पांच वर्ष तक उस देश में रहा हो और इस बात पर आग्रह करता है कि वह अच्छे आचार-विचार का हो और यह भी कि वह उस देश के प्रतिनिष्ठा रखने की शपथ ग्रहण करे। श्रीमान्, आपकी अनुमति से इस सम्बन्ध में मैं आपके समक्ष सन् 1926 के देशीयकरण अधिनियम की धारा 5 की ओर निर्देश करूंगा जिसमें वह शर्त दी हुई है जिसके अधीन कोई व्यक्ति देशीयकरण के अधिकार प्राप्त करता है। अच्छे आचार-विचार रखने जैसी अन्य शर्तों के साथ-साथ जो धारा 3 में दी गई हैं, धारा 6 में एक और उपबन्ध किया गया है:

> "प्रत्येक व्यक्ति जिसे देशीयकरण का प्रमाणपत्र दिया जाता है वह प्रमाणपत्र के देने की तारीख से 30 दिन के भीतर निम्न शपथ ग्रहण करेगा:
>
> "मैं (अमुक), (अमुक स्थान) का निवासी शपथ ग्रहण करता हूं (अथवा प्रतिज्ञान करता हूं) कि मैं.....के प्रति सच्चा रहूंगा और सच्ची निष्ठा रखूंगा।' "

[पं. ठाकुरदास भार्गव]

उन लोगों के विषय में जो यहां इस देश में रह रहे हैं इस देश में उनके पांच वर्ष तक ठहरने का तथ्य ही पर्याप्त नहीं होना चाहिये यदि देशीयकरण द्वारा नागरिकता की अन्य शर्तें उनके पक्ष में लागू नहीं की जाती है तो। मेरा निवेदन यह है कि यदि आप देशीयकरण की विधि का अध्ययन करें तो आप इस परिणाम पर पहुंचंगे कि उस व्यक्ति पर भी कुछ शर्तें पूरी करने का उत्तरदायित्व है जो केवल देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करता है। उसे कुछ आभार पूरे करने होते हैं और उसे एक अच्छे आचार-विचार का व्यक्ति होना चाहिये। इन सब शर्तों को अलग किया जा रहा है और उसे इस देश का नागरिक माना जा रहा हैं अत: केवल यही उचित है कि यह प्रकट करने के लिये कि वास्तव में वह व्यक्ति भारत में रहना चाहता है हम दस वर्ष के कम से कम अधिवास की व्यवस्था करें। अन्यथा ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो बादशाह की सेवा में रहे है। और बहुत समय से यहां ठहरे हुये हैं वे अब यहां रहना पसन्द करें जिसका कारण वे ही जानते होंगे। मेरे लिये तो यह कठिनाई है कि मुझे विश्वास नहीं होता है कि जो लोग पाकिस्तान से या अन्य किसी देश से आते हैं वे केवल इस देश में प्रेम होने के कारण यहां ठहरने का विचार रखते हैं यदि वे इसी उद्देश्य से यहां रहना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है वे इस देश के नागरिक बनें पर यह मैं भली प्रकार जानता हूं कि ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो इस देश में इस उद्देश्य से नहीं आये हैं अथवा न इस उद्देश्य से यहां रह रहे हैं। उनके लिये मैं पांच वर्ष नहीं दस वर्ष रखूंगा जो सावधान रहने के लिए आवश्यक समझा जाये।

दूसरा संशोधन जिसको मैंने पेश किया है, संख्या 161 है। इस संशोधन के सम्बन्ध में यह प्रकट हो गया होगा कि इसके द्वारा खण्ड 5-क की प्रस्तावना में कुछ परिवर्तन करने का प्रयास किया गया है। मैंने एक ऐसे विषय की व्यवस्था की है जिसके अंतर्गत भारतीय सरकार के सन् 1935 ई. के अधिनियम में परिभाषित भारत में जन्मा या अधिवासित कोई व्यक्ति यदि वह विभाजन के तीन वर्ष पूर्व भारत में आ गया है और पांच वर्ष से यहां नहीं रह रहा है। इस अनुच्छेद में ऐसे व्यक्ति के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिये, जिनके बारे में मुझसे यह कहा गया है कि आसाम में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं, मैंने इस संशोधन को प्रस्तुत किया है। मैं यह चाहता हूं कि ऐसा हर एक व्यक्ति, जो विभाजन के पूर्व भारत में आ गया है और पांच वर्ष से कम काल से रह रहा है और जिसने यहां रहने का निश्चय कर लिया है—क्योंकि पूर्वी या पश्चिमी पाकिस्तान की हालत में कारण वह वहां नहीं जाना चाहता है—भारत का नागरिक होने दिया जाये। यदि आप ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था नहीं करते हैं तो ऐसे बहुत से मनुष्य बिना नागरिकता के रह जायेंगे जो भारत के नागरिक होना चाहेंगे। यह गलत बात है। यह अनुच्छेद 5-क ऐसे लोगों के लिये व्यवस्था करता है जिनको प्रत्येक व्यक्ति भारत का योग्य नागरिक समझेगा?

एक और कठिनाई है और इस तथ्य को मैं छुपाना नहीं चाहता हूं। एक विश्वसनीय प्राधिकारी द्वारा इस सभा के किसी माननीय सदस्य द्वारा मुझे यह बताया गया है कि विभाजन के पश्चात् पूर्वी बंगाल के हिन्दू शरणार्थियों की तिगुनी संख्या में मुसलमान आसाम में प्रव्रजन कर गया है। यदि एक मुसलमान भारत में आता

है और भारत के प्रति निष्ठा रखता है और भारत को उतना ही प्रेम करता है जितना हम तो उस व्यक्ति के लिये प्रेम के अतिरिक्त अन्य कोई बात मेरे मन में नहीं है। पर विभाजन के बाद भी बहुत से मुसलमान आसाम में इसलिये आ गये हैं कि निर्वाचन में वहां मुस्लिम बहुमत हो जाये न कि भारत के नागरिक के रूप में आसाम में बसने के लिये। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि वे लोग यहां एक ऐसे उद्देश्य से आये हैं जो वास्तव में बहुत न्यायसंगत नहीं हैं। जो लोग पाकिस्तान के उपद्रवों के कारण अथवा वहां के उपद्रवों से भयभीत होकर यहां चले आये हैं उनको भारत में शरण मिलनी चाहिये। यदि कोई राष्ट्रीय मुसलमान जो पूर्वी पाकिस्तान या पश्चिमी पाकिस्तान के मुसलमानों से डर कर भारत में आता है तो उसका यहां अवश्य स्वागत होगा। हमारा यह कर्तव्य है कि उसकी रक्षा की जाये। हम उसको अपने भाई के समान समझेंगे और भारत का एक सच्चा राष्ट्रजन समझेंगे। उन अन्य लोगों के सम्बन्ध में जो उपद्रव के कारण यहां नहीं आये हैं यदि हम कर सकते हैं तो उनको भारत का नागरिक न बनने दें। इसीलिये मैंने यह शब्द बढ़ा दिये हैं:

"इस संविधान के अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुये भी कोई व्यक्ति जो असैनिक उपद्रवों के कारण अथवा ऐसे उपद्रवों से भयभीत होकर...।"

मैं इस बात पर कदाचित आग्रह करूंगा कि वह व्यक्ति जो भारत के किसी प्रान्त में मुस्लिम बहुमत बनाने के लिए आता है वह यहां न आये और नागरिक न बने। अत: प्रव्रजन की पहली शर्त यह होगी की वह व्यक्ति यहां उपद्रव के कारण आये। जो लोग यहां उपद्रव के कारण रहना चाहते हैं उनके लिये भारत के दरवाजे खुले हुये हैं। पर वे लोग जो बुरी भावना लेकर यहां आते हैं जो न्यायमुक्त सच्चे स्वामियों को भयभीत कर उनसे भूमि छीनने के लिये और इस देश में अपना बहुमत बनाने के लिये यहां आते हैं उनके लिये हमें यह कहना चाहिये कि यहां कोई शरण नहीं दी जायेगी। वे यहां स्थायी रूप से निवास करने के विचार से प्रव्रजन नहीं कर रहे हैं। उनका उद्देश्य केवल यहां झगड़ा पैदा करना है। पर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये मैं हर एक सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह मुझसे इस बात में सहमत हो कि अनुच्छेद 5-क में यह उपबन्ध कर दिया जाये।

इसके बाद मैं आगे के संशोधन (162) पर विचार प्रस्तुत करता हूं। इसके सम्बन्ध में मेरे मन में यह शंका है कि जब अनुच्छेद 5-क का मसौदा बनाया गया था उस समय शायद यह नहीं सोचा गया था कि इसके अन्तर्गत बहुत से शरणार्थी न आ जायें। मेरे सुझाव को स्वीकार करने के लिये और इस शर्त को हटा देने के लिए कि नागरिकता के लिये सब शरणार्थी घोषणापत्र दाखिल करें। मैं मसौदा समिति का कृतज्ञ हूं। पर जो लोग 19 जुलाई सन् 1948 ई. के बाद आये हैं—ऐसे कुछ अयाने व्यक्ति हो सकते हैं जो इस शर्त को न जानते हों कि 26 जनवरी सन् 1950 को दरवाजें बन्द हो जायेंगे—मैं नहीं जानता हूं कि कि उनका क्या होगा। शायद कोई नई विधि उन लोगों के लिये कुछ उपबन्ध करे कि 5 वर्ष निवास करने के पश्चात् उनको नागरिक माना जा सके। ऐसे लोगों के सम्बन्ध में मैं विश्वास करता हूं कि हमें एक ऐसा उपबन्ध करना होगा कि यदि वे भारत में आते हैं और स्थायी रूप में बस जाते हैं तो बिना किसी और अर्हता के इससे ही उनको नागरिकता का अधिकार मिल जाये। इसके लिये मैंने यह उपबन्ध किया है कि यदि कोई व्यक्ति संविधान के प्रारम्भ के पूर्व किसी

[पं. ठाकुरदास भार्गव]

पदाधिकारी के समक्ष नहीं वरन् अपने आचरण द्वारा यह स्पष्ट घोषित कर देता है कि भारत राज्यक्षेत्र में उसका स्थायी निवासी होगा तो वह भारत का नागरिक होगा। यह प्रश्न अभी नहीं उठेगा। पर किसी व्यवहार अथवा दण्ड विषयक मामले में यह प्रश्न किसी समय उठ सकता है। अत: जब कभी यह प्रश्न उठे कि क्या कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं तो वह यह कह सके कि संविधान के प्रारम्भ के पूर्व वह भारत में आ गया था और स्थायी निवास द्वारा भारत के नागरिक होने की उसने स्पष्ट घोषणा कर दी। मैंने इस उपबन्ध को उन लोगों के लिये रखा है जिनको संविधान के प्रारम्भ के पूर्व पंजीबद्ध नहीं किया जायेगा। यदि यह नहीं रखा जाता है तो आप ऐसे अनेक व्यक्तियों के लिए द्वार बन्द कर देंगे जो अज्ञानता अथवा निरक्षरता के कारण नये उपबन्ध का लाभ नहीं उठा सके हैं। और फिर देश में अभी तक यह उपबन्ध प्रख्यापित नहीं किया गया है और न अभी तक कोई पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। हम नहीं जानते हैं कि प्रत्येक शरणार्थी को पंजीबद्ध करने के लिये क्या उपक्रम किया जायेगा। जब लाखों आदमी अन्तर्गस्त हैं तो मैं समझता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को यह सूचना देना कि वह अपने आप को पंजीबद्ध करा ले कठिन होगा। अत: कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान के कष्टों के कारण स्थायी निवास के लिये यहां इस देश में आता है वह यह न कह सके कि उसके लिये सरकार ने कोई उपबन्ध नहीं किया है। केवल इस आकस्मिकता का उपबन्ध करने के लिए ही मैं यह चाहता हूं कि संशोधन संख्या 162 स्वीकार किया जाये।

अनुच्छेद 5-कक और उसके परन्तुक को लीजिये। इस विषय में मुझे यह निवेदन कर देना चाहिये कि मैं इस विषय पर कुछ भावना युक्त होकर विचार प्रस्तुत करना हूं। मुझे हर्ष है कि मसौदा समिति ने मेरे इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है कि कोई व्यक्ति जो एक बार इस देश से प्रव्रजन कर गया है वह सदैव के लिये प्रव्रजन कर गया। वैध सिद्धान्त यह है कि कोई व्यक्ति जिसने अधिवास का परित्याग कर दिया है उसने सदैव के लिये उसका परित्याग कर दिया। किसी अंश में परित्याग करने का जो प्रश्न ही नहीं है। अनुच्छेद 5 की व्याख्या जो मूलत: नहीं थी और बाद में जोड़ी गई थी अब 5-कक में आ गई है। इस व्याख्या में यह कहा गया है कि वह व्यक्ति जो भारत राज्यक्षेत्र से पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गया है भारत का नागरिक नहीं समझा जायेगा। जहां तक इसका सम्बन्ध है वहां तक यह ठीक है। पर जहां तक उन लोगों के विषय का सम्बन्ध है, जो पाकिस्तान प्रव्रजन करने के बाद फिर इस देश में चले आये हैं, एक नये परन्तुक के प्रविष्ट करने का प्रयास किया गया है। मेरा इस परन्तुक पर कोई झगड़ा नहीं है सिवा एक विशेष बात के। यदि भारतीय सरकार ने अपनी बुद्धिमानी से यह ठीक समझा कि पूर्वी या पश्चिमी पाकिस्तान से हजारों आदमियों को वापस आने दिया जाये और पुनर्निवास के अनुज्ञा पत्र उनको दिये जायें तो स्वयं सरकार पर ही इसका उत्तरदायित्व है। शायद आपको यह पता नहीं है कि इस सम्बन्ध में शरणार्थियों के मन में सम्पत्ति और औचित्य के क्या-क्या प्रश्न खटक रहे हैं। हम सब यह जानते हैं कि जहां तक चल सम्पत्ति का प्रश्न है पाकिस्तान ने यद्यपि पहले उसकी क्षतिपूर्ति करना मान लिया था पर अब मना कर दिया है। अन्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में हम जानते हैं कि पाकिस्तान की प्रवृत्ति क्या है और वह इस विषय में कैसा व्यवहार कर रहा है। उन लोगों की सहमति जो पाकिस्तान में रह रहे हैं निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित कर दी गई है और उस पर अधिकार

कर लिया गया है। मैं नहीं जानता हूं कि भारत में इन हजारों मुसलमानों के लौट कर आने से यहां निष्क्रान्त सम्पत्ति के अधिकारों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। अब हमारी सरकार द्वारा एक नया अध्यादेश पारित कर दिया गया है और एक और अध्यादेश पर विचार किया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति पुनर्निवास करने के लिए यहां आता है और नागरिक हो जाता है और इसके बाद उसकी सम्पत्ति जब्त कर ली जाती है या ले ली जाती है तो मैं नहीं जानता हूं कि क्षतिपूर्ति सम्बन्धी अनुच्छेद 24 के उपबन्धों का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वह किसी न्यायालय से यह घोषणा निकलवा सकता है कि जिस सम्पत्ति को संरक्षक ने ले लिया है उस पर उसका अधिकार है अथवा उसे वापस लेने के लिए आवेदन पत्र दे सकता है। ये प्रश्न प्रत्येक निष्क्रान्त व्यक्ति के मन में उथल पुथल मचा रहे हैं। यद्यपि अभी तक शरणर्थियों का पुनर्वास नहीं हो पाया है, देहली इत्यादि नगरों के मकान उन लोगों के लिये सुरक्षित कर दिये हैं जो पाकिस्तान से आने को हैं और बहुत से ऐसे वापस आये हुये लोगों को उनके मकान वापस मिल गये। शरणार्थियों के मन में एक बड़ी अनिश्चितता तथा गड़बड़ी सी है कि वे भारतीय सरकार की स्थिति को समझ नहीं पाते हैं। अभी एक सम्मेलन में किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने यह कहा था कि कुछ लोग पाकिस्तान में के उच्च आयुक्त अथवा उच्च उपायुक्त से अस्थायी अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर यहां आये और उन लोगों को प्रभावशाली मुसलमान व्यक्ति तथा मन्त्री हमारे उच्च स्थानीय मंत्रियों तथा नेताओं के पास ले गये और स्थायी अनुज्ञा पत्र के लिये सिफारिश की। यह हुआ हो अथवा न हुआ हो। पर यदि इस प्रकार का एक भी उदाहरण हुआ तो उससे शरणार्थियों के मन में उत्तेजना पैदा हो जायेगी जो स्थान स्थान से दुतकारे जाते हैं और जिनका ठीक प्रकार से पुनर्निवास नहीं किया जाता। इसलिये मैं कहता हूं कि सम्पत्ति के अधिकार के अलावा भी जो भी करोड़ों तक पहुंचेगी मैं यह नहीं समझ पाता कि विधि और समत्व के अनुसार हम इस प्रस्थापना को किस प्रकार ग्रहण कर सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को भारत में पुनर्निवास करने के लिये अनुज्ञा पत्र मिल जाता है तो वह अपने आप ही भारत का नागरिक हो जाता है। इसका यह अभिप्राय हुआ कि कराची में के उच्च आयुक्त को जिस व्यक्ति को वह चाहे उसे भारत का नागरिक बनाने की शक्ति है। यथार्थ रूप में इसका यही अर्थ होता है। ऐसा कहकर मैं उस प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ कुछ थोड़ा सा अन्याय कर रहा हूं। मुझे यह सच बात कह देनी चाहिये कि उसे यह बिल्कुल ही विदित न था कि उस व्यक्ति को जिसे अनुज्ञा पत्र दिया जाता है भारत का नागरिक बनाया जायेगा। अत: मेरा विनम्र निवेदन यह है कि यदि उसे यह विदित हो जाये कि उनके अनुज्ञा-पत्र का यह प्रभाव होगा तो अनुज्ञा-पत्र देने के पूर्व वह खूब सोच विचार कर लेगा। श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि कोई व्यक्ति इस स्थिति का ठीक अनुमान किस प्रकार लगा सकता है क्योंकि अनुज्ञा-पत्रों का देना 26 जुलाई सन्, 1950 के बाद से आरम्भ किया है। जो लोग इससे पहले आये वे कम भाग्यशाली थे क्योंकि उन्हें कोई अनुज्ञा-पत्र नहीं मिले। जो लोग 26 जुलाई सन् 1950 के बाद आयेंगे उनके लिये पंजीबद्ध होने के लिये आवेदन पत्र देने के लिये छह माह का काल पूरा नहीं हो पायेगा। अत: मैं नम्रतापूर्वक यह बताना चाहता हूं कि 19 जुलाई सन् 1948 और 26 जुलाई सन् 1950 के बीच में दिये गये अनुज्ञा पत्र ही इस नियम के उपबन्ध के अधीन होंगे। आखिर इन दो व्यक्तियों में अन्तर ही क्या है? उनके प्रति इस विभिन्न व्यवहार को कोई व्यक्ति

[पं. ठाकुरदास भार्गव]

किस प्रकार न्याययुक्त ठहरा सकता है? इन सब व्यक्तियों के सम्बन्ध में अनुच्छेद 6 के अधीन विचार किया जा सकता था।

और फिर, श्रीमान्, जब प्रवेश्य के लिये अनुज्ञा-पत्र दे दिया जाता है तो उसका यह अभिप्राय होता है कि वह व्यक्ति आना चाहता है और स्वयं पुनर्निवास करना चाहता है, और देशीयकरण अधिनियम के उपबन्ध जिनको मैंने पढ़कर सुनाया है यह अपेक्षित करते हैं कि यह व्यक्ति अच्छे आचरण का होना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि पुनर्विवास के लिये जितने भी मनुष्य आना चाहते हैं वे सब कुप्रवृत्ति लेकर आ रहे हैं, पर यह सच है कि उनमें से अधिकांश कुप्रवृत्ति लेकर ही आ रहे हैं, रुपया बनाने, अपनी सम्पत्ति बेचने तथा ऐसे ही अन्य प्रवृत्तियों को लेकर आ रहे हैं। श्रीमान्, यहां ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनके स्त्री बेटे वहां हैं तथा एक बेटा या स्त्री यहां है और वे यहां से भी लाभ उठाते हैं और वहां से भी। श्रीमान्, जो लोग खासकर पश्चिमी पाकिस्तान में हैं उनको पूर्वी पंजाब में हम से कहीं अधिक सुख तथा सुविधा प्राप्त है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि वे यहां आये। मेरा निवेदन यह है कि वे यहां रहने के विचार से नहीं आ रहे हैं। यह सत्य है कि उनके पास अनुज्ञा पत्र है, पर हम सब जानते हैं कि अनुज्ञा-पत्र किस प्रकार प्राप्त किये जा सकते हैं। श्रीमान्, ये लोग इस देश के प्रति निष्ठा की कोई शपथ ग्रहण नहीं करते हैं। हमें यह विश्वास नहीं कि ये व्यक्ति अच्छे आचरण के ही हों। देशीयकरण अधिनियम की धारा 6 और 8 के समस्त उपबन्ध इन पर लागू होने चाहियें। आपकी अनुमति से मैं अभी धारा 8 को पढ़कर सुनाऊंगा जिसके अधीन किसी अन्य देश के किसी व्यक्ति पर कुछ उत्तरदायित्व होंगे और ऐसी कोई बात नहीं है कि जो लोग पाकिस्तान से आते हैं और यहां आकर एक या दो साल के लिये रहना चाहते हैं और फिर वापस जाते हैं तो उनके साथ भिन्न प्रकार का व्यवहार क्यों किया जाये। धारा 8 के सुसंगत भाग में यह कहा गया है:

> "जब केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाये कि इस अधिनियम के अधीन अथवा सन् 1952 के भारतीय देशीयकरण के अधीन दिया हुआ देशीयकरण का प्रमाणपत्र झूठे प्रतिनिधान अथवा धोखे से अथवा सच्ची परिस्थितियों को छिपाकर प्राप्त किया गया था अथवा जिस व्यक्ति को प्रमाणपत्र दिया गया था उसने अपने वचन या कर्म से अपने आपको बादशाह के प्रति अकृतज्ञ अथवा उदासीन सिद्ध कर दिया है तो केन्द्रीय सरकार लिखित आदेश द्वारा उस प्रमाणपत्र को प्रतिसंहृत करेगी।"

उस व्यक्ति के विषय में जो अनुज्ञा-पत्र प्राप्त कर इस देश में आता है तो इस बात की प्रत्याभूति कहां होती है कि वह यहां ठहरेगा? यदि हम देशीयकरण विधि के अधीन यह भी देख लें कि उसका व्यवहार कुशल है तो भी यह प्रत्याभूति कहां है कि वह अपनी सम्पत्ति को बेचकर वापस नहीं जायेगा। मेरा निवेदन यह है कि हम क्योंकर अथवा भारतीय सरकार क्योंकर उन लोगों के लिये सहृदयता रखे जो अपने प्रति हमारी सहानुभूति अथवा दौर्बल्य से लाभ उठाना चाहते हैं। मैं यह नहीं कहता कि जब हम देशीयकरण अधिनियम अनुच्छेद 6 अथवा अन्य किसी अनुच्छेद के अधीन पारित कर देंगे तो विधि के अनुसार उनको यहां आने

का अधिकार न हो। मैं केवल यह चाहता हूं कि उनको उनके उचित अधिकार दिये जायें और इस उद्देश्य के लिये मैंने अनुच्छेद संख्या 164 प्रस्थापित किया है जिसमें यह कहा गया है कि इस व्यक्तियों को–

"संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन देशीयकरण अथवा नागरिकता अर्जन की अर्हता के लिये अपेक्षित कालावधि में जुलाई सन् 1948 के उन्नीसवें दिन के बाद के भारत राज्य क्षेत्र में अपने निवास करने के काल की गणना करने का हक होगा।"

मैं उसको हमेशा के लिये अनर्ह नहीं करता हूं। मैंने केवल उसको उसका ही भाग सौंपने का प्रयत्न किया है।

"यदि वह विधि द्वारा निर्धारित शर्त को पूरी करता है तो देशीयकरण द्वारा नागरिकता का पात्र होगा ओर देशीयकरण सम्बन्धी विधि के अधीन जिन आधारों पर देशीयकरण का प्रमाणपत्र रद्द किया जा सकता है उन आधारों पर उसका अनुज्ञा-पत्र रद्द भी किया जा सकेगा।"

श्रीमान्, एक शर्त यह है कि यदि प्रथम पांच वर्ष के काल में यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध करने पर कारागार में जाता है तो उसका प्रमाणपत्र प्रतिसंहृत किया जायेगा। मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि यह शर्त उन लोगों पर लागू क्यों नहीं होती है जो अनुज्ञापत्र प्राप्त कर यहां आते हैं। श्रीमान्, अब अनुच्छेद 5-कक के सम्बन्ध में मैं सभा का और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं।

अब मैं 5-ख को लूंगा। 5-ख के सम्बन्ध में मैं पहले ही कह चुका हूं कि किसी ऐसे व्यक्ति को नागरिकता के अधिकार देने से कोई लाभ नहीं जिनके जनक अथवा महाजनक सन् 1935 के अधिनियम में परिभाषित भारत में जन्मे थे और जो व्यक्ति अब भारत से बाहर रह रहा है। उसे किसी दूतावास में आवेदन पत्र देना होगा और यह संविधान के प्रारम्भ के पूर्व तथा उसके बाद भी हो सकता है। मेरा निवेदन यह है कि 5-क, 5-कक और 5-ग में "इस संविधान के प्रारम्भ के पूर्व" शब्दों का प्रयोग किया गया है। केवल अनुच्छेद 5-ख में यह विचार किया गया है कि संविधान के प्रारम्भ के बाद भी कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। क्या किसी ऐसे व्यक्ति का भारत से किसी प्रकार का सम्बन्ध है? उसके महाजनक भारत के किसी कोने में पैदा हुये होंगे, पर मैं नहीं समझ सकता हूं कि उसमें और भारत में कोई सम्बन्ध हो भी सकता है। मेरा निवेदन यह है कि जब तक वह यह सिद्ध न करे कि उसके मन में कभी भारत में लौटकर आने का विचार है तब तक उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होने का कोई अधिकार नहीं है। सानुरूपता लाने के लिए मैं प्रस्थापित करता हूं कि 'चाहे पहले या बाद' शब्दों के स्थान में 'पहले' शब्द रखा जाये, क्योंकि संविधान के प्रारम्भ के बाद हम एक विधि अधिनियमित करना चाहते हैं जिसमें इन आकस्मिकताओं की व्यवस्था की जायेगी। 5-ख और 7-ग 'संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन' शब्दों का प्रयोग किया गया है और मैं इन शब्दों का स्वागत करता हूं क्योंकि आज तो हम इन उपबन्धों को जल्दबाजी में पारित कर रहे हैं जो न्याययुक्त नहीं है, संविधान के प्रारम्भ के बाद संसद को इन्हें ठीक करने का अधिकार

[पं. ठाकुरदास भार्गव]

होगा। अनुच्छेद 5-ख तथा अनुच्छेद 5-ग में भी मैं इन शब्दों का स्वागत करता हूं और मैं यह चाहता हूं कि ये शब्द रखे जायें। मैं उस संशोधन का विरोध करता हूं जिसमें यह कहा गया है कि ये शब्द वहां न हों। आखिर संसद को इस शक्ति से सुसज्जित करना चाहिये कि यदि वह इन्हें ठीक न समझे तो इन्हें ठीक कर ले। मेरा निवेदन यह है कि ये शब्द 'भारत सरकार के' वहां न होने चाहिये क्योंकि संविधान के प्रारम्भ से पहले हमारी सरकार अधिराज्य सरकार है। मेरा निवेदन यह है कि इन तीनों संशोधनों को स्वीकार किया जाये।

संशोधन संख्या 32 के सम्बन्ध में मैं पहले ही कह चुका हूं कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित कर ली है तो वह इस देश का नागरिक नहीं हो सकता है। ये शब्द 5-ख में नहीं है। यदि वे अनुच्छेद 5 के लिये ठीक हैं तो मैं निवेदन करता हूं कि ये 5-ख के लिये भी ठीक हैं। अत: इनको 5-ख में भी रखना चाहिये।

श्रीमान्, मैंने अपने सारे संशोधन समाप्त कर दिये। आपके विचार के लिये मुझे एक शब्द और कहना है। अनुज्ञा-पत्र सम्बन्धी अधिनियम जब सभा में रखा गया था उस समय हम यह नहीं जानते थे कि उनको यह बल प्राप्त हो जायेगा। अब चूंकि हम यह देखते हैं कि जिन लोगों के पास अनुज्ञापत्र है उनको नागरिक बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है तो मैं विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि सम्बद्ध मन्त्रालय और अधिक अनुज्ञा-पत्र न दे। पाकिस्तान से लोगों को लेने और हम पर लादने से क्या आशय है जबकि हमारे ही लोग दु:खी हैं? मेरा निवेदन यह है कि ये अनुज्ञा-पत्र उचित नहीं होंगे और इस देश की सुदृढ़ता के लिये कल्याणकारी नहीं होंगे।

***श्री आर.के. सिधवा** (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

"कि उपरोक्त संशोधन संख्या 1 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद 5-क में से 'deemed to be' शब्दों को निकाल दिया जाये।"

इसके कारण बताने के पूर्व कि मैं इस मुख्य अनुच्छेद पर कुछ बातें कहना चाहूंगा। श्रीमान्, डॉ. अम्बेडकर ने ठीक कहा था कि इस अनुच्छेद के बनाने में उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। संविधान के मसौदे में मूलत: यह अनुच्छेद केवल एक मुख्य खण्ड और तीन उपखण्डों में था। नये अनुच्छेद में 6 मुख्य खण्ड और 6 उपखण्ड है। पुराने अनुच्छेद में खण्ड इतने अस्पष्ट तथा परस्पर विरोधी थे कि मसौदा समिति को पूरे के पूरे प्रश्न पर नये सिरे से विचार करना पड़ा और सभा के समक्ष एक बहुत ही व्यापक अनुच्छेद रखना पड़ा जिसमें मेरी राय से सारी बातें आ जाती हैं—इस बात की मुझे बड़ी खुशी हैं। मैंने बड़ी सावधानी से उसे देखा है और 18 महीने में उन्हें जो अनुभव हुआ उससे वे ठीक परिणाम पर पहुंच गये। यहां तक कि भविष्य में होने वाली घटनाओं तक का उन्होंने समावेश कर लिया। अत: मैं मसौदा समिति को बधाई देता हूं—मैं ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी सभा मसौदा समिति ने इस अनुच्छेद के बनाने में जो कष्ट किया है

उसके लिये बधाई देगी। यह सच है कि संशोधन बहुत से हैं, पर मैं समझता हूं कि इन संशोधनों को रखकर सदस्य मसौदा समिति के कार्य अथवा कष्ट को जो इतने व्यापक अनुच्छेद के प्रस्तुत करने में उसे हुआ है नगण्य नहीं करना चाहते हैं। वरन इन संशोधनों का यह अभिप्राय है कि यदि कुछ कमियां या कठिनाइयां है तो इन संशोधनों द्वारा मसौदा समिति को संकेत किया जाये जिससे कि वह इन पर विचार करे और जहां तक हो सके उनको स्वीकार करे।

श्रीमान्, अनुच्छेद 5-क के सम्बन्ध में श्री कपूर ने एक संशोधन का सुझाव दिया है कि "इस संविधान के प्रारम्भ पर" शब्दों के पश्चात् "तथा उसके पश्चात्" शब्द प्रविष्ट किये जायें। जिस प्रकार की अंग्रेजी है उसे पढ़ने पर यह विदित होता है कि उसमें कुछ अस्पष्टता है कि प्रारम्भ की तारीख पर केवल वे ही लोग भारत के नागरिक कहे जायेंगे, पर मैं समझता हूं कि जन्मजात अधिकार के खण्ड के अधीन कोई व्यक्ति जहां वह पैदा हुआ है वह उस देश का नागरिक समझा जायेगा। इस बात को मैं स्पष्ट नहीं समझ सका हूं, पर यदि ऐसी बात नहीं है तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस पर "प्रारम्भ की तारीख को" का यह अर्थ होगा कि प्रारम्भ की तारीख के बाद भी अर्थात् यह कि 27 जनवरी सन् 1950 के बाद यदि कोई व्यक्ति जन्म लेता है और जब वह वयस्क हो जाता है तो वह इस देश के नागरिक होने का हक रखेगा? जैसी अंग्रेजी है उससे तो मैं यह मानता हूं कि प्रारम्भ की तिथि का अर्थ यह है कि केवल उसी समय "बाद में" नहीं। जहां तक मुझे याद आता है ऐसा एक अधिनियम है जिसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो किसी देश में जन्मा है तो जन्मजात अधिकार से वह इसी तथ्य के आधार पर उस देश का नागरिक हो जाता है। अतः इस विषय पर ध्यान देना अपेक्षित है।

मेरे माननीय मित्र डॉ. देशमुख ने इसी अनुच्छेद पर एक संशोधन रखा है जिसके द्वारा वे यह चाहते हैं कि सिख और हिन्दू चाहे वे कहीं पैदा हुये हों जब भी चाहें उन्हें भारत का नागरिक होने का हक होगा। श्रीमान्, जब उन्होंने सम्प्रदायों के नाम का उल्लेख कर दिया है तो, श्रीमान्, मैं आपको तथा सभा में के सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि ऐसे लगभग 16,000 पारसी हैं जो भारत से बाहर जरतुश्त मत के मानने वाले हैं, लगभग 12,000 ईरान में है, और जो लोग ईरान में हैं वे उसी धर्म के मानने वाले हैं जिसे पारसी यहां भारत में मान रहे हैं और मैं जानता हूं कि जिस बात को मेरे माननीय मित्र देशमुख चाहते हैं वह बात अनुच्छेद 5-ख में आ जाती है जिसमें यह निर्धारित है कि यदि महाजनक तथा महाजनकों के भी महाजनक अन्य देशों में जन्मे हैं और यदि वे भारत का नागरिक होना चाहते है हैं तो हो सकते हैं। डॉ. देशमुख का संशोधन और भी अधिक विस्तृत विशेषाधिकार तथा अधिकार पैदा करता है। यद्यपि इस संशोधन के प्रति मैं इतना उत्सुक नहीं हूं, पर यदि मसौदा समिति इस पर विचार करने के लिए तैयार है तो मैं यह चाहूंगा कि वह इस बात का ध्यान रखे कि और भी सम्प्रदाय हैं और मेरे विचार से केवल हिन्दू और सिखों का उल्लेख करना ठीक नहीं होगा। मसौदा समिति की सूचना में मैं केवल यही बात लाना चाहता था। ऐसे 12,000 पारसी हैं जो उसी मत के मानने वाले हैं जिसके हम यहां है, पर उनके महाजनक ईरान में जन्मे थे और उनमें से बहुत से बम्बई तथा देश के अन्य भाग में आते हैं, वे कभी भारत को अपना घर बनाना चाहेंगे। यह एक बहुत दूर की बात है जिसे मैं रख रहा हूं, पर यदि इस संविधान पर विचार किया जाता है, तो मेरा प्रश्न यह है कि हमारे लिये यह आवश्यक नहीं है कि

[श्री आर.के. सिधवा]

हम 'किसी सम्प्रदाय' का उल्लेख करें। यदि हम ऐसा करेंगे तो यह प्रकट होगा कि हम अन्य सम्प्रदायों की उपेक्षा कर रहे हैं जिन पर हमारा ध्यान देना आवश्यक है। अत: यदि वह इस संशोधन पर विचार करें तो सभा के समक्ष मैं यह दृष्टिकोण प्रस्तुत करता हूं।

इसके बाद, श्रीमान्, मैं अपने संशोधन पर आता हूं, जिसका अनुच्छेद 5-क से सम्बन्ध है जिसमें यह कहा गया है "अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुये भी कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान के इस समय अन्तर्गत राज्य क्षेत्र से भारत राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन कर आया है इस संविधान के प्रारम्भ की तारीख पर भारत का नागरिक समझा जायेगा"। मैं यह चाहता हूं कि 'समझा जायेगा' शब्दों को निकाल दिया जाये। श्रीमान्, हम सब बहुत प्रसन्न हैं कि मसौदा समिति ने भारत के (मूल) नागरिकों और उन नागरिकों में परस्पर कोई भेदभाव नहीं किया है जो दुर्भाग्यवश विभाजन के कारण पाकिस्तान से भारत आये हैं। यहां तक तो ठीक है, आप उन्हें अधिकार समता प्रदान कर रहे हैं। पर आप उन्हें "समझे जायेंगे" क्यों कहते हैं और उन्हें निम्नतर स्थिति क्यों प्रदान करते हैं? पहली कण्डिका में यह कहा गया है कि "वह भारत का नागरिक होगा"। मैं यह नहीं समझ सका कि शरणार्थी भारत के नागरिक क्यों "समझे जायेंगे" और उनके लिये यह निम्नतर स्थिति क्यों? शायद यह बात मसौदा समिति के ध्यान में नहीं आई और मैं इस बात को ध्यान में रखने के लिए उसके सदस्यों से निवेदन करूंगा। हम जानते हैं कि इस देश में आये हुये शरणार्थियों को जहां कहीं भी रखा जाता है वे यह कहते हैं कि वह प्रान्त, सरकार अथवा वहां के लोग उनको नहीं चाहते हैं, और वे सदैव यही शिकायत करते हैं कि कभी-कभी उनको नहीं चाहा जाता है और जहां उनको चाहा जाता है वहां उनका पुनर्निवास नहीं किया जाता है और कुछ के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। मैं इस विचार का नहीं हूं। मैं इस विचार से असहमत हूं; मैं जानता हूं कि भुजायें पसार कर जहां कहीं भी वे गये हैं वहां उस प्रान्त के लोगों ने उनका स्वागत किया है, अपनी भरसक सामर्थ्य के अनुसार वे उनका पुनर्वास कराने का प्रयत्न करते हैं और उनको सब तरह की सुविधायें देते हैं ओर जहां हो सकता है वहां घर देते हैं। पर ऐसे भी बहुत से शरणार्थी हैं जो वैसा विचार भी रखते है जिसका मैंने उल्लेख किया था। आप संविधान में यह क्यों कहते हैं कि "आपका दर्जा दूसरा है पहला नहीं"? यह बड़ी तुच्छ बात है और संविधान में से ऐसी किसी भावना को हमें हटा देना चाहिये। आपने उन्हें अधिकार समता प्रदान कर दी है तो फिर आप यह क्यों कहते हैं कि "समझे जायेंगे"? अत: मैं मसौदा समिति से निवेदन करता हूं कि वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि "समझे जायेंगे" शब्द निकाल दिये जायें। श्री कपूर ने भी इस बात की विशद व्याख्या की थी पर भाषण के अन्त में उन्होंने कहा था "मसौदा समिति शायद इस पर विचार करे"। मैं यह कहता हूं कि "मसौदा समिति को इस बात पर विचार करना चाहिये"। श्रीमान्, वे इस बात पर "शायद विचार" क्यों करें जिसको आप स्वीकार कर चुके हैं और आप समान अधिकार देना चाहते हैं? फिर आप यह क्यों कहते हैं कि "आप शायद विचार करेंगे"? मैं उनसे निवेदन करूंगा कि "कृपया अवश्य विचार करें" और इन शब्दों को निकाल दें। मेरी इच्छा है कि वे इन शब्दों को अवश्य निकाल देंगे, और यदि वे नहीं निकालना चाहते हैं तो हम उनसे जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। जब वे इस खण्ड से उनके साथ बराबर

का सा बर्ताव करते हैं तो मैं निवेदन करता हूं कि हमें उनको यह समझने का लेशमात्र अवसर नहीं देना चाहिये कि हम उन्हें निम्नतर स्थिति का समझते हैं। शरणार्थियों के मन में मिथ्या धारणायें उत्पन्न हो रही हैं; आप इन शब्दों को संविधान में रखकर उनको ऐसी शिकायत करने का मौका न दीजिये और यह न कहिये कि "नागरिकता के विषय में आपका दर्जा दूसरा होगा"।

इसके बाद, श्रीमान्, तत्कथित भद्दे तथा बुरे खण्ड पर आइये, मैं इस खण्ड का–दोनों मुख्य खण्ड–और परन्तुक का स्वागत करता हूं। जिन माननीय सदस्यों ने इस परन्तुक की ओर निर्देश किया है वे भी अपनी शिकायत ठीक ही करते हैं। उनके तर्कों का अपमान नहीं करना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह परन्तुक आवश्यक है। यह मुसलमानों का प्रश्न नहीं है, लाखों पारसी हैं, ईसाई हैं, जो आज पाकिस्तान में से यहां आना चाहते हैं—उनके लिये आप क्यों द्वार बन्द करें? उनका भारत में जन्म हुआ था—उनका भारत से हर प्रकार का सम्बन्ध है—किसी कारणवश वे वहां हैं। यदि किसी समय वे यहां आना चाहते हैं तो यह परन्तुक उनको अधिकार देता है। मैं नहीं चाहता हूं कि यह अधिकार छीना जाये।

पर निष्क्रान्त सम्पत्ति के बारे में एक संकट है जिसका मेरे माननीय मित्र श्री जसपतराय कपूर और श्री ठाकुरदास भार्गव ने ठीक उल्लेख किया है। उनकी शिकायत उचित है। उन्होंने यह कहा था। भारत सरकार ने निष्क्रान्त सम्पत्ति के प्रश्न पर अभी एक अध्यादेश प्रख्यापित किया है। यह प्रश्न अनेक वर्षों से दोनों अधिराज्यों के परस्पर सम्मेलनों का प्रश्न रहा था और इस वर्ष जनवरी में वे एक निश्चय पर पहुंचे। केवल दो वर्ष पूर्व ये सारी बातें गड़बड़ी में पड़ गईं। पाकिस्तान ने करार तोड़ दिया। करोड़ों रुपये की सम्पत्ति अनिश्चित दशा में छोड़ दी गई। हमारी सरकार ने सदैव आग्रहपूर्ण प्रवृत्ति को अपनाना चाहा और उनको ठीक मार्ग पर लाने की आशा करती रही। उन्होंने सारे प्रयत्न किये पर असफल हुये। प्रश्न यह है कि इस खण्ड में बहुत सी शंकाओं के लिये स्थान है। संसद यह विधि बना सकती है कि किसी व्यक्ति के यहां आने के पूर्व अनुज्ञा-पत्र आवश्यक होगा। इस अध्यादेश के प्रख्यापन के बाद उस सम्प्रदाय में बड़ी खलबली हुई और बम्बई सरकार के सचिवालय में इस वर्ग के लोगों की भरमार हो रही है इस आधार पर कि ये सम्पत्तियां केवल अस्थायी रूप में छोड़ी गई थीं। और यह कि वे वापस आना चाहते हैं। मुझे भी ऐसे मामलों का ज्ञान है जिनमें सम्पत्ति को संरक्षक द्वारा निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित कर दिया था और कुछ प्रभाव पड़ने के बाद यहां तक कि सम्पत्ति हस्तान्तरण के अधिनियम के उपबन्धों को बिना माने जिसको संविधान सभा (विधायिनी) ने गत अप्रैल में पारित किया था उस उद्घोषणा को निष्क्रान्त सम्पत्ति के बारे में रद्द कर दिया। इसके कारण शंका तथा उत्तेजना पैदा हो गई है। मैं यह नहीं कहता हूं कि विधि में इसके लिये कोई स्थान है। विधि बिल्कुल स्पष्ट है। एक पदाधिकारी के कार्य ने लोगों के मन में शंका उत्पन्न कर दी है। इसी कारण मेरे मित्र कहते हैं कि ये लोग यदि आ जायेंगे तो तीन वर्ष तक ठहरेंगे और अपनी सम्पत्ति बेचने के बाद वे पाकिस्तान वापस चले जायेंगे। इससे सावधान रहना चाहिये। श्रीमान्, मैं समझता हूं कि परन्तुक में सावधानी की गई है, अनुज्ञा-पत्रों की व्यवस्था की गई है। संसद इस बात पर ध्यान रखेगी कि इस उद्देश्य को रद्द न किया जाये।

[श्री आर.के. सिधवा]

मेरे मित्र श्री ठाकुरदास भार्गव और श्री जसपतराय कपूर के मन में जो शंकायें हैं मैं उनको तुच्छ नहीं समझता हूं—उन शंकाओं में सच्चा संकट है। पर मैं इस दृष्टिकोण से इस परन्तुक को निकालना नहीं चाहता हूं। श्रीमान्, कारण मैं बता चुका हूं। भविष्य की आकस्मिकताओं के लिये इस परन्तुक को रहने देना चाहिये। यह हमारे हित के लिये होगा, यह उन लोगों के लिये होगा जो ईमानदारी के साथ भारत वापस आना चाहते हैं।

परन्तुक यह भी प्रकट करता है कि मसौदा समिति जागरूक है। अनुच्छेद 5-ख में उन लोगों के लिये उपबन्ध किये गये हैं जो अब विदेशों में हैं और जो किसी समय वापस आने का विचार कर सकते हैं। आप जानते हैं कि अभी अभी मलाया में आन्दोलन हुआ था। अतीतकाल में बहुत से भारतवासी मजदूर के रूप में अथवा अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए अथवा व्यापारिक दृष्टिकोण से इन उपनिवेशों में गये थे। वहां हमारे लाखों भाई हैं। स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात्, इन देशों के कुछ आदमी यह सोचकर कि भारत स्वतन्त्र है और वहां उनकी दशा तथा स्थिति अब अच्छी हो जायेगी यदि वापस आना चाहते हैं तो हमें उनका स्वागत करना चाहिये। और मेरे मित्र श्री ठाकुरदास भार्गव के इस तर्क में मैं उनका साथ नहीं दे सकता हूं कि यदि किसी का महाजनक वहां पैदा हुआ था तो उसे वहां क्यों आने दिया जाये और भारतीय नागरिकता क्यों प्राप्त करने दी जाये। आपको उन परिस्थितियों पर ध्यान देना होगा जिनके अन्तर्गत वे यहां से गये थे। वे हमारे देशवासी हैं। वे हमारे भाई हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से वे विदेश गये थे। जब भारत स्वतन्त्र है तो वह यहां आना चाहेंगे। आप उनको इस अधिकार से वंचित क्यों करना चाहते हैं? अत: मैं कहता हूं कि उनके महाजनक ही नहीं वरन महाजनक के महाजनक भी यदि भारत में जन्मे थे और यदि वे वापस आना चाहते हैं तो उनको यहां आने दीजिये। उनका स्वागत होना चाहिये। वे हमारे लिये बड़े उपयोगी सिद्ध होंगे। उन देशों में अनुभव कर वे हमारे लिये बड़े लाभदायक सिद्ध होंगे, उनमें उद्योगपति होंगे, व्यापारी होंगे और अच्छे मजदूर होंगे जो हमारे देश के लिये अवश्य ही उपयोगी होंगे। मैं इस अनुच्छेद का भी स्वागत करता हूं। दक्षिणी अफ्रीका और लंका में भी भारतवासी हैं जहां की नागरिकता की नई विधियों के कारण वे यह सोचने लगे हैं कि उनके साथ भेदभाव की नीति बरती जा रही है। वे भी यदि भारत में बसना चाहते हैं तो उनको आने देना चाहिये।

श्रीमान्, जैसा कि मैंने आप से कहा था ऐसा संयोग न हो। पर यदि होता है तो हमें उपबन्ध करना चाहिये। ईरान में 10,000 पारसी हैं। मेदेजन्द शैरियर के राज्य तक वे राज्य करते रहे और तब तक वे खुश थे। बाद में मुस्लिम राज्य में उनको खदेड़ दिया गया। वे भारत आ गये। यद्यपि ऐसी स्थिति की सम्भावना नहीं है पर भविष्य में यदि ऐसा संयोग हो जाये, यदि इन लोगों को निकाला जाये तो आप उनके लिये द्वार बन्द क्यों करें? उनके महाजनक भारत में जन्में थे; पर उनके बाहर निकाले जाने के कारण शायद वे भारत आना चाहें। हम उनके लिये दरवाजा क्यों बन्द करें? इस कारण मैं सोचता हूं कि अनुच्छेद 5-ख बहुत लाभदायक है। मैं समझता हूं कि इस अनुच्छेद का मसौदा बनाने में मसौदा समिति ने मलाया और दक्षिणी अफ्रीका के अभी हाल के आन्दोलनों पर विचार किया

है, ईरान में भारतीयों की दशा पर शायद उनका ध्यान नहीं गया है। हमारे राष्ट्रजन समस्त संसार में फैले हुये हैं। असाधारण परिस्थितियों में यदि उनके जनक तथा महाजनक विदेश चले गये और वहां नागरिक बन गये और बाद में विशेषकर जब कि भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली है यदि वे इस देश में बसना चाहते हैं तो उनको यहां प्रवेश करने से वंचित नहीं करना चाहिये। मैं समझता हूं कि ऐसे सच्चे नागरिकों को आने और अपनी बेहतरी तथा देश की बेहतरी के लिए यहां बसने के अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिये।

इन शब्दों के साथ जो संशोधन मैंने पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

***श्री बी.पी. झुनझुनवाला** (बिहार: जनरल): श्रीमान्, मेरे नाम से दो संशोधन हैं, संख्या 123 और 140। संशोधन संख्या 123 के सम्बन्ध में यह बात है कि एक ऐसा ही संशोधन यहां पेश हो चुका है और उस पर काफी कहा जा चुका है और उस पर मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा पर उसे पढ़ने के बाद मैं केवल कुछ शब्द कहूंगा:

"कि संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (तृतीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 1 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद 5-क में 'notwithstanding anything' शब्दों से लेकर 'at the date of commencement of this Constitution if' शब्दों तक के स्थान में निम्न शब्द रखे जायें:

'Notwithstanding anything contained in article 5 of this Constitution, a person who on account of civil disturbances or the fear of such disturbances–

(a) having the domicile of India, as defined in the Government of India Act, 1935, and being resident in India before the partition, has decided to reside permanently in India, or

(b) has migrated to the territory of India from the territory now included in Pakistan,

shall be deemed to be a citizen of India at the date of the commencement of this Constitution if.' "

[इस संविधान के अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुये भी कोई व्यक्ति असैनिक विद्रोहों के कारण अथवा ऐसे विद्रोहों से भयभीत होकर–

(क) सन् 1935 के भारतीय अधिनियम में परिभाषित भारत में अधिवास करता हुआ तथा विभाजन के पूर्व भारत में निवास करता हुआ भारत में स्थायी रूप से निवास करने का विनिश्चय करता है, अथवा

(ख) पाकिस्तान के इस समय अन्तर्गत राज्यक्षेत्र से भारत राज्यक्षेत्र को प्रव्रजन कर आया है,

तो इस संविधान के प्रारम्भ की तारीख पर भारत का नागरिक समझा जायेगा।]

[श्री बी.पी. झुनझुनवाला]

मेरे इस संशोधन के पेश करने का उद्देश्य यह है कि अनुच्छेद 5 नागरिकता के साधारण सिद्धान्तों का विचार प्रस्तुत करता है और पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए अनुच्छेद 5-क में हमने कुछ सुविधायें दी हैं। अनुच्छेद 5 में कहा गया है:

(क) कोई व्यक्ति जो भारत राज्यक्षेत्र में जन्मा था, अथवा

(ख) जिसके जनकों में से कोई भारत राज्यक्षेत्र में जन्मा था, अथवा

(ग) जो ऐसे प्रारम्भ की तिथि से ठीक पहले कम से कम पांच वर्ष तक भारत राज्य क्षेत्र में सामान्यतया निवासी रहा है;

भारत का नागरिक होगा, यदि उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वयं अवाप्त न की हो।

मैं अपने संशोधन द्वारा नागरिकता अवाप्त करने के अधिकार को इस संविधान के प्रारम्भ की तिथि पर केवल विस्थापित व्यक्तियों के लिये 6 महीने के निवास तक ही सीमित करना चाहता हूं और अन्य व्यक्ति जो अनुच्छेद 5-क के अंतर्गत आते हैं वे पांच वर्ष तक भारत में निवास करने के पश्चात् नागरिकता का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। मैं अनुच्छेद 5-क के उद्देश्य को वास्तव में नहीं समझ पाता हूं जबकि उसका विस्तार उन लोगों के अलावा जो शरणार्थी हैं अथवा जो विस्थापित हैं अथवा असैनिक विद्रोहों अथवा इन विद्रोहों से भयभीत होकर पाकिस्तान से आये हैं, अन्य लोगों के लिये भी किया जाता है। मैं नहीं समझ पाता हूं कि इसके लिये ऐसी क्या जल्दी है। यदि केवल इन व्यक्तियों के लिये ही 6 महीने का अधिकार सीमित रखा जाता है तो कोई भी कठिनाई नहीं है क्योंकि जो लोग पाकिस्तान से आते हैं उनसे हम नागरिकता अवाप्त करने के अधिकार को छीन नहीं रहे हैं। जो लोग भारत में आ गये हैं और निवास कर रहे हैं उनका हम केवल वास्तविक उद्देश्य जानना चाहते हैं और पांच वर्ष की अवधि में हम यह भली प्रकार जान जायेंगे, मुझसे यह कहा गया है कि किसी दुर्भावना को लेकर पूर्वी पाकिस्तान से आसाम लोग धड़ाधड़ चले आ रहे हैं—अपनी जनसंख्या में वृद्धि करने के हेतु इस बात का मुझे व्यक्तिगत ज्ञान नहीं है पर जिम्मेवार विश्वसनीय व्यक्तियों ने मुझे बताया है। इसके कारण मैंने यह संशोधन पेश किया है वे आसाम इस कारण नहीं जा रहे हैं कि पाकिस्तान में उन्हें कुछ असुविधायें हैं, वरन् केवल इस कारण आसाम में रहने वे जा रहे हैं कि वहां अपनी जनसंख्या बढ़ायें। ऐसे आदमियों को अधिकार न देने के लिये मैं यह संशोधन पेश कर रहा हूं।

दूसरा संशोधन जो मैंने रखा है वह संख्या 150 है और एक ऐसा ही संशोधन मेरे मित्र प्रो. शाह ने पेश किया है और उन्होंने उस विषय पर बहुत कुछ कहा है और मैं उनके विचारों से सहमत हूं। संशोधन इस प्रकार है:

"कि संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (तृतीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 6 में अनुच्छेद 5 के प्रस्थापित नये खण्ड (2) के पश्चात् निम्न परन्तुक प्रविष्ट किया जाये:

'Provided that Parliament shall not accord equal rights of citizenship to the nationals of any country which denies e qual right of citizenship

to the nationals of India settled there and desirous of acquiring the local citizenship.' "

[पर संसद किसी भी उस देश के नागरिक को नागरिकता के समान अधिकार नहीं देगी जो देश अपने यहां बसे हुये भारत के नागरिकों को जो वहां की स्थानीय नागरिकता प्राप्त करने के इच्छुक हैं नागरिकता के समान अधिकार से वंचित करता है।]

***श्री एस. नागप्पा** (मद्रास : जनरल): श्रीमान्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

"कि उपरोक्त संशोधन संख्या 1 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद 5-क के खण्ड (ख) के उपखण्ड (2) में 'on an application made' शब्दों के स्थान में 'on a statement or an application made' शब्द रखे जायें।"

में यह भी पेश करता हूं:

"कि उपरोक्त संशोधन संख्या 1 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद 7-क के परन्तुक में 'the application' शब्दों के स्थान में 'the statement or application' शब्द रखे जायें।"

श्रीमान, इस संशोधन को पेश करने में मेरा उद्देश्य यह है कि आवेदनपत्र का अर्थ है कि वह लिखित होना चाहिये। हमारे देश में साक्षरता बहुत कम है अत: नागरिकता अवाप्त करने वाले लोगों में से अधिकांश पढ़े लिखे नहीं होंगे और लिखित आवेदन पत्र न दे सकेंगे। अत: मैं सुझाव रखता हूं कि जो व्यक्ति आवेदनपत्र लिखकर न दे सके वह केवल कथन कर सकता है। कथन को उतना ही महत्व देना चाहिये जितना आवेदन पत्र को। मैं आशा करता हूं कि माननीय डॉ. अम्बेडकर तथा यह सभा इस प्रार्थना को स्वीकार करेगी।

***सरदार भूपेन्द्रसिंह मान:** (पूर्वी-पंजाब : जनरल): चूंकि समय कम है मैं निवेदन करता हूं कि औपचारिक रूप में मुझे अपने संशोधन पेश करने दिये जायें और कल भाषण देने दिया जाये अथवा कल मुझे संशोधन पेश करने दिया जाये।

***अध्यक्ष:** आप संशोधन अभी पेश कर सकते हैं और भाषण कल दे सकते हैं।

***सरदार भूपेन्द्रसिंह मान** श्रीमान, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

"कि संशोधनों पर संशोधनों की सूची 4 (तृतीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 131 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद 5-कक के प्रस्थापित परन्तुक को अपमार्जित किया जाये।"

यह परन्तुक जिसे अब डॉ. अम्बेडकर ने प्रविष्ट किया है इस प्रकार है:

"परन्तु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो पाकिस्तान के इस समय अन्तर्गत राज्यक्षेत्र को प्रव्रजन के पश्चात् भारत राज्यक्षेत्र को ऐसी

[श्री सरदार भूपेन्द्रसिंह मान]

अनुज्ञा के अधीन लौट आया है जो पुनर्वास के लिये या स्थायी रूप से लौटने के लिये किसी विधि के द्वारा या अधीन दी गई है, तथा प्रत्येक ऐसा व्यक्ति इस संविधान के अनुच्छेद 5 (क) के खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिये भारत राज्यक्षेत्र को 1948 की जुलाई के 19वें दिन के पश्चात् प्रव्रजन करने वाला समझा जायेगा।"

श्रीमान, मैं समझता हूं कि यह परन्तुक (और हम सब इससे सहमत हैं) बहुत ही भद्दा और जो हिन्दू और सिख यहां आ गये हैं और पुनर्वास की प्रतीक्षा में हैं उनके प्रति यह अन्यायपूर्ण है।

***अध्यक्षः** माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् सभा शुक्रवार, 12 अगस्त सन्, 1949 ई. के प्रातः नौ बजे तक के लिये स्थगित हुई।